सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-7 भाग (1) बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 2018/01 चैत्र, 1940 (शक) अंक-70

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	शोक संवेदना	3—4
3.	वार्षिक बजट (2018—19) का प्रस्तुतीकरण	4—72
4.	अनुदान मांगों (2018—19) का प्रस्तुतीकरण	
5.	अनुपूरक अनुदान मांगों (2017—18) का प्रस्तुतीकरण एवं पारण	73—77
6.	विनियोजन (संख्या—1) विधेयक, 2018	77—79
7.	वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन	79—80
8.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	80—81
9.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (61 से 78 एवं 80)	81—154
10.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (188 से 224)	154—282

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-7 भाग (1) बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 2018/01 चैत्र, 1940 (शक) अंक-70

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री रामचंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. श्री सुरेन्द्र सिंह
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीण कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रमिला टोकस
36. श्री नरेश यादव
37. श्री करतार सिंह तंवर
38. श्री प्रकाश
39. श्री अजय दत्त
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. श्रीमती सरिता सिंह
50. मो. इशराक
51. चौ. फतेह सिंह
52. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (1) बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 2018/01 चैत्र, 1940 (शक) अंक-70

सदन अपराह्न 2.06 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय हूँ माननीय सभी विधायकों का पाँचवें दिन इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।

शोक संवेदना

कश्मीर में मुठभेड़ में शहीद जवानों के प्रति शोक संवेदना।

यह अत्यधिक दु:ख का विषय है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के दो और सेना के तीन जवान शहीद हो गये। भारतीय सुरक्षा बलों ने बहादुरी दिखाते हुए मंगलवार को पाँच आतंकियों को भी मार गिराया। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बाजी लगाने वाले उन जवानों की शहादत को मैं नमन करता हूँ।

मुठभेड़ की घटनाओं में बढ़ोत्तरी, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। फिर भी भारतीय सुरक्षा बल जिस मुस्तैदी से देश की रक्षा कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। जम्मू कश्मीर में शहीद जवानों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर

से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब दिवंगत आत्माओं की शाँति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

ओम शाँति, शाँति शाँति।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्य मंत्री वित्त वर्ष 2018–19 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे।

वार्षिक बजट (2018–19)

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया,): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वित्त वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं लगातार चौथी बार इस सम्मानित सदन ये बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं 2018–19 के लिए सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने से पहले गर्व के साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि सरकार ने शासन प्रणाली में सुधार और जन सेवाओं के पारदर्शी और कारगर वितरण के जरिये दिल्ली के लोगों के सपने और अकांक्षाएं पूरे करने के लिए अथक परिश्रम किया है। इसे संभव बनाने में शासन के सभी घटकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और एकजुट प्रयासों का योगदान रहा है। मैं इसके लिए सभी संबद्ध पक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं अपने वक्तव्य में सम्मानित सदन के समक्ष सरकार की पिछले तीन वर्षों की कुछ उपलब्धियों का भी जिक्र करूँगा। आगामी वित्त

वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट योजनओं का भी खाका पेश करूँगा साथ ही दिल्ली के वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों से संबंधित कुछ तथ्य भी सदन के समक्ष पेश करूँगा, लेकिन इसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण संदर्भ यहाँ सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में रखना चाहता हूँ। बजट पर आने से पहले ये जरूरी है कि मैं स्पष्ट कर दूँ कि सरकार किस इकॉनोमिक रीजन को सामने रखकर ये बजट पेश करती रही है। हमारी सरकार तीन साल से दिल्ली के आर्थिक विकास पर काम कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, न्यूनतम मजदूरी, स्किल आदि तमाम विषयों पर ऐसे बुनियादी पक्ष पर काम किया है जो आमतौर पर नजर और नजरिये से बाहर रहते थे। हमारे सामने कई बार ये सवाल आता है कि हमारी सरकार की आर्थिक नीति क्या है। हमारा लाँग टर्म इकॉनोमिक विजन क्या है। अगर मैं तीन साल की अपनी आर्थिक गतिविधियाँ और इससे निकल रहे दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य को एक शब्द में कहना चाहूँ तो है ट्रिकल—अप इकॉनोमिक्स। थोड़ी सी रोशनी मैं इस पर डालना चाहूँगा कि इससे मेरा आशय क्या है और ये देश और दिल्ली के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के लिए क्यों जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः हमारे देश में इकॉनोमिक को लेकर हमारा जो नजरिया रहा है, वो ट्रिकल डाउन इकॉनोमिक्स का रहा है। यानी बड़े बड़े चंद औद्योगिक घरानों और विदेशी निवेशकों को भारी भरकम टैक्स फ्री दीजिए, सब्सिडीज दीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए और उनकी मदद कीजिए और उनसे ये अपेक्षा रखिए कि इससे सब लोगों को फायदा मिलेगा। ये एक अच्छा नजरिया है, लेकिन इसके आम आदमी तक पहुँचने की एक सीमा है। अध्यक्ष महोदय, नब्बे के दशक से लेकर अब तक देश में जो भी पार्टी सरकार में रही, उसने यही मॉडल अपनाया हैं। देश भर के अखबारों

में आये दिन केन्द्र और राज्य सरकारों के पूरे पेज के विज्ञापन देखने को मिलते हैं कि किस तरह से देश या राज्य की सरकारें बड़े गाजे बाजे के साथ मेगा इंस्वेस्टर समय आयोजित करते हैं या फिर हमें ये भी खबर पढ़ने को मिलती है कि किस तरह से देश के बड़े लोन डिफॉल्टर्स देश के बड़े लोन डिफॉल्टर्स की सूची में सरकार के चहेते रहे, कौन कौन से उद्योगपति या प्रभावशाली लोग शामिल रहे हैं, ये भी हमें अखबार में पढ़ने को मिलता है। जब से देश में ट्रिकल डाउन इकॉनोमिक्स के मॉडल पर जोर दिया गया है, लगभग तभी से यानी नब्बे के दशक की शुरूआत से ही लगभग, दिल्ली में भी एक चुनी हुई सरकार की व्यवस्था लागू हुई। यह महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने भी लगभग शुरू से इसी आर्थिक मॉडल पे काम किया 'ट्रिकल डाउन इकॉनोमिक्स मॉडल' पर। सवाल उठता है कि इकॉनोमिक के इस परम्परागत मॉडल ने डिलिवर क्या किया है। अगर हम जीडीपी के संकुचित लेंस से, संकुचित लेंस जो जीडीपी का देखते हैं हम, उससे देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी इकॉनोमिक ग्रोथ हुई है, लेकिन देश के सब लोगों के नजरिये से देखेंगे तो समझ में आता है कि हमारे सामने विकास को लेके नई नई चुनौतियाँ आज खड़ी हुई हैं। आज हर आदमी ये जानता है कि हम जोब ग्रोथ के मामले में सबसे खराब स्थिति में पहुँच गये हैं। सरकार का अपना आर्गेनाइज और अन—आर्गेनाइज लेबर ब्यूरो डेटा, केन्द्र सरकार का आर्गेनाइज और अन—आर्गेनाइज लेबर ब्यूरो डेटा ये बताता है कि किस तरह 2013—14 के बाद से हम रोजगार वृद्धि की दर के मामलें में आजादी के बाद सबसे निचले पायदान पर पहुंच गये हैं। सबसे चिंता जनक संकेत 2018 की वर्ल्ड इनइक्वेलिटी रिपोर्ट्स से मिलते हैं। ये रिपोर्ट, एक वर्ल्ड इनइक्वेलिटी रिपोर्ट आती है हर साल, उससे मिलते हैं, ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में आर्थिक

असमानता किस तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहाँ देश के महज दस फीसदी लोगों की आय देश की कुल आय के करीब 56 परसेंट है, यानी दस परसेंट लोगों के पास 56 परसेंट इनकम है और टॉप के प्वाइंट वन परसेंट लोगों की ग्रोथ का आँकड़ा निचले पायदान पर खड़ी हुई 50 फीसदी की आबादी की कुल ग्रोथ से ज्यादा है। यानी कि 50 प्रतिशत लोएस्ट जो इकॉनोमिक क्लास है कन्ट्री की, उसकी ग्रोथ 0.1 प्रतिशत लोगों की ग्रोथ से कम है। आज हमारी आर्थिक असमानता की दर पहली बार, ये इम्पार्टेन्ट ऑकड़ा है अध्यक्ष महोदय, आज हमारी आर्थिक असमानता की दर पहली बार अमेरिका, रूस और चीन से आगे पहुंच गयी है। इन–इक्विलिटी की दर। ट्रिकल डाउन इकोनामिक्स के पैरोकारों को ये ऑकड़ा जरूर देखना चाहिए कि देश के आर्थिक नीति–निर्माताओं को इस सच्चाई को देखकर आर्थिक नीति बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्ताव किसी भी सरकार की आर्थिक नीतियों का ताना–बाना बुनता है। इसलिए आर्थिक नीतियों पर काम करने से पहले इन सवालों पर ध्यान देना जरूरी है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनामी होने का हमको फायदा क्या है? अगर हमारी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का उतना परसेन्ट भी खर्च नहीं कर रही है जितना कि बाकी ब्रिक्स के कन्ट्रीज कर रहे हैं और साक्र के देश कर रहे हैं। हम ब्रिक्स और साक्र से भी पीछे हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करने पर। हम कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनामी, ग्रोइंग इकॉनामी हैं। हम मेगा इन्वेस्टर समिट करते हैं। मेगा इन्वेस्टर समिट में एक के बाद एक अनगिनत समझौते होते हैं, दस्तखत होते हैं उन पर। इन सबको करने का फायदा क्या है? अगर हमारे पाँच साल से कम उम्र के एक–तिहाई

बच्चे कुपोषण के शिकार है। मेगा इन्वेस्टर समिट करते रहिए। अगर आपके पाँच साल से कम उम्र के एक–तिहाई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तो मेगा इन्वेस्टर समिट से क्या मिल रहा है और कक्षा छः, सात और आठ में पढ़ने वाले तीन–चौथाई बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक तक नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से। लाखों, करोड़ो डॉलर्स का विदेशी निवेश किस काम का है अगर हमारे इन्जीनियरिंग कालेज से निकलने वाले ग्रेजुएट में से सिर्फ सात परसेन्ट ही इम्प्लॉएबल हैं और देश में हर सेक्टर में स्किल मैनपॉवर की भारी कमी है। मेक इन इण्डिया में हम विदेशी नागरिकों को तो बुला सकते हैं, विदेशी निवेशकों को तो बुला सकते हैं, हम स्मार्ट सिटीज की बड़ी–बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं लेकिन दुनिया के बीस सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से नौ भारत के हैं और हमारे कस्बे से लेकर जिला के मुख्यालयों तक, सारे शहर ट्रैफिक जाम और धूल भरी सड़कों से अटके पड़े हैं तो चन्द स्मार्ट सिटीज देश की इकोनामी में क्या योगदान करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में आर्थिक परिदृश्य पर अपनी बात शुरू की थी कि दिल्ली में पिछले तीन साल में हमने ट्रिकल डाउन की ट्रिकल अप इकॉनोमिक माडल को अपनाया। ट्रिकल अप इकॉनोमी का सीधा सा मतलब है कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति बनाए जिनका सीधा लाभ गरीब और मिडिल क्लास नागरिकों को मिले और उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े। वो स्वस्थ रहें और उनकी आय भी बढ़े। यही इस सरकार का मात्र एक नारा है कि 'शिक्षित राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र।' 'शिक्षित राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र और समर्थ राष्ट्र।' ये हमारा कोई जुमला नहीं है। ये तो वो नारा है जो हमने पिछले तीन साल के काम से निकाला है। सरकार ऐसा भरोसा रखे। सरकार ये भरोसा रखे कि जब गरीब और मिडिल क्लास की समृद्धि बढ़ेगी, तभी ओवरऑल इकॉनोमी बढ़ेगी। इस भरोसे पर हम काम कर रहे हैं पिछले तीन साल से। अध्यक्ष महोदय, इसी नीति

पर काम करते हुए वित्त मंत्री के रूप में हमने अपनी सरकार के पहले बजट में शिक्षा का बजट लगभग दो गुना किया था और स्वास्थ्य का बजट लगभग डेढ़ गुना किया था। पिछले तीन साल से हम लगातार अपने सालाना बजट का करीब एक—चौथाई हिस्सा एजूकेशन पर खर्च कर रहे हैं। जो न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि सारे राज्यों के औसत शिक्षा खर्च 15.6 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। पूरे देश में एजुकेशन पर कुल मिलाकर 15.6 प्रतिशत खर्च हो रहा है और हम एक—चौथाई खर्च कर रहे हैं। आम आदमी के लिए अच्छे स्कूल बनाकर और सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराकर हम उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर सीधा असर डाल रहे हैं।

इसी तरह आम आदमी को बेहतरीन मोहल्ला क्लीनिक, पॉली क्लीनिक और जनोपयोगी स्वास्थ्य सुविधाओं की योजनाओं के माध्यम से बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराके हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली के आम परिवार की मेहनत की कमाई, मोटे—मोटे मेडिकल के बिल पर खर्च न हों। पिछले तीन साल में दिल्ली में हमने स्वास्थ्य पर अपने बजट का, सालाना बजट का 11.3 फीसदी खर्च किया है जबकि आपको हैरानी होगी कि सारे राज्यों का स्वास्थ्य पर कुल औसत खर्च 14.9 प्रतिशत तक सीमित है।

मैं यहाँ इस बात को भी रेखाँकित करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के साथ—साथ हम पर्यावरण पर भी काफी काम कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए सरकार इस बार, पहली बार ग्रीन बजट लेकर के आ रही है। हमारी सरकार ने अफोर्डेबल कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध कराई है। पिछले तीन साल से दिल्ली

के नागरिकों को देश के किसी भी बड़े शहर की तुलना में सस्ती बिजली मिल रही है। इस तरह निःशुल्क पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की योजना से न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को सीधे आर्थिक फायदा पहुंचा है, बल्कि 20 किलोलीटर की मासिक सीमा होने के कारण लोगों में पानी बचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और बड़ी संख्या में लोगों ने पानी के वैध कनेक्शन लिए हैं। इन योजनाओं की बदौलत सरकार ने 400 नई कालोनियों में घर–घर में पीने के पानी का कनेक्शन पहुँचाया है। आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले ऐसे कई खर्चों को सरकार की नीतियों ने कम किया है जिससे वह अपने इस पैसे को इस बचे हुए पैसे को अपने परिवार की खुशहाली के लिए खर्च कर सकें, बाजार में खर्च कर सकें या अपने खुद के बिजनेस आदि पर खर्च कर सकते हैं और अन्ततः जब ये सब पैसा बचता है, लोग खर्च करते हैं अपने–अपने हिसाब से तो उसका फायदा दिल्ली के इकॉनोमी ग्रोथ के रूप में सबको मिलता है। दिल्ली को मिलता है। यही वजह है कि हमने दिल्ली में मेट्रो किराये में भी दो गुना वृद्धि का भी पुरजोर विरोध किया था। ट्रिकल इकोनामी की दिशा में हमारी सरकार का सबसे बड़ा कदम रहा है, न्यूनतम मजदूरी की सीमा बढ़ाना। पिछले साल ही दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेजेज में 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। देश में आज सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में मिलती है। ये एक ऐसी नीति है जिससे दिल्ली में मेहनत करने वाले परिवारों के जीवन में सीधे–सीधे आर्थिक सुधार आ रहा है। इसी तरह आंगनवाड़ी वर्क्रर्स, आशा वर्क्रर्स और गेस्ट टीचर्स का वेतन भी ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया गया क्योंकि हमको ये यकीन है कि अगर आंगनवाड़ी वर्क्रर्स, आशा वर्क्रर्स, मजदूर, टीचर्स, इन सबकी आर्थिक प्रगति होगी तो पूरी दिल्ली की आर्थिक प्रगति होगी।

अध्यक्ष महोदय, ऊपर दिये गये तथ्य इस बात का प्रमाण हैं कि किस तरह से दिल्ली का ट्रिकल अप इकॉनोमिक मॉडल न सिर्फ दिल्ली बल्कि आज पूरे देश की जरूरत है। हमारा एक ही मंत्र है कि अगर दिल्ली के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी और उनके परिवार की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित ही दिल्ली प्रगति करेगी और इसके नतीजे हमारे सामने हैं। दिल्ली की ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी ग्रोथ लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली सरकार का बजट जो कि तीन साल पहले 30900 करोड़ रुपये था, इस साल डेढ़ गुने से ज्यादा बढ़ गया है। हमें खुशी है कि हमारी सरकार का इकॉनोमिक मॉडल दिल्ली के विकास में सहयोग कर रहा है और आगे आने वाले समय में यही देश की जरूरत भी बनेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के सम्बन्ध में आपके समक्ष, सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। नोटबन्दी के नाकारात्मक प्रभाव और जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यवधान के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था स्थाई विकास के सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2017–18 में बढ़कर 68600017 करोड़ रुपये पहुंच जाने की सम्भावना है जो 2016–17 में 61600826 करोड़ रुपये था। इसी तरह इसमें 11.22 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। विस्तष्त मूल्यों पर वास्तविक सन्दर्भ में दिल्ली के जीएसटीपी की ग्रोथ रेट 2017–18 में 1.14 प्रतिशत रहने की सम्भावना है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 6.6 है। 6.66 के मुकाबले 8.14 दिल्ली में। दिल्ली के जीएसटीपी में वास्तविक वार्षिक औसत बढ़ोत्तरी 2015–16 से 2017–18 की अवधि में 9.1 प्रतिशत रही है जबकि इसी अवधि के दौरान

राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में बढ़ोत्तरी 7.3 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2011–12 के 3.94 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 4.10 प्रतिशत हो गया है। ये उपलब्धि इसके बावजूद हुई है कि देश की कुल आबादी में दिल्ली की हिस्सेदारी करीब 1.4 फीसदी है। दिल्ली के अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर काफी इम्पार्टेन्ट है जिसकी हिस्सेदारी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में 85.92 प्रतिशत है। सर्विस सेक्टर दिल्ली में 85. 92 प्रतिशत है। इसके बाद 12.0 प्रतिशत माध्यमिक क्षेत्र और 2.04 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मूल्यों पर 2017–18 में बढ़कर 329093 रुपये हो गयी। जो कि 2016–17 में 300793 रुपये थी। इस तरह 2017–18 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम एवरेज में 9.41 पतिशत बढ़ा है जो कि अच्छा संकेत है और अगर इसकी राष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय स्तर की 112774 रुपये की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 2.92 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष संशोधित अनुमान रख रहा हूँ। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान 44370 करोड़ रुपये के प्रस्तावित हैं जबकि बजट अनुमान में ये राशि 48000 करोड़ रुपये अनुमोदित की गयी थी। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में खर्च की गयी 37263 करोड़ रुपये की राशि से 19.07 प्रतिशत अधिक है। 44370 करोड़ के प्रस्तावित संशोधित बजट व्यव में, राजस्व व्यय के लिए 36326 करोड़ रुपये और पूंजी व्यय के लिए 8044 करोड़ रुपये शामिल हैं। स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के रूप में 2017–18 के बजट अनुमान में अनुमोदित 29500 करोड़ रुपये 17–18 के संशोधित अनुमान में घटकर 28370 करोड़ रुपये रह गये

हैं। यह बचत सरकार द्वारा जनता के धन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से किए जाने का परिणाम है। कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत बजट में निर्धारित और अनुमोदित परिव्यय 18,500 करोड़ रुपये को संशोधित अनुमानों में कम करके 16,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। यह राशि 2016–17 में खर्च की गई 14,104 करोड़ रुपये की तुलना में 13.44 प्रतिशत अधिक है। ऋण–जीएसडीपी अनुपात 2014–15 के 6.57 प्रतिशत से घट कर 2017–18 में 5.03 प्रतिशत रह गया है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। इस प्रकार यह हमारे बेहत्तर राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है।

अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमान के अनुसार 1170.29 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगें अपेक्षित हैं। इसलिए मैं पूरक माँगों के लिए सदन की मंजूरी चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अगले वित्त वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कुल बजट अनुमान 53,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इसमें अगर आप देखें, ये इम्पोर्टेंट है, हमारी टीम ने एक चार्ट तैयार किया है कि 2011–12 में जो दिल्ली का बजट था, वो 26,402 करोड़ रुपये था। 2014–15 में 30,940 करोड़ रुपये था। हमारी सरकार जब बनी थी तो हमारी सरकार के बनने से तीन साल पहले का अगर डेटा देखें तो बजट 26,400 करोड़ से 30,940 यानी कि लगभग साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये उसमें ग्रोथ हुई। लेकिन पिछले तीन साल का डेटा देखें, जब से यह सरकार बनी है, 30,940 से अब बजट अनुमान 53,000 करोड़ रुपये

पर आ गए हैं। तो अगर देखें तो करीब 22,000 करोड़ रुपये तीन साल में तो आप, यह 'बी' है, मैं मानता हूँ इसमें एक–आध हजार करोड़ रुपये इधर–उधर होगा साल के अंत तक जाते–जाते। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी सरकार बनने के तीन साल पहले तक सरकार की ग्रोथ, सरकार का टैक्स कलैक्शन, सरकार का बजट क्या रहता था और अभी क्या है। पिछले तीन साल में, यह बताता है कि जब आप आम आदमी पर खर्च करते हैं तो आम आदमी की जेब से अपने आप टैक्स निकल कर सरकार के पास में आता ही आता है। आम आदमी की समृद्धि पर आप काम करिये। आम आदमी अपने आप सरकारों को भी समृद्ध करता है और सरकार वापस फिर आम आदमी को समृद्ध कर सकती है। राजस्व प्राप्तियों से, राजस्व व्यय पूरा करने के बाद वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान के अनुसार हमारे पास 4,465 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष रहेगा, जो कि वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में यह राशि 3,789 करोड़ रुपये और वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान में 3,921 करोड़ रुपये थी।

मैं स्थापना व्यय और प्रतिबद्ध देयताओं, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, भारत सरकार को ब्याज और मूलधन के भुगतान, जल और विद्युत सब्सिडी, डीटीसी को प्रचालन घाटा पूरा करने के लिए अनुदान, आदि के लिए 31,000 करोड़ रुपये और विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पूंजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 22,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव करता हूँ।

जो 53,000 करोड़ रुपये, हमने बताया कि प्रस्तावित बजट के लिए वित्तीय संसाधन में, उसमें से अध्यक्ष महोदय, 42,000 करोड़ रुपये कर राजस्व से प्राप्त होगा, 800 करोड़ रुपये गैर–कर राजस्व से प्राप्त होगा, 550 करोड़

रुपये पूंजी प्राप्तियों से होगा, 2,924 करोड़ रुपये स्मॉल सेविंग्स लोन से (लघु बचत ऋण से), 3,307 करोड़ रुपये सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम से, 450 करोड़ रुपये सामान्य केंद्रीय सहायता से, 325 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से, 675 करोड़ रुपये भारत सरकार से अन्य प्राप्तियों के रूप में और शेष धन प्रारंभिक शेष से जुटाएंगे। तो यह चार्ट आपके सामने है।

वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित बजट की राशि 53,000 करोड़ रुपये, वर्ष 2017–18 के 44,370 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 19. 45 फीसदी और 48,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 10.42 फीसदी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय निकायों के संबंध में अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूँ:– हमारी सरकार वर्ष 2018–19 में स्थानीय निकायों को 6,903 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो कुल बजट का 13 परसेंट है। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय जानकारी है तथा वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमानों में वर्णित राशि की तुलना में 9.88 परसेंट ज्यादा है। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगमों की खस्ता हालत को देखते हुए, हमने वर्ष 2017–18 और वर्ष 2016–17 में बकाया ऋण देयताओं की मूलधन और ब्याज राशि उन्हें जारी किए जाने वाले अनुदानों में से वसूल नहीं की थी। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, उससे पहले हमेशा प्रिंसिपल एमाउंट, इंट्रेस्ट एमाउंट काटा जाता था, हमने नहीं काटा। इसके अलावा आगे बढ़ा रहे हैं 13 परसेंट इस बार के बजट का पूरा 53,000 करोड़ का इनको दे रहे हैं। स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में मुख्य रूप से वर्ष 2018–19 में कर वसूली में 3,460 करोड़

रुपये की हिस्सेदारी, स्टॉम्प और पंजीकरण शुल्क तथा एकबारगी पार्किंग शुल्क में 1,805 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी शामिल है।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना मैं नगर निगम से संबंधित यहाँ रखना चाहता हूँ– इस वर्ष सरकार दिल्ली की ऐसी सड़कों और गलियों को ठीक करने के लिए, जिनको ठीक करने की इन प्रिंसिपल जिम्मेदारी, अंडर द लॉ, जिम्मेदारी नगर निगम की थी लेकिन वो अभी भी टूटी पड़ी हुई हैं वो बनी नहीं हैं। ऐसी सड़कों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि की मैं अलग से व्यवस्था कर रहा हूँ। इस पैसे के इस्तेमाल से सारी दिल्ली की छोटी–छोटी सड़कों और गलियों को सरकार ठीक कराएगी। बस इसमें एक ही पेच है, क्योंकि नगर निगम सड़कों को बनाने के लिए दिल्ली सरकार अगर एक्शन लेगी तो उसके लिए एलजी साहब को नगर निगम से एनओसी जारी करवानी पड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब दिल्ली के घर–घर तक सड़क पहुँच सके, इसके लिए एनओसी नगर निगम से जारी करवाएंगे। इस पैसे के इस्तेमाल से, मैंने बताया कि दिल्ली की छोटी–छोटी सड़कों और गलियों को ठीक कराया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आदरणीय उपराज्यपाल महोदय नगर निगम से इन सड़कों को ठीक कराने के लिए एनओसी दिलवा देंगे। सभी स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए भी 638 करोड़ रुपये की राशि भी दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने पहला बजट पेश किया था तो उसे हमने 'शिक्षा, स्वास्थ्य बजट' का नाम दिया था। पिछले साल पेश बजट में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ बजट–आउटकम यानी जनता के

टैक्स के पैसे को खर्च करके उससे मिलने वाले आउटकम पर ज़ोर दिया और उसका मैंने कल आउटकम बजट रिपोर्ट कार्ड भी सदन के समक्ष रखा। इसलिए हमने उसको आउटकम बजट कहा। इस वर्ष मैं इस बजट में ग्रीन बजट के नाम से एक और महत्वपूर्ण अंग जोड़ रहा हूँ।

अब मैं आपके समक्ष ग्रीन बजट के कुछ प्रस्ताव रखता हूँ। मैं अपनी सरकार की ओर से दिल्ली का पहला ग्रीन बजट इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ और सम्भवतः यह देश में किसी भी सदन में पेश किए जाने वाला पहला ग्रीन बजट है। हमने पिछले कई महीनों में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की बहुत सारी सम्भावनाओं पर अध्ययन किया है और उससे निकले हुए निष्कर्षों और योजनाओं को मैं इन बजट प्रस्तावों में पेश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा सम्भवत हूँ देश में यह पहला प्रयास है कि सरकार के विभिन्न विभागों की प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वैज्ञानिक अध्ययन करके उन्हें बजट प्रस्तावों में शामिल किया जा रहा है।

मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली सरकार के चार डिपार्टमेंट्स; पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के 26 कार्यक्रमों एवं योजनाओं को यानी कि 26 प्वाइंट प्रोग्राम को एक सूत्र में पिरो कर उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के एकीकृत प्रयास अभियान के रूप में जोड़ने की तैयारी की है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रहे ग्लोबल–थिंक–टेंक एक इंटरनेशनल ग्लोबल–थिंक–टेंक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। उसमें पर्यावरण के बहुत सारे दुनिया भर के विशेषज्ञ काम करते हैं। हमने अपने प्रस्तावों के संबंध में फाइनेंशियल नहीं, बल्कि आइडियाज के संबंध में उनसे चर्चा की। उसका नाम है 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' उसके

साथ सहभागिता करके हमने यह समझने की कोशिश की है कि वित्त वर्ष 2018–19 के लिए दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट प्रस्तावों का दिल्ली में प्रदूषण पर क्या असर पड़ेगा। मुझे सदन के समक्ष यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 26 प्वाइंट प्रोग्राम के प्रयास से प्रतिवर्ष दिल्ली में प्रदूषण उत्सर्जन में जो अनुमानित कमी होगी, वो इस प्रकार रहेगी–

कार्बन डाइऑक्साइड 20,98,000 मीट्रिक टन कम होगा। पीएम 2.5 503 मीट्रिक टन कम होगा। यह मैंने चार्ट भी दिया है। नाइट्रोजन ऑक्साईड 4,540 मीट्रिक टन नीचे आ सकता है। अगर हमने ये 26 प्रोग्राम ठीक से लागू कर दिया। सल्फर ऑक्साईड 9,364 मीट्रिक टन, वोलेटाईल आर्गेनिक 11,515 मीट्रिक टन और अमोनिया 136 मीट्रिक टन दिल्ली के पर्यावरण से नीचे आ सकती है। इन 26 प्वाइंट प्रोग्रोम के बदौलत।

अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बजट तैयार करने की प्रक्रिया में हमने अनुभव किया कि दिल्ली सहित देश के किसी भी शहर के बारे में ऐसी फेहरिस्त कभी तैयार नहीं की गई जिससे पता चल सके कि उस शहर की हवा में पूरे साल किस–किस समय, कौन–कौन से प्रदूषणकारी तत्व आते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं। न ही हमारे पास इस तरह की कोई फेहरिस्त है जिससे यह पता चल सके कि साल के किस महीने में, किस मौसम में वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले तत्व किन–किन कारणों से और कब–कब बढ़ते हैं। ऐसी कोई स्टडीज किसी शहर के बारे में नहीं की गई है। अगर हमें पॉल्यूशन से लड़ना है। हम कोई प्रोग्राम चला लें, हम कितना ही इनफोर्समेंट कर लें, जब तक हमारे पास में समस्या का पता नहीं होगा, समस्या के कारणों का पता नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन भी क्या निकालेंगे हम हवा हवाई

सॉल्यूशन निकालेंगे इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये डेटा बहुत जरूरी है। वित्त वर्ष 2018—19 में, दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहाँ प्रदूषणकारी तत्वों का रीयल डेटा पूरे साल इक्ट्ठा किया जाएगा और उनके कारणों का निरंतर अध्ययन किया जाएगा। ये कार्य वाशिंगटन युनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो 26 पाइंट प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन बजट में, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर यह रहेगा कि रीयल डेटा दिल्ली में पॉल्यूशन का, किस समय कितना पॉल्यूशन किस किस एलीमेंट से किन किन सोर्सेज से आ रहा है, इसकी पूरी आनलाइन स्टडी चलती रहेगी। इसी के साथ साथ पूरी दिल्ली में ग्रीनहाउस गेसों के उत्सर्जन की फेहरिस्त बनाने का काम भी शुरू होगा। यह कार्य विश्व के सबसे बड़े शहरों के समूह सी—40 सिटीज फार क्लाइमेट लीडरशीप के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कुछ प्रस्ताव/योजनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ। ग्रीन बजट से संबंधित पहले, पर्यावरण विभाग। पर्यावरण विभाग को साफ सुथरा रखना है अध्यक्ष महोदय, तो सबसे जरूरी है, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना यानी कि दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा। दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की दिशा में सरकार पिछले तीन साल में मिशन मोड में काम करती आई है। इस साल दिसंबर, 2017 तक साढ़े पाँच लाख पौधे पहले ही लगाए जा चुके थे। मार्च, 2018 तक तीन लाख और पौधे लगाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा डिवाइडर और सड़क के किनारे पर सिविल एजेंसीज द्वारा 7.93 लाख पौधे और लगाए जाएंगे। छोटे छोटे वन जिनको झाड़ियां कहते हैं, वो पेड़ पौधे लगाए गए।

नागरिकों को साढ़े तीन लाख पौधे निःशुल्क वितरित किये गये ताकि वे अपने घरों के पीछे आंगनों में उन्हें लगा सकें। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और दिल्ली का हरित क्षेत्र 2015 में 299.7 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2017 में 305.41 वर्ग किलोमीटर हो गया। अगले साल सरकार आरडब्लूऐज मार्क्रिट एसोसिएशन और एनजीओज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी में है। इसके लिए एयर एंबियंस फण्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने पिछले बजट में घोषणा की थी कि दिल्ली को कीकर मुक्त बनाया जाएगा। सेंटर रिज एरिया में विलायती कीकर के स्थान पर नये पौधे लगाने की योजना भी शुरू कर दी गई है। गगनचुंबी कंक्रीट इमारतों से लेकर अनियमित कालोनियों तक के बीच हरे भरे क्षेत्र विकसित करने के लिए शास्त्री पाक्र, ताज इन्क्लेव, नसीरपुर, मुखमेलपुर और मित्राउ में कई सिटी फॉरेस्ट विकसित किए गए हैं। इसके अलावा तुगलकाबाद में बटरफ्लाई पाक्र बनाया गया है। 2018–19 में जौनापुर, आया नगर, डेरामंडी, बेला फार्म, गढ़ी मांडू पाकेट–ए और अलीपुर में नए सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा सेन्ट्रल रिज में वॉकिंग ट्रेल विकसित किए जाएंगे। वॉकिंग ट्रेल अपने आप में दिल्ली में एक अलग, क्योंकि अभी तक डीप फॉरेस्ट में जाकर पहाड़ों में जाकर लोग वॉकिंग ट्रेल पर जाते थे। ये दिल्ली में भी विकसित करेंगे, सेन्ट्रल रिज में जिससे नागरिकों को दिल्ली में हो रहे घने वष्क्षों के बीच सांस लेने का अनुभव और मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि वॉकिंग ट्रेल की इस योजना को भी माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया जा सकेगा।

दिल्ली को हरा भरा बनाए रखने के अलावा प्रदूषण से लड़ने के लिए कई नई प्रोत्साहन योजनाएं भी सरकार ने तैयार की हैं। सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इंडस्ट्रियल युनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करेगी क्योंकि अभी वहाँ उनको जो फ्यूल है, इंडस्ट्रीज का, वो भी कई बार पॉल्यूटेड होता है, पॉल्यूशन फैलाने वाला होता है। इसके लिए सरकार एक लाख रुपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से देगी, अगर वो पीएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो। इसी तरह दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में भी कोयला तंदूर काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली में, उसकी जगह इलेक्ट्रिक या गैस तंदूर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके लिए पाँच हजार रुपये प्रति तंदूर तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी क्योंकि पूरी दिल्ली में खूब लाखों तंदूर चलते हैं लेकिन अगर उनसे जो रोज पॉल्यूशन निकलता है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए ये प्रोत्साहन राशि है। साथ ही 10 केवीए या इससे अधिक क्षमता के डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले व्यवसायियों को भी स्वच्छ ईंधन पर आधारित इलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये तो होता है हमेशा, जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है, हम लोग, कुछ लोग बंद कमरों में बैठते हैं और आदेश पारित कर देते हैं, 'अब से दिल्ली में जनरेटर बैन।' किसी की फैक्ट्री चल रही है, किसी की दुकान चल रही है, किसी के घर में शादी है या किसी का कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, वो क्या करेगा, हमको चिंता नहीं होती। हम तो बस बंद कमरों में बैठकर आदेश पारित कर देते हैं जी, 'बैन।' लोग हमारे पास आते हैं, 'भई, शादी कैसे करें? क्या करें? तो इसके लिए सरकार ने योजना बनाई

है इलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल करने को प्रमोट करने के लिए और इसके लिए 30 हजार करोड़ रुपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। जो लोग डीजल से इलेक्ट्रिक जनरेटर पर स्विच करेंगे। दिल्ली के नागरिकों को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बनाने और इसके खतरे के प्रति हर पल सतक्र बनाने के उद्देश्य से पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी कार्यालयों में वायु प्रदूषण के लेवल की जानकारी देने वाले करीब एक हजार इंडोर डिसप्ले पैनल लगाए जाएंगे। इससे हर वक्त पता चल सकेगा, आदमी कहीं जा रहा है, पब्लिक आफिस में गया, अभी क्या है, कहीं तीन चार जगह पता चलता है, कितना पोल्युशन है। फिर लोगों को लगता है अच्छा पॉल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त जिधर आप जाओ पॉल्यूशन का आपको डिस्प्ले मीटर दिखता रहेगा, ताकि आपको पता चले। आपको कूड़ा फेंकते वक्त, पॉल्यूशन फैलाते वक्त भी ध्यान रहना चाहिए, वो डेटा इम्पोर्टेंट है। तो आदमी के सामने डेटा पब्लिक स्पेस में रहे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के पूर्वानुमान के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से एक मॉडल डेवलप किया जाएगा ताकि किसी विशेष परिस्थिति के कारण, जैसे कि सर्दी के दौरान दिल्ली में स्मॉग की मात्रा अचानक बढ़ती है, इसकी जानकारी पहले से हो सके। जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगता है, ऐसे ही पॉल्यूशन के कारकों का पूर्वानुमान लगाया जा सके, इसके लिए।

ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट, ग्रीन बजट।

हमारी सरकार दिल्ली के डीटीसी और कलस्टर सहित संपूर्ण बस बेड़े को वातावरण अनुकूल फ्यूल टेक्नोलॉजी की ओर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। आगामी वर्ष में हम दिल्ली में एक हजार इलेक्ट्रिक बसेज लाने की तैयार

कर रहे हैं। ये मेरे 26 पाइंट ग्रीन बजट प्रोग्राम का एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है, अध्यक्ष महोदय, 'एक हजार इलेक्ट्रिक बसेज दिल्ली में।' मुझे लगता है, ये देश के किसी भी शहर में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा और वस्तुतः चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी शहर में सबसे बड़ा बेड़ा इलेक्ट्रिक बसेज का होगा, जिस दिन ये रोड पर आ जाएगा। इस योजना को भी, इसमें बस पेंच यही है, हम ये कह दें, 'आउटकम में भी ले आएंगे।' इसके लिए सारी स्कीमें बना लेंगे लेकिन अगर एलजी साहब अगर छः महीने तक घुमाते रहे, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा, यहाँ बजट पेश करते हुए। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब सुन भी रहे होंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इस योजना को भी माननीय उप–राज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, ये कदम साबित करता है कि हमारी सरकार दिल्ली के लोगों के लिए कितनी समर्पित है और हम दिल्ली को आधुनिक, प्रभावशाली, भरोसेमंद और वातावरण अनुकूल, बस परिवहन व्यवस्था देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ परिवहन विभाग मेट्रो स्टेशन के पास 'लास्ट माइल क्नेक्टिविटी' देने के लिए डीएमआरसी के बेड़े में भी 905 इलेक्ट्रिक फीडर व्हीकल अलग से शामिल करने की योजना बना रहा है। एक हजार इलेक्ट्रिक बसें अलग, 905 कनेक्टेड बसेज अलग, फीडर व्हीकल।

मैंने अध्यक्ष महोदय, 2016–17 के ई–बजट में ई–रिक्शा मालिकों को तीस हजार रुपये की एक बार की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। हमारी सरकार ने ये फैसला भी किया है कि ये लाभ उन सभी ई–रिक्शा मालिकों को भी दिया जाए जो 1 जुलाई, 2015 से 1 अप्रैल 2016 के बीच रजिस्टर

किए गए। इस तरह 1 जुलाई 2015 से 1 अप्रैल 2016 के बीच पंजीकृत सभी ई–रिक्शा मालिकों को तीस हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, भले ही उनके आवेदन विभाग में विचाराधीन हों या उन्होंने नये सिरे से आवेदन किया हो। इसके अतिरिक्त एयर एंबियंस फण्ड से 15 हजार रुपये उन ई–रिक्शा मालिकों को भी दिये जाएंगे जिन्हें 15 हजार रुपये की पुरानी दर से भुगतान किया गया था। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबेलिटी को और बढ़ावा देने के लिए विस्तृत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर रही है इसमें खासकर के बीएस–2 और बीएस–3 टू–व्हीलर्स टैक्सी और कमर्शियल गुड्स कैरियर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का खाका बनाया जाएगा। बार बार जब भी हम आड–ईवन की बात करते थे। जब भी हम पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बंद कमरों में बैठकर जो बात होती है... मोटरसाईकिल वालों को देखिये। मोटरसाईकिल को बैन करिए। मोटरसाईकिल इस देश का आम, गरीब से गरीब आदमी जो बिलकुल भी कार अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो आज ओला ऊबर अफोर्ड नहीं करता, आटो तक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बाईक पर चलता है। हम उसके लिए आराम से बैठकर सोचना चाहते हैं। उसके लिए पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि वो बीएस–2, बीएस–3 और इन सबके व्हीकल्स को कैसे हम क्लीन एनर्जी की तरफ लेकर चले जाएं, क्लीन व्हीकल की तरफ लेकर चले जाएं और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टैक्सी और कमर्शियल गुड्स... क्योंकि एक आम आदमी कार चलाता है, मान लीजिए मैं अपने दफ्तर कार से जाता हूँ, तो एक घंटा कार का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी निजी कार का, लेकिन अगर मैं टैक्सी यूज करता हूँ, तो वो टैक्सी तो 18–20 घंटे लगातार चल रही है शहर में और वो पॉल्यूशन फैला रही है। तो सबसे

पहले सरकार इस पर फोकस कर रही है। उसकी पॉलिसी बनाने पर फोकस कर रही है। निजी उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर तो सरकार पहले ही सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही निजी कारों की खरीद के लिए पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर 50 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्जेज में छूट का सरकार प्रावधान करेगी। लेकिन इस योजना को भी माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा। ये फ्लैग करना महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा हुआ जब सदस्यों ने तालियाँ बजाईं, मेज थपथपाई, मुझे लगा अच्छी योजना है तो मैंने कहा इनको बता दूँ, अच्छी तो है लेकिन आपके और इस ताली के बीच में कहीं एलजी साहब का हाथ आ गया, तो बीच में चल नहीं पाएगी, इसकी तालियों की आवाज नहीं आएगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ओवरलोडेड ट्रक्स के खिलाफ अभियान चलाने के लिए परिवहन विभाग के इन्फोर्समेंट विंग को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए बुराड़ी, सराये काले खॉ, ये ये कैरेक्टरिस्टिक, दोनों तरह की चीजे हैं। आप पॉल्यूशन कन्ट्रोल करने में मदद करना चाहते हैं, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? आपको सरकार प्रोत्साहन दे रही है और फिर भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन में बढावा हो रहा है, जैसे ओवरलोडेड ट्रक हों तो वहाँ स्ट्रिक्ट भी है। कैरेक्टरिस्टिक दोनो का इसमें ग्रीन बजट है। ओवर लोडिड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को मजबूत कर रही है सरकार।

इसके लिए बुराड़ी, सराय काले खाँ और द्वारका स्थित इम्पाउडिंग पिटस पर वेईंग ब्रिज बनाए जा रहे है और निगरानी के लिए साठ नए वाहन जिसमें आफिसर्स के पास बॉडी कैमरा इन चालानिंग टैब भी होंगे, ये खरीदे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय वाहन प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिए पॉल्यूशन अण्डर कन्ट्रोल प्रोग्राम को ओर प्रभावशाली बनाया जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिकों को एसएमएस अथवा फोन से रिमाईंडर भेजने और पीयूसी सेन्टर्स का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की व्यवस्था करनी है। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध टैक्नोलोजी संस्थान एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।

अब ग्रीन बजट के सम्बन्ध में उर्जा विभाग के 26 प्वांइट प्रोग्राम के बजट प्रोग्राम्स। उर्जा विभाग के अन्तर्गत रिन्यूवल एनर्जी के लिए कई ऐसी पहल की जा रही है जिससे दिल्ली में फॉसिल फ्यूल आधारित बिजली उत्पादन पर दिल्ली की निर्भरता कम से कम हो सके। दिल्ली में कुल अनरेबल एनर्जी क्षमता फरवरी 2018 तक 133 मेगावाट थी जिसमें 81 मेगावाट और सौर उर्जा 52 मेगावाट कचरे से उर्जा संयत्रों से मिलने वाली बिजली शामिल है। चौहत्तर मेगावाट और उर्जा संवर्धन का कार्य प्रगति पर है। चौहत्तर मेगावाट सौर ऊर्जा संवर्द्धन का कार्य प्रगति पर है। इससे दिल्ली में कार्बन और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों का उर्त्सजन नीचे लाने में सफलता मिलेगी। सरकार सौर और पवन आधारित बिजली उत्पादन केन्द्रों से, आने वाले वर्षो में, एक हजार मेगावाट ग्रीन पावर खरीदेगी। दिल्ली में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढावा देने के लिए सरकार ने सीमित समय के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए सौर ऊर्जा नेट मीटर कनैक्शन से 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर तीन साल के लिए दो रुपये प्रति युनिट की दर से सौ सौर ऊर्जा खरीदने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों की छतों पर, आमतौर पर खाली पड़ी रहती है, कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता है। और यहाँ एनर्जी ईश्यू है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और बड़ा ईश्यू है। तो अगर लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो नेट मीटरिंग करके उनसे दिल्ली सरकार परचेज करेगी। अगर वो एक्ट्रा पावर प्रोडयूस कर रहे हैं। नेट मीटरिंग में सबसे बडा फायदा ये है कि वहीं की वहीं, वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका बिल कम होता रहेगा। वो जितना प्रोडयूस करेंगे, उनसे सरकार खरीद भी सकती है। उसके लिए ये योजना है। हमारी सरकार स्कूलों मण्डियों और विभिन्न सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयत्र लगवाने के लिए एक ग्रुप नेट मीटरिंग पॉलिसी लाएगी ताकि दिल्ली में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। इस वर्ष के ग्रीन बजट में सरकार पायलेट स्तर पर एग्रीकल्चर कम सोलर फार्म स्कीम के तहत एक नई योजना ला रही है। खूब खेत हैं दिल्ली में। बाहरी दिल्ली में चले जाइए तो किसान बहुत हैं। कई जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। इसके तहत दिल्ली के खेतों में फसल की ऊँचाई से ऊपर उठाकर सोलर पैनल स्थापित करने की प्रोत्साहन योजना देने की योजना है। प्रयोग इसके दुनिया भर में हो रहे हैं और दिलचस्प बात ये है कि इसमें किसान जो है, वो सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ—साथ अपनी खेती भी जारी रख सकता है। तो इससे दिल्ली में खेती बाड़ी में लगे लोगों को अतिरिक्त आय होगी। ये एक किसानों के लिए एक अच्छी योजना है। सरकार बिल्डिंग एनर्जी एफिसिऐन्शी प्रोग्राम अगले साल से लागू करने जा रही है। इसके तहत विभिन्न कार्यालयों और इमारतों का पावर कंजम्शन ऑडिट किया जाएगा। अभी कितनी बिजली, किस विभाग में, किस इमारत में खर्च हो रही है, ये

आडिट नहीं होता। जबकि नई–नई टैक्नोलोजी आ रही हैं। पुरातन टैक्नोलॉजी चलती चली जा रही हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा कन्जम्पशन होता है। तो इसका ऑडिट कन्जम्पशन ऑडिट करेंगे और इसकी शुरूआत जो हमारा ऊर्जा विभाग है, वो अपने अधीन इमारतों से शुरू करेगा। सरकार अगले वर्ष से दिल्ली में बनने वाली कमर्शियल बिल्डिंग्स पर बिजली खपत करने के लिए एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग को ईसीबीसी लागू करेगी। यह कोट सौ किलोवाट या उससे अधिक की खपत वाली इमारतों या 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लाट पर बनी इमारतों पर लागू होगा। ये योजना भी माननीय उप राज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद ही लागू हो पाएगी।

अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बजट 26 प्वाइंट प्रोग्राम में पीडब्ल्यूडी के कुछ प्रोग्राम्स हैं। दिल्ली में सडक के किनारे और वाहनों से उड़ने वाली धूल, प्रदूषण का एक बहुत बडा कारण है। इस वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों की लैंड स्केपिंग की योजना बना रही है। इसके तहत सड़क पर धूल ना उड़े, इसके लिए सडकों के आसपास की सभी कच्ची जगहों को घास और पौधे लगाकर उसे डेकोरेट किया जाएगा, सुसज्जित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी अन्तिम मंजूरी तो एलजी साहब से मिलने के बाद ही हो पाएगा। लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी लाइटस को एलईडी लाइटस में बदलने का काम एस्को मॉडल के तहत किया जाएगा।

और एक और इम्पोर्टेंट योजना। लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर एक पायलेट योजना के तहत 16 किलोमीटर तक साईकिल ट्रैक के ऊपर सौलर पैनल लगाए जाएंगे। तो सोलर पैनल से वहाँ उस स्पेस का इस्तेमाल करके, मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष महोदय, कि 26 प्रोग्राम के प्रयासों से दिल्ली

के वातावरण में प्रदूषण का प्रभाव कम करने में काफी मदद मिलेगी। कई योजनाओं के लिए सरकार ने अलग से फंड की व्यवस्था की है। और कई योजनाओं के लिए एलएमबीएस फंड और एनवायरमेंट कम्पन्शेसन चार्जिज का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन से सिर्फ दिल्ली के लिए योजनाएं बनाकर नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसी तरह का अभियान चलाना होगा, जैसा अब दिल्ली सरकार चलाती आई है या आगे चलाएगी। एनसीआर में शामिल सभी सरकारों में इसमें शामिल होना पड़ेगा और यह तभी सम्भव है जब इसमें केन्द्र सरकार पहल करे।

अध्यक्ष महोदय, अब तक मैने जो 26 प्वाइंट प्रोग्राम रखे, वो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एकीकृत प्रयासों का एक प्रस्तुतीकरण था जिसको मैंने ग्रीन बजट का नाम दिया। अब मैं वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आपके समक्ष अलग–अलग क्षेत्रों के कुछ और बजट प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। ऊर्जा क्षेत्र में तीन साल पहले बिजली की महंगाई दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या थी। अभी मैने तीन साल का डेटा आपके सामने रखा है, इकॉनोमी का। और उससे पहले के तीन साल का भी रखा। तो तीन साल से, जब से यह सरकार आई है, उससे पहले बिजली की महंगाई दिल्ली में एक बड़ी समस्या थी। आसमान छूती हुई कीमतें और उस पर लगभग हर साल कीमतों में बढोतरी। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने दिल्ली में आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आधे दाम में बिजली उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था और तब से यानी पिछले तीन साल से दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढे हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सस्ती

बिजली ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। बल्कि हम जानते हैं कि इकॉनोमी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक आम आदमी के जैसे देश की इकॉनोमी है, राज्य की इकॉनोमी है, वैसे आम आदमी के परिवार की इकानोमी है। तो आम आदमी के दिल्ली के आम परिवार की इकॉनोमी में ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। सस्ती बिजली से दिल्ली के आम आदमी के परिवार की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, दिल्ली की ओवर ऑल इकॉनोमी पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आज दिल्ली में करीब 37 लाख 28 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को यानी कि आप उम्मीद करिए अध्यक्ष महोदय 37 लाख 28 हजार परिवारों को कितने लोग होंगे, अगर एक परिवार में तीन चार सदस्य भी हों। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को तीन साल पहले के मुकाबले आधे दाम पर बिजली मिल रही है और लगातार तीन साल से मिल रही है। ये दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 82.84 परसेंट है, यानी कि एक योजना बनाकर सरकार किस तरह से 82 परसेंट आबादी को, 82 परसेंट परिवारों को किस तरह से उनकी इकॉनोमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। इसी को मैंने इसी लिए नाम दिया था 'ट्रिकल अप इकानोमी।' ये योजना आगे भी जारी रहेगी और इसके लिए बजट में 1720 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं 2018—19 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2190 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

परिवहन विभाग।

दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहनों की कुल संख्या अन्य महानगरों में पंजीकृत निजी वाहनों की संख्या से बहुत अधिक है। इससे न केवल सड़कों पर भारी वाहनों की भीड़ रहती है बल्कि सड़क दुर्घटनाएं भी होती है और इंधन व्यर्थ होता है। इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक प्रणाली में परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए निरन्तर

अथक प्रयास किये हैं। डीटीसी कर्मचारियों, क्योंकि सिर्फ बस खरीदने से काम नही चलेगा। बस तो खराब करके खड़ा कर देते हैं। डीटीसी को चलाने वाला ड्राईवर, उसका स्टाफ सन्तुष्ट नहीं है तो कैसे आप नए—नए बेड़े में खड़ी करते रहो बसें। इसीलिए मैंने परिवहन विभाग का सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव मेरी तरफ से जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। डीटीसी कर्मचारियों को और पैंशन धारियों को उनका वेतन और अन्य भत्ते समय पर मिलते रहें, ये सरकार की जिम्मेदारी है, तब डीटीसी चलेगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने डीटीसी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुसार बकाया भुगतान और डीटीसी पैंशन धारियों का महंगाई भत्ता आदि देने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रस्ताव किया है। इससे सभी बकाया भुगतान किये जा सकेंगे। और इसका लाभ 41 हजार कर्मचारियेां और पैंशनधारियों को मिलेगा। डीटीसी के ऑपरेटिंग व्यय और उपरोक्त निर्णय की पूर्ति के लिए 2017—18 में बजट अनुमान 1642 करोड़ रुपये से बढाकर संशोधित अनुमान 2107 करोड़ किये जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में ऑटो रिक्शा परमिट का मुद्दा कई साल से लम्बित पड़ा था। 2017—18 के दौरान सरकार ने अथक प्रयास करके 10 हजार नए आटो परमिटस को मंजूरी दी। इसमें से 8600 परमिट जारी किये जा चुके हैं और बाकी जल्द ही जारी कर दिये जाएंगे। दिल्ली में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 12 ऑटोमैटिक ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक पर काम शुरू किया है। मारूति सुजुकी फांउडेशन की सहभागिता से यह योजना 2018—19 में पूरी हो जाएगी। इसका उद्देश्य है ड्राईविंग टैस्ट लेते वक्त कम से कम मानवीय हस्तक्षेप हो और जो ड्राईविंग टैस्ट देने वाला आया ड्राईवर है, उसकी ड्राईविंग स्किल्स की बारीकियों को तकनीकी मदद से जांचा जा सके।

सरकार अगले कुछ हफ्तों में रोड सेफ्टी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करेगी और जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी का फण्ड भी स्थापित करेगी। 2018–19 के दौरान डीटीसी के बेड़े में स्टैण्डर्ड साईज की एक हजार बसें जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। मैं डीटीसी द्वारा बसों की खरीद के लिए 2012–13 में जारी की जा चुकी 199.55 करोड़ रुपये की राशि के अलावा 2018–19 में डेढ़ सौ करोड़ रुपये की राशि के व्यय के प्रस्ताव करता हूँ। इसी के साथ–साथ लगभग एक हजार और नई कलस्टर बसें चलाई जाएगी। मैं कलस्टर बसों की वॉयबिल्टी गैप फण्डिंग के लिए 2018–19 में 405 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, ये जो एक हजार डीटीसी बसेज हैं और ए हजार कलस्टर बसेज हैं, इनके खरीदने के लिए सरकार ने पूरी टाईम लाइन तैयार कर ली है और डिपार्टमेंट से बात करके पूरी टाईम लाइन हमने बनाई है। ये इस बजट से एक नई शुरूआत हम कर रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं कि उनमें से प्रमुख अनाउंसमेंट क्या हम एक तरह से टाईम लाइन ही बजट में पेश करेंगे कि कब होगा। मैंने इसको बजट के अगले हिस्से में मैंने बजट में इंट्रोड्यूस किया है, उसमें रखूंगा। बसों में इलैक्ट्रिोनिक टिकिटिंग के जरिए स्वतः किराया इकट्ठा करने की व्यवस्था कलस्टर बसिस में पूरी तरह लागू कर दी गयी है। डीटीसी ने भी अपनी बसों में इलैक्ट्रिोनिक टिकिटिंग मशीन प्रणाली चालू करना शुरू कर दिया है। एक ही मोबिलिटी कार्ड कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा की एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत जनवरी 2018 से डीटीसी की 250 कलस्टर बसों में शुरू की गयी थी जिसे अप्रैल 2018 से सभी बसों में लागू किये जाने की योजना है। इनमें ईटीएम का इस्तेमाल करते हुए, किराए का भुगतान, दिल्ली मेट्रो रेल

कार्ड के जरिए किया जा सकेगा। डीटीसी द्वारा खरीदी जाने वाली नई बसों और कलस्टर योजना के तहत शामिल की जाने वाली बसों की पार्किंग के लिए सात बस डिपो; डिचाउं कलां में दो, बवाना सैक्टर एक डिचाउं कलां दो, बवाना सैक्टर एक, रेवला खानपुर, रानी खेड़ा एक, रानी खेड़ा दो, रानी खेड़ा तीन और द्वारका सैक्टर 22 में पूरे कर लिए गए हैं। खरखरी नहर का बस डिपो मार्च 2018 में पूरा कर लिया जायेगा। छः नए बस डिपो घुम्मनहेड़ा, मुण्डेला कलां, रोहिणी सैक्टर 37, ईस्ट विनोद नगर, बवाना सैक्टर पाँच, वीआईयू बुराड़ी भी 2018 में बनाये जायेंगे। इसके लिए मैं 80 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान करता हूँ। हमारी सरकार ने सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन के लिए कई कदम उठाए हैं। डीटीसी की रात्रि सेवा में विस्तार कर 24 मार्गों पर 85 बसें चलाई जा रही हैं जबकि पहले आठ मार्गों पर केवल 38 बसें चलती थीं। डीटीसी में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस चालकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का एक कार्यक्रम भी चला रही है। महिला यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए डीटीसी की बसों में 2370 सिविल डिफेंस मार्शल और 120 होमगार्ड पहले ही तैनात किए जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एजुकेशन पर बात करूंगा। हमारी सरकार दिल्ली को देश की क्वालिटी एजुकेशन कैपिटल बनाने के लिए दूरदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही है। 2018–19 में बजट आबंटन में शिक्षा के क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी कि 26 परसेंट है। मैं 2018–19 के लिए शिक्षा के लिए 13997 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। यहाँ मैंने पहले इसके बारे में जिक्र किया था, जब मैं इकोनॉमी विजन पे बात कर रहा था। ये डेटा आपके सामने है। इस बार हम 26 परसेंट प्रस्ताव

कर रहे हैं, उससे पहले 23.5 परसेंट था। अगर आप और उससे पहले, हमारे तीन साल के सरकार का ये डेटा है, इसमें जो कलर्ड जो दूसरा कलर का डेटा है, ये देश के बाकी राज्यों द्वारा किया जा रहा शिक्षा पे खर्च है। तो देश के बाकी राज्य 15.4 उससे ऊपर 15.6 ये आरबीआई के सोर्सिज से लिया गया डेटा है, और खर्च कर रहे थे। ये पिछले साल का डेटा भी आरबीआई का आया नहीं है और ये तो करंट नेकस्ट फाईनेंशियल ईयर का है। लेकिन कैसे बाकी राज्यों से आगे... जब मैंने ये कहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन कैपिटल बनाना चाहते हैं दिल्ली को, तो ये इंपोर्टेण्ट फिगर है। 2018—19 में शिक्षा के लिए जो 13997 करोड़ रुपये हैं, उसमें से 13238 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 759 करोड़ रुपये पूंजी व्यय से संबद्ध हैं। शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 6019 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। वर्ष 2018—19 में प्रस्तावित 6019 करोड़ रुपये का परिव्यय 2017—18 के संशोधित अनुमानों में प्रस्तावित शिक्षा क्षेत्र में 3083 करोड़ रुपये के परिव्यय से 95 परसेंट अधिक है और 3525 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 70 परसेंट अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त क्लास रूम, नये स्कूल भवन, खेल के मैदान, स्वच्छ शौचालय सुविधाओं आदि के निर्माण के संबंध में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के संवर्द्धन के लिए भारी निवेश को हमने प्राथमिकता दी है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, वर्तमान विद्यालयों में फ्री स्कूल क्लासेज अलग शुरू करना, शिक्षण को दिलचस्प बनाना, शिक्षा को खेल गतिविधियों के साथ जोड़ना आदि ऐसे संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं जिन पर दिल्ली सरकार 18—19 के दौरान जोर देगी। सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों में सुध ाार लाने, उच्च शिक्षा में अधिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने, विद्यार्थियों को

स्कॉलरशिप के जरिए उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान यानी रिसर्च और डेवलपमेंट की गतिविधियों को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

एजुकेशन, सिर्फ स्कूल की हम बात नहीं कर रहे हैं, रिसर्च तक लेके जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पहले साल में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया। अब ये काम अपनी गति पकड़ चुका है। इसके बाद दूसरे और तीसरे साल में हमने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दिलाने का काम शुरू किया, ये काम भी अब गति पकड़ चुका है। अगले साल से हमारी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम 'हैप्पीनेस कैरिकुलम' के नाम से लेके आ रही है। इसके तहत नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ विकसित की जा रहीं हैं ताकि कम उम्र में ही बच्चों को प्रसन्न रहने, आत्मविश्वास अर्जित करने और अपने व्यक्तित्व के विकास करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐसे घटक शामिल किये जायेंगे जो आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने वाले और तनाव तथा चिंता कम करने वाले हों, साथ ही निराशा से बचने में मददगार और शिक्षा एवं काम पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता देने वाले हों। रचनात्मक हों और महत्वपूर्ण ढंग से सोच को बढ़ावा देने वाले हों। शिक्षा में ऐसा समग्र दृष्टिकोण अपनाने से बच्चे के स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण और उन्हें खुशहाल जिन्दगी जीने में व सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अध्यक्ष महोदय, बदलाव आया है, उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा लेकिन उसके पहले हमने दो साल में मेगा

पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि हम मानते हैं कि शिक्षा सफल बनाने के लिए स्कूल और घर के सम्मिलित प्रयास की जरूरत है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स वर्कशाप की भी शुरूआत करेंगे ताकि माता—पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय सकारात्मक भूमिका निभा सकें। ये इसलिए इंपोर्टेण्ट है अध्यक्ष महोदय, कि कल ही हमारे सदन में एक बच्ची के बारे में चर्चा हुई। ये बच्ची... आज भी उसके बारे में अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत होनहार बच्ची थी। अखबार में जो रिपोर्ट मिली है संयोग से मेरी भी कुछ पारिवारिक जानकारी निकली उनसे। ये बच्ची संगीत में, आर्ट में टेलेंटिड थी। उसके साथ उसके पढ़ने वाले बच्चे ने कल शाम को मुझे बताया रोते हुए कि वो हमारे स्कूल का स्टार थी। किसी स्कूल की स्टार बच्ची, क्लासरूम की स्टार बच्ची, इसलिए सुसाईड कर ले कि वो दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रही है उसकी। ये ऐसी घटना है जिसको हम सब को, चाहे वो जहाँ जिस कुर्सी पे बैठे हुए लोग हों, सबको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हम एजुकेशन के माध्यम से इस देश में प्रैशर बना रहे हैं या इस देश को जीने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए हैप्पीनेस कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए हम पेरेंटिंग की वर्कशाप की बात कर रहे हैं। इस पूरी घटना से हमें सबक लेने की जरूरत है कि एक स्टार बच्ची जो म्यूजिक में, डांस में स्टार थी स्कूल की, वो अगर दो सब्जेक्ट में फेल हो भी गयी तो ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसने सुसाइड जैसा कदम कैसे उठाया। हमने उसको भरोसा ही नहीं दिया कि बेटा तुम म्यूजिक के दम पे, आर्ट के दम पे एक बहुत बढ़िया इंसान हो। हम उसको उसके मार्कशीट और उसके

कंपार्टमेण्ट के बेस पे तोलने की कोशिश करते रहे। इसीलिए मैंने कहा कि हैप्पीनेस करिकुलम और पेरेंटिंग वर्कशॉप उसके विषय में बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, एक और चीज जो मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बदलाव आया है, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी का बड़ा योगदान रहा है। एसएमसी के 16 सदस्यों में से 12 अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और उनकी सामूहिक भागीदारी से स्कूलों में जवाबदेही बढ़ी है। इसलिए इस वर्ष से हर स्कूल के एसएमसी को 5 लाख रुपये का फण्ड दिया जायेगा जिससे वो स्कूल में लायब्रेरी के लिए किताबें खरीदने, पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों को सुविधा हेतु टीचिंग एड्स खरीदने या छोटी मोटी मरम्मत के काम करा सकेंगे साथ ही एसएमसी शार्ट टर्म बेसिस पर रिसोर्स परसन भी रख पायेगी जो छात्रों को म्यूजिक, आर्ट, डांस, आईआईटी, मेडिकल की तैयारी, एक्स्ट्रा क्लास करा सकेंगे। इस फण्ड के इस्तेमाल का निर्णय एसएमसी की मीटिंग में होंगे इसके लिए स्कूल को हम पर, डायरेक्ट्रेट पर या एलजी साहब पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इसको कहते हैं! ये है डेमोक्रेसी। हमने पिछले दो साल में मेगा पीटीएम के माध्यम से, मैंने जिक्र किया शिक्षा अधिकार अधिनियम के संदर्भ में स्टूडेंट टीचर रेश्यो बनाए रखने के लिए शैक्षिक ढाँचे में निरंतर बढ़ोतरी के प्रयास किए गए हैं और सरकार ने 2018—19 में अनेक नई पूंजी परियोजनाओं की योजना बनाई है। हमने 12748 अतिरिक्त क्लास रूम के निर्माण, 30 नये स्कूल बिल्डिंग, 366 सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षा शुरू करने की योजना बनाई है। 155 सर्वोदय विद्यालय में प्री प्राईमरी स्कूल क्लासिज पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार ने 144 स्कूलों में कॉमर्स विषय की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। एलीमेंटरी कक्षाओं

के बच्चों द्वारा अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने और बेसिक मैथ स्किल डेवलप करने के उद्देश्य से सरकार ने 'चुनौती 2018' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अच्छे नतीजों को देखते हुए अब इसी तर्ज पर 'मिशन बुनियाद' के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली सरकार और नगर निगम के, इसमें हमने नगर निगम को भी शामिल किया है क्योंकि 5 साल बच्चा वहाँ पढ़ के आता है, 5–7 साल। दिल्ली सरकार और नगर निगम के कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की रीडिंग और मैथ स्किल्स ठीक करने पर अप्रैल, मई और जून के महीने में विशेष अभियान चलायेंगे हम लोग। विद्यार्थियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल गतिविधियों पर समुचित निगरानी रखने के लिए सभी सरकारी स्कूल भवनों में करीब 120000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिसके लिए 2018–19 के बजट अनुमानों में 175 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक स्कूल भवन में करीब 150 से 200 तक कैमरे लगेंगे। इसमें खास बात ये भी है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के क्लासरूम की गतिविधियाँ सीधे इण्टरनेट पर देखने की सुविधा मिलेगी। अध्यापकों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग के साथ साथ सरकार उन्हें आधुनिक सुविधाएं देने पे भी जोर दे रही है। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने डीटीसी कर्मचारियों के बारे में भी कहा, आज अगर एजुकेशन पे हम कुछ काम कर पा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए कि दिल्ली के टीचर्स का बहुत जबर्दस्त सहयोग है। उसी सहयोग को हमारी जिम्मेदारी है कि उस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, हम उनको फैसिलिटीज़ भी उसी तरह से देते रहें। अभी तक अध्यापकों का बहुत सारा समय हर महीने बच्चों की सूचियाँ बनाने, रिजल्ट बनाने... हर महीने कोई न कोई उनको

लिस्ट बनानी पड़ती है सारे बच्चों की, उसको अपलोड करना पड़ता है, फिर बार बार उसमें समय व्यर्थ होता था। सरकार सभी स्कूल अध्यापकों को कम्प्यूटर टैबलेट यानी टैब देगी ताकि सभी अध्यापक अपने स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन रिकार्ड रख सकें, उनकी उपस्थिति रिजल्ट स्कॉलरशिप आदि का डेटा तैयार कर सकें और डिपार्टमेंट भेजने के लिए अलग अलग सूचियाँ उनको न बनानी पड़ें। इस टैब का इस्तेमाल टीचर्स की ऑन लाइन ट्रेनिंग और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में भी होगा। अध्यापकों की सुविधा के लिए स्कूल में मॉडर्न स्टॉफरूम बनाने और उसमें काफी मशीन इत्यादि लगाने का काम हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। उस पर काम चल रहा है क्योंकि एक और बड़ा मुददा है गर्ल्स की सिक्योरिटी का सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासिज शुरू कर रहे हैं ताकि उनके अंदर विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित बनाने रखने का आत्मविश्वास हो और वो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हों इसके लिए शिक्षा विभाग के बजट में दस करोड़ रुपये की अलग से राशि रखी गई है।

अध्यक्ष महोदय, सेल्फ डिफेंस के लिए, बच्चियों की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में आज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर काफी चिन्तित रहते हैं। जिन परिवारों के बच्चों को अभी ऐडमिशन लेना है, उनके पास स्कूल की पढ़ाई की क्वालिटी, माहौल, सुविधाओं की कोई अधिकारिक सूचना नहीं होती, इसलिए इस साल से दिल्ली सरकार एक नई योजना ले के आ रही है जिसके तहत दिल्ली के हर स्कूल का मूल्याँकन कराया जायेगा। उनके बीच पढ़ाई की व्यवस्था और माहौल को लेकर हेल्दी कॉम्पीटीशन होगा और लोगों के पास स्कूल से

संबंधित अधिकारिक सूचनाएं भी होंगी ताकि स्कूलों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया जा सके। एक तरह से स्कूल रैंकिंग, स्कूल्स की रैंकिंग करेंगे। इस मकसद के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से 15 करोड़ रूपया डीसीपीसीआर को देने का फैसला किया है डिफेंस सर्विसिज में युवाओं की रूचि जगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एनडीए कैंडिडेटस को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन साल के लिए प्रतिमाह दो हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने का निणर्य लिया है। राष्ट्रीय स्कूल खेलों में दिल्ली इस बार भी शीर्ष पर रहा और उसने इन खेलों में कुल मिलाकर 426 गोल्ड मैडल, 205 सिल्वर और 169 काँस्य पदक जीते। सरकार उदयमान खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल ढाँचे का निर्माण करने के लिए वचनबद्व है। खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल करने में खिलाड़ियों की सहायता के लिए वर्ष 2018–19 में दो नये कार्यक्रम सरकार शुरू करेगी। ये है; 'खेलो और तरक्की करो; और 'मिशन एक्सेलेंस' यानि उत्कृष्टता अभियान। 'खेलो और तरक्की करो' कार्यक्रम के तहत 14 से 17 वर्ष की आयु समूह के ऐसे खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जायेगी, जो राष्ट्रीय रैंकिंग, अलग अलग खेलों में रेटिंग की दृष्टि से हर शीर्ष पर हों और उन्होंने दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया हो। इसका उददेश्य खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगताओं में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। 'मिशन ऐक्सीलेंस' के तहत किसी भी आयु समूह के खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल उनके लिए तैयार होने के वास्ते वित्तीय सहायता दी जायेगी। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए 2018–19 में 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर

मौहल्ला और कालोनियों में खेलों में जनता को प्रोत्साहित करने के लिए और भाग लेने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में खेलकूद आयोजित किये जाएंगे। विधानसभा क्षेत्रों में खेलकूद आयोजित करने के लिए 2018—19 में 20 करोड़ रुपये के बजट का अलग से प्रावधान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान यानी ट्रिपल आईटीडी के कैम्पस के निर्माण का दूसरा चरण 250 करोड़ की लागत से पूरे जोर शोर से जारी है और उम्मीद है कि ये मार्च 2018 तक यानी इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा। इससे ट्रिपल आईटीडी में दाखिले के लिए सीटों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 2500 की जा सकेंगी। रही सुखदेव कालेज आफ बिजनस स्टडीज का निर्माण कार्य 132.47 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। डीटीयू का पूर्वी कैम्पस चालू हो गया है जिसमें 300 सीटें हैं। जिन्हें मिलाकर डीटीयू में सीटों की संख्या जो 2014—15 में 2564 थी, अब वो 3689 हो गई है। रजोकरी में प्रौद्योगिकी संस्थान और मंगोलपुरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई 16—17 में चालू किये गये थे। कर्मपुरा और लोधी रोड में अंबेडकर विश्वविद्यालय के दो नये परिसरों ने 2017—18 में काम करना शुरू कर दिया। पिछले तीन साल के दौरान अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वालों की कुल संख्या में बढोत्तरी हुई है और ये 2015—16 की 10757 से बढकर 2017—18 में 2465 पहुँच गई। ये कालेज गिनते रहें, ये स्कूल की संख्या गिनते रहें, हम बच्चों को पढाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ रहे हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्ययन केन्द्र ने दो पाठयक्रमों; एमए ऐजूकेशन और एमए अर्ली चाइल्ड ऐजूकेशन के 7 सिंतबर 2017 को लोधी रोड परिसर में काम करना शुरू कर दिया है। इस परिसर में 2018—19 के दौरान बीएड

और एमएड के दो पाठयक्रम शुरू किये जाएंगे। रोहिणी और धीरपुर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नये कैम्पस का निमार्ण कार्य 2018–19 में शुरू करने की योजना है। गुरूगोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंम्पस का निर्माण अगस्त 2017 में 271 करोड़ रुपये की लागत से सूरजमल विहार में शुरू किया गया है। जीजीएसआईपीयू में सीटों की कुल संख्या 2017–18 में बढ़कर 34 हजार 94 हो गई। दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के नये पूर्वी परिसर में 2017–18 से काम शुरू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात गर्व के साथ साझा करना चाहता हूँ कि विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र जो कि आईटी सिंगापुर के सहयोग से शुरू किया गया है, में शत प्रतिशत प्लेसमेंट यानी नौकरी दिलवाने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है और 'कौशल विकास कार्यक्रम' का मॉडल सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। सरकार ने कौशल मॉडल का अनुकरण करने का निणर्य लिया है जिसका कल मैने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था एक चार्ट का। दिल्ली में 25 नये वर्ल्ड क्लास स्किल सैन्टर खोलने की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य हर वर्ष करीब 25 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करना है। मैं वर्ष 2018–19 के दौरान 25 नये वर्ल्ड क्लास स्किल सैन्टर खोलने के लिए 315 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र जौनापुर के निमार्ण के लिए 85 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है जिसकी कुल लागत 354 करोड़ रुपये कैबिनेट द्वारा दिसंबर 2017 में अनुमोदित की गई थी। मुझे माननीय सदस्यों को ये जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली में नया कारोबार शुरू करने वाले स्टार्टअपस का केन्द्र बनाने के उददेश्य से इन्क्यूबेशन सैन्टर कारगर ढंग से काम कर रहे हैं। वर्तमान में ये जो कहते हैं कि रोजगार दिलाने वाले बनो, तो रोजगार दिलाने वाले

कैसे बनेंगे? उसका सॉल्यूशन इन्क्यूबेशन सैन्टर और इनसे निकलकर आता है। वर्तमान में स्टॉर्टअप से 76 स्टार्टअप, 11 इन्क्यूबेशन सैन्टर्स पर काम कर रहे हैं। ये स्टॉर्टअप मात्र इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंध नहीं है बल्कि सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में भी संबद्व हैं। हमारा प्रयास पांच साल में 500 से अधिक स्टॉर्टअप कंपनियाँ स्थापित करने और विद्यार्थियों को उद्यमी और इन्नोवेट बनाने का है ताकि वो नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें।

हायर ऐजुकेशन में रिसर्च और डेवलेपमेंट गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हायर ऐजुकेशन इंस्टीटयूशनस में अनुसंधान अनुदान नाम का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसी संस्थान द्वारा बाहरी स्रोतों से जुटाये गये संसाधनों के बराबर यानी मैंचिंग ग्राण्ट दी जाती है। ट्रिपल आईटीडी ने इनफोसिस सेन्टर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक रिसर्च सेन्टर स्थपित किया है। इसकी स्थापना इन्फोसिस फाउण्डेशन द्वारा दिये गये 24 करोड़ रुपये के तीन वर्षीय अनुदान कोष से से की गई है।

पुस्तक शिक्षा को अफोरडेबल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सात यूनिवर्सिटी और उनसे संबंधित कॉलेज के इन्स्टीटयूशनस के विभिन्न ग्रेजूएट प्रोग्रामस में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योग्यता एवं आर्थिक स्थिति संबंधी वित्तीय सहायता नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड रखने वाले विद्याथिर्यो को शत प्रतिशत टयूशन फीस के समकक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है जो विद्यार्थी किसी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कवर ना किये गये हों और जिनके परिवार की आय ढ़ाई लाख रूपये से

कम हो, वो भी टयूशन फीस की आधी राशि; 50 परसेंट के समान राशि फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ढ़ाई लाख से छह लाख रुपये तक की इनकम वाले बच्चे इस कार्यक्रम के अंतर्गत टयूशन फीस के 25 परसेंट के समान वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली में दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हॉयर ऐजुकेशन में जाने वाले विद्यार्थियों को लोन मदद करने के लिए 2016–17 में सरकार ने 'दिल्ली उच्चतर शिक्षा और कौशल लोन गारंटी' कार्यक्रम शुरू किया था। अब इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसके दायरे में राज्यों यानी दिल्ली से बाहर, लेकिन भारत में अंदर ही केन्द्रीय संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है, स्टेट संस्थानों में ।

दिल्ली निस्संदेह संस्कृति और धरोहर का खजाना है। दिल्ली की धरोहर के संबंध में दुनिया भर की रिसर्चर्स को अवगत कराने और उन्हें आगे की रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आर्काइवल रिकॉर्डस के डिजिटलाइजेशन करने और उनकी माइक्रोफिल्मिंग की एक योजना शुरू की है। यह परियोजना सात महीने पहले शुरू की गई थी और अब तक बीस लाख आर्काइवल रिकॉर्डस का डिजिटलाईजेशन किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने यानी अप्रैल 2018 तक ये सेवा देश और दुनिया के रिचर्सर्स के लिए उपलब्ध हो जायेगी। दिल्ली की पूरी आर्ट कल्चर लेगेसी जितनी है, सब की सब उसमें स्लाईडस में उपलब्ध हैं, ऑन लाईन उपलब्ध हो जाएगी।

अध्यक्ष जी, दिल्ली में कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने और उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 18–19 में कुछ नये कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है। नये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष बजट में 36

करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों में तेरह नयी भाषा ऐकेडमियों की स्थापना; एक अंग्रेजी भाषा की ऐकेडमी और राज्यस्तरीय नष्त्य और गायन प्रतियोगिता खोज के लिए वार्षिक श्रृंखलाओं का आयोजन सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन और पुरातत्व एवं अभिलेख में रिसर्च फेलोशिप आदि शामिल हैं।

तो अध्यक्ष महोदय शिक्षा बजट के बाद अब मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रस्तावों पर आता हूँ। हमारी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को बेहत्तर सुविधाएं प्रदान करने पर काफी जोर दिया है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव वाले क्षेत्रों और कम मात्रा में सुविधाओं वाले क्षेत्रों विशेषकर झुग्गी बस्तियों, स्लम अनओथराईज कालोनी, ओवर पोपुलेटिड एरियाज और रूरल एरियाज में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। दिल्ली में तीन स्तरीय स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जा रहा है। जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और हॉस्पीटल शामिल हैं। दिल्ली के नागरिकों को, उनके निवास के पास स्वास्थ देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी तक 164 'आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक' स्थापित किए जा चुके हैं। अभी तक इन मोहल्ला क्लिनिक्स में 80 लाख व्यक्तियों ने उपचार सेवाओं का लाभ उठाया हैं, 80 लाख लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना के लिए 530 स्थानों का चयन कर लिया गया है। हमारा लक्ष्य 1000 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करने का है। इसी प्रकार 24 पॉली क्लिनिक काम कर रहे हैं और 94 औषधालयों की पहचान की गई है, जहाँ ऐसे पॉली क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम किया जा सकेगा। 2018—19 के दौरान मोहल्ला क्लिनिकों और पॉली क्लिनिक्स के लिए मैं 403 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को बेहतर हेल्थ सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या, मौजूदा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। अम्बेडकर नगर में 600 बिस्तर का अस्पताल और बुराड़ी में 800 बिस्तर का अस्पताल तैयार हो जाएगा। 2018—19 में। द्वारका में 1500 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दिल्ली सरकार के 7 मौजूदा अस्पतालों में 2,546 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे। मादीपुर, ज्वालाहेड़ी, हस्तसाल, सरिता विहार, दीनदारपुर, केशवपुरम और छतरपुर में नए अस्पतालों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। मैं नए अस्पतालों के निर्माण और दिल्ली सरकार के मौजूदा अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का बजट व्यय प्रस्तावित करता हूँ।

दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले रोगियों के लिए डॉयग्नॉस्टिक टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, वो निःशुल्क किए जाते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा रैफर किए जाने पर निर्दिष्ट सूचीबद्ध प्राइवेट केंद्रों में एमआरआई, सीटी, पीईटीसीटी, रेडिया न्यूक्लियर स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कलर डोपलर, इको, टीएमटी, ईईजी और ईएमजी जैसे रेडियोलॉजिकल सेवाएं भी सभी रोगियों के लिए निःशुल्क हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2018—19 में 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

हमारी सरकार ने दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सभी पीड़ितों, एसिड हमलों के पीड़ितों और थर्मल या तपन से जले घायलों के खर्च की लागत वहन करने का भी निर्णय लिया है। भले ही ऐसे पीड़ित व्यक्ति की आमदनी कितनी ही क्यों ना हो और वो कहीं भी रहने वाला हो। इसके अलावा दिल्ली

सरकार के 24 अस्पतालों को अधिकृत किया गया है कि वे रोगियों को 48 सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क शल्य चिकित्सा के लिए भेज सकते हैं। दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए 2018–19 में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में कोई दुर्घटना होने या अन्य आपात स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए 'फर्स्ट ऐड व्हीकल, फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल (एफआरवी)' प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसमें प्रशिक्षित ऐम्बुलेंस कार्मिकों द्वारा संचालित 16 मोटरसाइकिल्स के साथ ये कार्यक्रम ईस्ट डेली में शुरू किया जाएगा। इससे तंग गलियों और भीड़ भरे क्षेत्रों में बचाव कार्रवाई शीघ्र संचालित करने में मदद मिलेगी। हमारी कैबिनेट और माननीय उपराज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। ये भी बता देना है कि कौन सी मंजूरी दे चुके हैं।

सभी विधान सभा क्षेत्रों में रोगी कल्याण समितियां बनाई जाएंगी और प्रत्येक जन स्वास्थ्य केंद्र जैसे मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरीज व सीड पीयूएचसी में उनकी उप–समिति के रूप में एक जन स्वास्थ्य समिति का गठन होना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रबंधन में बेहतर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है जैसा कि स्कूल्स में एसएमसी में किया गया है। वर्ष 2018–19 में इस कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी अभी ली जा रही है। तो दोनों बताना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, उपराज्यपाल महोदय को ये भी पता चले कि जिसकी मंजूरी दे दी है, उसके लिए विधान सभा में तालियाँ भी बजती हैं। तो हमको तालियाँ बजाने में भी गुरेज नहीं है, अगर वो पास करते रहें, हम तालियाँ बजाते रहेंगे। अच्छा, एडवांस में बजाई है।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल वैन क्लिनिक्स की स्थापना की जाएगी जो विशेष रूप से आँख और कान संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे। 2018—19 में इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। दिल्ली कैबिनेट और माननीय उपराज्यपाल ने इस कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है। आप मेज थपथपा सकते हैं।

हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2018—19 में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

हमारी सरकार व्यवसायियों के कौशल में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य व्यवसायियों के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा ताकि व्यवसायिक विकास और क्षमता निर्माण किया जा सके। 2018—19 में इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। तो हमने अभी तक टीचर्स ट्रेनिंग पर काफी फोकस किया था अब मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए भी अलग से योजना लाए हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब की तरफ से।

मैं वर्ष 2018–19 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,729 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। इसमें 5,741 करोड़ रुपये राजस्व और 988 करोड़ रुपये पूंजी व्यय से सम्बद्ध हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3,259 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 2018–19 में प्रस्तावित 3,259 करोड़ रुपये का परिव्यय वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमानों के प्रस्तावित स्वास्थ्य क्षेत्र 2,152 करोड़ रुपये के परिव्यय से 51.4 फीसदी और 2,627 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 24 फीसदी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सोशल वैलफेयर और सोशल सिक्योरिटी पर कुछ बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्हें मदद पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' नाम का एक नया कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली के 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भेजा जाएगा, जिसका पूरा खर्च बीमा सहित दिल्ली सरकार वहन करेगी। वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 53 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें भी, इस योजना को कैबिनेट ने मंजूदी दे दी है लेकिन अभी इसे माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद है कि उपराज्यपाल महोदय दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की इस महत्वपूर्ण योजना को जल्दी ही मंजूरी दे देंगे, उम्मीद करते हैं कि दे देंगे।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों, विशेष रूप से संकट ग्रस्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और तदनुरूप उनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रही हैं। हम करीब 7 लाख लाभर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, संकट ग्रस्त महिलाएं, विधवाएं आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 2018–19 में 1,833 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है जबकि 2017–18 के संशोधित अनुमान में ये राशि 1,778 करोड़ रुपये थी तथा 2016–17 का व्यय 1,091 करोड़ रुपये था यानी कि एक अगर 2016–17 से देखें तो लगभग 1,091 करोड़ से 1,833 करोड़ रुपये इसको किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आईसीडीएस के अंतर्गत 10,897 आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया है जो लगभग 12 लाख बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और स्कूल–पूर्व गतिविधियों से सम्बद्ध आदि को सेवाएं प्रदान करती हैं।

हमारी सरकार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगी, जिससे आईसीडीएस परियोजना के अंतर्गत सेवाओं और कार्यक्रमों की समुचित निगरानी और रिपोर्टिंग करने में मदद मिलेगी। 2018–19 के दौरान 'प्रोत्साहित आंगनवाड़ी उन्नयन कार्यक्रम' के अंतर्गत विभाग बच्चों के लिए मेज, कुर्सी, चटाइयाँ, खिलौने आदि उपलब्ध कराते हुए मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाएगा। मैं एक नया कार्यक्रम 'अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में अभिभावकों और आंगनवाड़ी समितियों के लिए प्रशिक्षण' भी शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इन कार्यक्रमों के लिए 2018–19 में 56 करोड़ रुपये का तथा आईसीडीएस के अंतर्गत 541 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

हमारी सरकार ने नवम्बर 2017 में तीन 'हाफ वे होम' शुरू किए थे जिनमें से नव किरण –1 व 2, रोहिणी सैक्टर–3 में महिलाओं के लिए तथा नव–चेतना, रोहिणी सेक्टर 22 में पुरूषों के लिए बनाए गए हैं। 2018–19 के दौरान दो और 'हाफ वे होम' संचालित किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित छात्रों के लिए मैं 'लाडली योजना' के पैटर्न पर 18 साल की आयु तक के छात्रों के नाम पर 'फिक्सड डिपोजिट योजना' शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। ये एक नई योजना है। 18 साल तक के अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से बच्चों के लिए उम्मीद है कि गरीब छात्रों के लिए सरकार की इस योजना को आदरणीय उपराज्यपाल महोदय भी रोकेंगे नहीं, उनकी भी मंजूरी मिल जाएगी।

अनुसूचित जाति उप–योजना (बजट शीर्ष 789) के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 1,152 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। यह राशि वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9.5 परसेंट अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना' नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं पास या कक्षा 12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्रदान की जाती है ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकें। ऐसे अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक हो और यदि परिवार की आय छह लाख रुपये तक होगी तो सरकार 75 परसेंट फीस वहन करेगी। इसके अलावा अनुसूचित

जाति विद्यार्थियों को 2,500 रुपये प्रतिमाह स्टाइफण्ड कोचिंग के दौरान चार से पाँच महीने के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2018–19 के लिए मैं इस कार्यक्रम हेतु 24 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ।

हमने एक और नया कार्यक्रम 'अल्कोहल और नशीले पदार्थों की रोकथाम' शुरू करने का निर्णय किया है। इसका उद्‌देश्य दिल्ली में नशे की लत छुड़वाने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना और इस दिशा में पूरक उपाय करना हैं। इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित संगठनों की मदद ली जाएगी इसके लिए 2018–19 के लिए एक करोड़ रुपये की राशि रखी गई है आवश्यकता पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना को भी माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

2018–19 में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 4155 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ इनमें से 3700 करोड़ रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र के तहत विभिन्न योजना और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली के वाटर सैक्टर पर आता हूँ; जलापूर्ति और सीवर सैक्टर। दिल्ली जल बोर्ड की कार्य निष्पादन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दिल्ली में कितना पानी आता है, सारे पानी का कौन–कौन सा हिस्सा, कौन–कौन सी कॉलोनी में भेजा जाता है, ये जानने के लिए कहीं पे कोई बल्क वाटर मीटर नहीं लगा हुआ। 70 साल में अब तक हमारे पास ये डेटा नहीं है कि दिल्ली की किस–किस कॉलोनी में कितना–कितना

पानी भेजा जाता है, कितना चोरी हो जाता है, कितना लीक होता है, पिछली बार के आउटकम के बजट के रिव्यू में ये बात सामने आई कि दिल्ली में 47 परसेंट पानी नॉन रेवेन्यू वाटर है, यानि दिल्ली जल बोर्ड को अपने करीब आधे पानी का ये नहीं पता कि वो लीक हो रहा है या चोरी हो रहा है। पहली बार हमारी सरकार पूरी दिल्ली में बल्क वाटर मीटर लगाने का एक प्रोजेक्ट लेकर आई है ताकि पता तो चले कि पानी जा कहाँ रहा है। सभी वाटर ट्रीटमैंट प्लांट, सभी प्राइमरी और सैकेंडरी यूजीआर और सभी टेपिंग्स पर मीटर लगाए जाएंगे। इससे पानी की चोरी पकड़ी जा सकेगी ओर एक तरह से रोजाना पानी का ऑडिट होगा। इस बल्क वाटर मीटर का पूरा डेटा हम वेबसाईट पे डाल सकेंगे ताकि दिल्ली वासियों को भी पता रहे कि उनकी कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कितना पानी आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने की रूपरेखा मैं बजट के अगले भाग में रखूँगा जो मैंने जिक्र किया कि टाईमलाइन का मैं जिक्र करूंगा।

दिल्ली सरकार इसी तरह से जैसे पानी के डेटा मैनेजमेंट पे बताया मैंने, सीवेज ट्रीटमेंट की पूरी अवधारणा को बदलने पर काम कर रही है। पहले दिल्ली में बड़े—बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं। इनसे ट्रीट होकर जो पूरी दिल्ली में 450 एमजीडी पानी दिल्ली जल बोर्ड के पास में सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट से निकल के उपलब्ध होता है लेकिन इसमें से केवल 89 एमजीडी पानी अभी तक इस्तेमाल हो रहा है और बाकी का 361 एमजीडी पानी रोजाना हम यमुना में बहा रहे हैं। इस पानी को पीने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता लेकिन दिल्ली को हरा—भरा बनाने के लिए सड़कों के किनारे पार्कों में बागवानी में, वर्कशॉप में, इंडस्ट्रियल कूलिंग टॉवर्स

आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इंपोर्टेण्ट वाटर है, दुनिया के कई देश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले एक–एक बूंद पानी का सही इस्तेमाल कर रहे है, इससे उन्हें पीने के पानी की बचत होती है लेकिन दिल्ली में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, वो बड़े–बड़े लगाए है। अब सरकार पूरी दिल्ली में छोट–छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी; जैसे एक कॉलोनी में छोटा एसटीपी लगाया जाएगा, उससे निकलने वाले साफ पानी को वहीं लोगों के घरों में शौच आदि के लिए दिया जा सकेगा, उस क्षेत्र में हरियाली के लिए या किसी वाटर बॉडी में इस्तेमाल किया जाएगा। बुराड़ी, छत्तरपुर, किराड़ी, नरेला, जिंदपुर, पल्ला, बवाना, कंझावला, बदरपुर, मुंडका और नजफगढ़ की कई कॉलोनियों में ये प्रोजैक्ट लगाए जाएंगे। इनका पूरे होने की समय सीमा भी मैं बजट के अपने अंतिम हिस्से में रखूंगा।

सीवर लाइनों की वाहक क्षमता में सुधार के लिए 162 किलोमीटर पैरीफिरल सीवर लाइन का चयन ट्रैंचलेस टेक्नोलोजी के साथ उन्हें नया रूप देने के लिए किया गया है। इससे पुरानी सीवर लाइनों का जीवनकाल 50 साल ओर बढ़ जाएगा। आधुनिक टेक्नोलोजी से इनका अपटेड हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने पालम, बिजवासन, मटियाला, द्वारका, नजफगढ़, मुंडका, रिठाला, विकासपुरी निर्वाचन क्षेत्रों में 162 कालोनियों में चरणबद्ध तरीके से आंतरिक सीवर लाइन बिछाने की योजना बनाई है, जिसे दिसम्बर, 2020 तक अलग–अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। इन कालोनियों का जलमल निलोठी, द्वारका, रिठाला और नजफगढ़ मल–जल उपचार संयंत्रों में ले जाया जाएगा और इस कार्यक्रम से करीब 13 लाख की आबादी को लाभ होगा, जहाँ कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मौजूदा ढाँचा विद्यमान नहीं है, ऐसे क्षेत्रों

में जो छोटे—छोटे ट्रीटमैंट प्लांट जिनका मैंने जिक्र किया, वो लगाने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में सात विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमैंट बनाए जाएंगे जिसमें से 20 अनाधिकृत कालोनियों में पाँच गाँव कवर किए जाएंगे। यह कार्य जुलाई, 2018 में शुरू होगा और इसका लक्ष्य दिसम्बर, 2019 में पूरा करने का रखा गया है।

हमारी सरकार ने दिल्ली में सेप्टेज प्रबंधन के नियमन की योजना बनाई है ताकि निर्दिष्ट स्थानों पर सेप्टेज का समुचित प्रबंधन किया जा सके। इसके लिए 'दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबन्धन विनियम 2018 बनाए जाएंगे। ये रूल्स आवश्यक अनुमोदनों के बाद, यानी कि उपराज्यपाल महोदय से अनुमोदनों के बाद दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 का हिस्सा बन जाएंगे। वर्तमान जलापूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत 15 किलोमीटर लम्बी, पुरानी और रिसाव कर रही पाइप लाइनों को बदलने का काम पूरा होने जा रहा है, उम्मीद है कि ये काम पूरा होने पर चार से पाँच एमजीडी पानी की रोजाना बचत होगी। इससे सैंट्रल और साउथ दिल्ली में पानी के अभाव वाले क्षेत्रों की आपूर्ति बेहत्तर की जा सकेगी। इसके अलावा 2018—19 में 80 किलोमीटर लम्बे, पुराने वितरण के नेटवर्क को भी बदलने का काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने जलापूर्ति को युक्तिसंगत और समानता आधारित बनाने के लिए मायापुरी और सोनिया विहार में भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू किया है। फरवरी 2019 में इन जलाशयों के चालू हो जाने के बाद लगभग पाँच लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नजफगढ़ और मुंडका में दो और जलाशयों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और दिसम्बर, 2018 तक पूरा होने की संभावना है। इन दो जलाशयों

के चालू हो जाने पर लगभग 80 अनऑथोराइज्ड कालोनीज और 10 गाँवों में फिल्टर किए गए पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। इससे करीब 450 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। 1665 अनियमित कालोनियों में से 1209 कालोनियों में दिसम्बर, 2017 तक पाइप जलापूर्ति नैटवक्र का विस्तार किया जा चुका था जबकि 2016–17 तक 1144 कालोनियों में जलापूर्ति की जा सकी थी, शेष कालोनियों में पाइप वाटर सप्लाई नैटवक्र का विस्तार दिसम्बर, 2018 तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2018–19 में जलापूर्ति और सीवर के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 2777 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जिसमें करीब 4.5 लाख लाभार्थियों को प्रति माह 20 किलोलीटर निःशुल्क जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी शामिल है, जलापूर्ति और सीवर के लिए 2018–19 में कुल आबंटन, 2017–18 के संशोधित अनुमान की तुलना में 19.85 प्रतिशत अधिक है। ये भी सिग्निफिकेंट है कि अगले एक साल में सरकार वाटर सैक्टर में बहुत सिरियसनेस से काम करने जा रही है इसके लिए पर्याप्त फण्डस अवेलेबल कराए गए हैं।

अर्बन डवलमेंट, अध्यक्ष महोदय, अनियमित कालोनियों में सड़कों और नालियों का निर्माण, जलापूर्ति, सीवर प्रणाली, स्वच्छता और गलियों में प्रकाश आदि बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। इन कार्यों के लिए मुख्य रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों को धन दिया जा रहा है जिसमें डीएसआईडीसी, आईएफसी, दिल्ली जल बोर्ड शामिल है। 2018–19 के दौरान अनआथोराइज्ड कालोनीज में ढाँचागत विकास के लिए

1500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं जबकि 2017—18 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में इस मद के लिए 840 करोड़ रुपये दिए गए थे। यानी अनियमित कालोनियों में ढ़ाँचागत विकास के लिए इस वर्ष की राशि लगभग दोगुनी की जा रही है।

इसके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये वित्त वर्ष में... ये भी इम्पोर्टेंट है, 100 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018—19 में दिल्ली के सभी बाजारों और मार्केटिंग एरियाज को डेवलप करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये भी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। आम तौर पर सरकारें बाजार में बैठे लोगों से जीएसटी तो वसूल लेती है लेकिन अगर व्यापारी अपने मार्केट एरिया में कोई डेवलपमैंट कराना चाहें तो उनको सरकार के पीछे भागना पड़ता है। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनके अलग—अलग लोगों के पीछे लिख—लिख के देना पड़ता है। इस साल शुरू की जा रही इस योजना के तहत मार्केट समितियों की सलाह पर विकास कार्यों पर ये 100 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 11 दिसम्बर, 2017 को दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति अधिसूचित की है, इसका उद्देश्य झुग्गी—झोपड़ी बस्तियों को उसी भूमि पर इन—सीटू पुनर्वास करना अथवा 5 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए फ्लैटों में पुनर्स्थापन करना है। 2017—18 के दौरान 1600 जेजे परिवारों को द्वारका और बापरोला में स्थानांतरित किया गया। डूसिब, संगम पाक्र, लाजपत नगर, देवनगर, करोलबाग और भलस्वा जहांगीरपुरी में, झुग्गी—झोपड़ियों के इन—सीटू डेवलपमेंट की परियोजनाएं शुरू कर रहा है। इस परियोजना के लिए भी माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद काम शुरू हो पाएगा, जितने भी गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं, आप तय मानिए, मुझे कहना पड़ेगा कि वेट करना

पड़ेगा। डूसिब झुग्गी निवासियों को बेहत्तर सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में झुग्गी निवासियों के लिए निकटवर्ती सुसंचालित और सुरक्षित शौचालयों की व्यवस्था करना शामिल है। पिछले तीन साल में करीब 16 हजार टॉयलेट सीटस का नवीकरण या निर्माण किया गया। 1 जनवरी, 2018 से इन शौचालय परिसरों को श्रम निवासियों को निःशुल्क दिन–रात इस्तेमाल के हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। मैं विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवास और शहरी विकास को 2018–19 में 3106 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो 2017–18 के रिवाइज्ड एस्टीमेट 1812 करोड़ की तुलना में 71 परसेंट अधिक है यानी अनऑथेराईज्ड कालोनिज के लिए भी इस बार जो डेवलपमैंट और इन सब में जाएगा, उसमें काफी पैसा बढ़ाया जा रहा है।

रोड एंड जनरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटर रिंग रोड पर विकास पुरी से वजीराबाद तक एलिवेटेड कॉरीडोर को सिग्नल मुक्त किया जा चुका है। इससे विकासपुरी से वजीराबाद तक, समय में लगभग 45 मिनट की बचत हो रही है।

बारापूला नाला चरण दो, बारापूला फेस–2 का निर्माण कार्य मार्च 2018 तक पूरा होने की आशा है। इससे रिंग रोड पर वाहनों पर भीड़भाड़ से निजात मिलेगी और यात्रा समय में 15 से 20 मिनट की बचत होगी। सराय काले खाँ से मयूर विहार तक बारापूला फेस–3 एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। ककरौला मोड़ से वजीराबाद तक नजफगढ़ नाले के साथ–साथ ऐलिवेटिड रोड का निर्माण 2018–19 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा। इस निर्माण ग्रेड रोड पर नाले

के साथ–साथ 25 किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा। आउटर रिंग रोड पर मुनीरका से आर्मी हॉस्पिटल तक सिंगल फ्लाईओवर और भीतरी रोड पर जंक्शन बी.जे. मार्ग पर अंडरपास का निर्माण जून 2018 तक पूरा होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने से मुनीरका और आर्मी हॉस्पिटल के बीच यात्रा समय में 20 मिनट तक की कमी आएगी। आईटीओ से भैरों रिंग रोड जंक्शन से पुराना किला रोड के नीचे से 700 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इंडिया गेट से रिंग रोड पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा और यात्रा समय में 10 से 15 मिनट तक की कमी आएगी। 450 करोड़ रुपये की लागत से करावल नगर–भजनपुरा जंक्शन पर फ्लाईओवर तथा गगन सिनेमा, नन्द नगरी, टी जंक्शन पर फ्लाईओवर और मंगल पाण्डे मार्ग के लोनी रोड पर साढ़े छह किलोमीटर लंबे अंडरपास का निर्माण कार्य वर्ष 2018–19 में शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रा समय में 40 मिनट तक की कमी आएगी। यमुना और आगरा नहर के साथ–साथ डीएनडी फ्लाईओवर और फरीदाबाद के बीच कालिंदी बाईपास का निर्माण कार्य भी 2018–19 में शुरू किया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज से कालिंदी बाईपास तक ऐलिवेटिड रोड का निर्माण कार्य भी 2018–19 में शुरू हो जाएगा। इससे वजीराबाद और डीएनडी फ्लाईओवर के बीच रिंग रोड पर यातायात कम होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा समय में 20 से 30 मिनट तक की कमी आएगी।

अध्यक्ष महोदय, बार–बार वाई–फाई की बात भी उठती है। हम दिल्ली में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। वाई–फाई सुविधा को जल्दी उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट आईटी विभाग से लेकर

अब लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। मैं वाई–फाई परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय मैं 2018–19 में सड़क, सार्वजनिक परिवहन एवं अन्य आधारभूत ढाँचे के लिए 5145 करोड़ रुपये के कुल खर्च का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें 3080 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 2065 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। इसमें से 2568 करोड़ रुपये परिवहन क्षेत्र की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए गए हैं।

डेवलपमेंट वर्क, जिसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और किसानों से संबंधित विषय हैं। मान्यवर, दिल्ली के सभी गाँवों के चहुँमुखी विकास के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय विधायक अपनी ग्राम विकास परियोजनाओं की स्थिति के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए एनआईसी की सहायता से एक ऐप विकसित किया जाएगा। हमारी सरकार दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में हाईटेक डेमोंस्ट्रेशन फार्मों के विकास के लिए एक नई योजना स्मार्ट एग्रीकल्चर स्कीम लागू करेगी। इनसे किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित की गई नई तकनीकों और फसलों की किस्मों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं 2018–19 में इस योजना के लिए दस करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

दिल्ली में कृषि और बागवानी के चहुँमुखी विकास के लिए एक कृषि नीति बनाई जाएगी। मष्दा जाँच प्रयोगशाला को अपग्रेड किया गया है। किसानों के लिए, पहले मिट्टी के नमूनों की जाँच केवल तीन मानदंडों के

आधार होती थी। दिल्ली के किसानों के फायदे के लिए अब यह जाँच 12 मानदंडों के आधार पर की जाती है। आजादपुर मंडी भारत की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ प्रति वर्ष ताजा फलों और सब्जियों का सर्वाधिक कारोबार किया जाता है। सरकार दिल्ली की सभी मंडियों, विशेषकर आजादपुर मंडी के लिए ई—मंडी परियोजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कारोबार में पारदर्शिता, किसानों को फसल की बेहत्तर कीमतें और किसानों को जल्द भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। ये देष में इस प्रकार का सबसे बड़ा प्रयास होगा। क्योंकि अब तक कोई भी राज्य षीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए इस पैमाने पर ई—मंडी की व्यवस्था नहीं कर पाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2018—19 में ग्रामीण विकास और बाढ़ सिंचाई पर 694 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें 364 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 330 करोड़ रुपये का पूंजीगत बजट शामिल है। ग्रामीण विकास और बाढ़ सिंचाई क्षेत्र की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 345 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण का भाग 'ख' प्रस्तुत करता हूँ।

सामान्यतः जुलाई 2017 में वस्तु और सेवाकर— जीएसटी लागू होने के बाद से जीएसटी सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। चालू वित्त वर्ष में फरवरी 2018 महीने तक हमने लगभग 22888 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह किया जो पिछले वर्ष के मुकाबले 17.6 परसेंट अधिक है। अनुमान है कि हम चालू वित्त वर्ष में 26000 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। जीएसटी पंजीकरण के तहत विभाग ने निर्देष जारी

किए हैं कि निरीक्षकों की फील्ड जाँच के बिना ही डीलरों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र सीधे जारी कर दिए जाएं। यह जाँच बाद में की जा सकी है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि डीलरों को उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत मिल सकें। विभाग अपने मौजूदा डीलरों में से 75 प्रतिशत को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने में सफल रहा है। लगभग 2.25 लाख नए पंजीकरणों को भी मंजूरी दी गई है। जीएसटी लागू होने के पहले कारोबारियों/बाजार संगठनों के साथ 50 परस्पर संपक्र बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में लगभग 6700 करोबारियों ने भाग लिया। प्रमुख बाजारों में व्यापारी जागरूकता बैठकें आयोजित की गई जिनमें व्यापार संघों ने भाग लिया। जीएसटी के बारे में कारोबारियों और बाजार संघों की शिकायतों के समाधान के लिए व्यापारियों के साथ समन्वय और बेहतर संवाद के लिए प्रमुख बाजार क्षेत्रों में जीएसटी सहायता समितियां बनाई गई हैं। इन सहायता समितियों ने कारोबारी समुदाय की उचित और विशेष शिकायतों के निवारण में विभाग और व्यापारियों में सेतु की तरह काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्ष 2017–18 के लिए 4700 करोड़ रुपये के उत्पाद राजस्व का लक्ष्य रखा था। फरवरी 2018 तक 4016 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.9 परसेंट अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में शराब की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निरंतर खुफिया जानकारी रखी जा रही है। उसके अनुसार उत्पाद अधिनियम के समुचित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने सहित उचित कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2017–18 में आबकारी विभाग

के दस्तों ने 854 गिरफ्तारियाँ की और 851 एफआईआर कराई और करीब सवा तीन लाख बोतल अवैध शराब जब्त की है। आबकारी विभाग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि दिल्ली में शराब के सेवन पर नियंत्रण, निगरानी और नियमन के अपने बड़े लक्ष्य और अधिकृत शराब की उपलब्धता के बीच सूक्ष्म संतुलन बनाकर रखें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस वर्ष से बजट के भाषण में और बजट प्रस्ताव में, इसका बजट का तीसरा भाग भी जोड़ रहा हूँ। अभी तक बजट के दो हिस्से होते थे; (क) और 'ख'। 'क' में हम क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत करते थे, 'ख' सामान्यतः वैट रीजन तक बहुत इम्पोंटेण्ट था क्योंकि उसमें कितना टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कितना उठाया जाता है। इस सब पर चर्चा होती थी और जो फाइनेंशियल बैलेंस कैसे बनेगा, उस पर चर्चा होती थी। लेकिन इस साल से हम एक और नया भाग इसमें जोड़ रहे हैं भाग 'ग'। इसमें जितनी योजनाएं मैंने अभी अनाउंस की, उसमें से प्रमुख योजनाओं की लाइन सदन के समक्ष रखेंगे कि इसको हम कब तक पूरा करने की योजना रख रहे हैं। सिर्फ बजट का पैसा लेने के लिए, बजट का पैसा अप्रूव कराने के लिए सदन के समक्ष नहीं आए हैं। जैसा मैंने ग्रीन बजट प्रस्तावों में बताया, मैं एक—एक करके कुछ प्रस्तावों के बारे में बताऊँगा। मैंने ग्रीन बजट प्रस्तावों के बारे में बताया कि सरकार ने 1000 ई—बसें दिल्ली में लाने का फैसला किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी पूरी लाइन सरकार ने तैयार कर ली है। कंसल्टेंट अपाइंट करने से लेकर बिल्डिंग और फिर बसों की आपूर्ति तक में किस—किस काम में कितना—कितना समय लगेगा, इसकी पूरी जानकारी तारीख सहित मेरे बजट भाषण के साथ संलग्न है। ये बजट स्पीच नार्मली भाषण पर खत्म होती थी। इस बार लास्ट में

कुछ टेबल्स हमने लगाई है, वो टेबल्स हैं पूरी, किस प्रोसेस के किस स्टेप को, कब तक, किस तारीख तक पूरा करने का हमने खाका बनाया है। इसके लिए 1000 ई–बसेज खरीदने के लिए 1 जून, 2018 तक कंसलटेंट का अपाइंटमेंट हो जाएगा, 31 अगस्त 2018 तक निविदाएं मंगा ली जाएगी। 25 सितम्बर तक निविदाएं खोलने का काम कर लिया जाएगा। 15 नवम्बर 2018 तक कंपनियों का चयन कर उन्हें पत्र जारी कर दिया जाएगा और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में अगले मार्च यानी मार्च 2019 से सड़कों पर ई–बसें चलने लगेंगी। इसी तरह 1000 नई डीटीसी बसें खरीदने की समय सीमा भी सरकार ने तैयार कर ली है। 11 मई तक इसके बिड्स जमा करा लिए जाएंगे। उसके बाद बिड्स खोलना, फाइनेंशियल बिड्स आदि की प्रक्रिया पूरी करते हुए 20 जुलाई तक वर्क–ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। 20 नवम्बर, 2018 तक 40 बसों की पहली खेप आ जाएगी और उसके बाद 120 बस प्रतिमाह के आधार पर अगले आठ महीने में 960 बसें दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगी। इसी तरह 1000 नई कलस्टर बसें भी जोड़ने की समय सीमा भी सरकार ने तैयार की है, इसकी टेक्नीकल बिड्स अभी जमा हो रही है। छह अप्रैल तक फाइनेंशियल बिड्स खोल ली जायेंगी और 30 अप्रैल तक केबिनेट से मंजूरी लेकर 31 मई तक लेटर आफ अवार्ड जारी कर दिया जाएगा। सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 के बीच अलग–अलग सैक्टर्स में 251 बसें और उसके बाद दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 के बीच बाकी 749 बसें दिल्ली की सड़कों पर आ जायेंगी। ये पहली बार इस तरह की लाइन रखी जा रही है।

मैंने बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पूरी कॉन्सेप्ट सरकार बदलने जा रही है। छोटे–छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मैंने जिक्र किया।

सरकार ने इसकी समय सीमा पर भी काम कर लिया है। बुराड़ी क्षेत्र में 20 एमएलडी का एसटीपी दिसम्बर 2019 तक तैयार हो जाएगा। इसी तरह छतरपुर में 22 एमएलडी का एसटीपी 31 मार्च 2020 तक तैयार होगा। किराड़ी क्षेत्र में 93 एमएलडी का एसटीपी और नरेला, जींदपुर, पल्ला में 115 एमएलडी का एसटीपी 31 मार्च 2020 तक तैयार होंगे। बदरपुर, नजफगढ़, कंझावला और मुडंका में भी एसटीपी 31 मार्च 2020 तक तैयार होंगे। इन सब प्लांट्स के लिए जमीन चिन्हित करने का काम 31 जुलाई 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में लोगों को सीवरेज ट्रीटमेंट की इस योजना में फायदा देने के लिए ऑनरेबल एल.जी. साहब की भी इसको मंजूरी मिल जाएगी। वो उसमें बीच में इधर–उधर नहीं व्यर्थ गवाएंगे। इसकी टेंडर प्रक्रिया 30 नवम्बर तक पूरी कर ली जानी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पानी प्रबंधन की बात करते हुए पूरी दिल्ली में बल्क वाटर मीटर लगाने की अति महत्वपूर्ण योजना का भी जिक्र किया था। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा तैयार प्लान के अनुसार इस पर काम चल रहा है और यह दिसम्बर, 2018 तक पूरी हो जाएगी। मैंने जिक्र किया था कि सरकार सभी दिल्ली वासियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सल हैल्थ केयर स्कीम लेकर आ रही है। सरकार द्वारा तैयार–लाइन के मुताबिक 30 अप्रैल, 2018 तक इसकी आर.एफ.टी. फाइनल कर ली जाएगी और 15 अगस्त, 2018 तक विड्स प्रोसेसिंग पूरी कर ली जाएगी। 15 सितम्बर, 2018 तक कॉन्ट्रेक्ट अवार्ड कर दिया जायेगा। 01 दिसम्बर, 2018 से ये योजना लागू कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लीनिक बनाने की समय सीमा भी तय कर ली गयी है। 530 मोहल्ला क्लीनिक तथा 230 स्कूलों में स्कूल क्लीनिक बनाने का काम 30 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद अगले चार महीने में इसमें स्टाफ की नियुक्ति कर सभी मोहल्ला क्लीनिक्स को फंक्सनल कर दिया जायेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण योजना हॉस्पिटल इंफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानि एचआईएमएस बनाने की है। एचआईएमएस लागू करने के लिए आर.एफ.टी. 30 जून, 2018 तक जारी कर दी जाएगी। इसका टेंडर 30 सितम्बर, 2018 तक अवार्ड कर दिया जाएगा। पूरी दिल्ली के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के काम में करीब छः महीने लगेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग–ट्रॉयल हार्डवेयर परचेज आदि पूरा कर इस योजना को 01 जुलाई, 2019 से लागू कर दिया जायेगा। एक और महत्वपूर्ण योजना जो दो दिन पहले बजट स्पीच फाइनल किये जाने तक उसका पूरा टाईम लाइन मेरे पास नहीं पहुंचा था, लेकिन वो बाद में पहुँचा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बजट स्पीच में वहीं शामिल करूँगा। हैल्थ कार्ड से संबंधित है। दिल्ली के सभी नागरिकों को सरकार हैल्थ कार्ड देने की योजना रखती है और उसकी ई.वाई.ई. की प्रोसेस चल रही है, उसके एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गयी हैं। 15 अप्रैल, 2018 तक इसकी एप्लीकेशन्स को प्रोसेस करके शॉर्ट–लिस्ट करके फस्ट प्रीविडिंग और सेकेंड प्रीविडिंग मीटिंग्स मई के महीने में हो जायेंगी, 15 मई तक। फाइनलाइजेशन आफ विड्स डॉक्यूमेंट 15 जून तक फ्लोटिंग आफ आर.एफ.टी. 30 जून तक, लास्ट डेट आफ रिसिविंग्स विड्स 30 जुलाई और उसके बाद अवार्ड आफ कॉन्ट्रेक्ट 15/9/2018 तक, Implimentation of the scheme starts from 1/10/2018. Scheme shall be fully implemented by 31/3/

2019. यानी अगले मार्च तक पूरी स्कीम फुल्ली लागू हो जाने की तैयारी है।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी जो कि सरकार के एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है, जिससे दिल्ली में अलग अलग कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटने वाली आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, इसकी भी समय सीमा तय कर ली गयी है। इसका भी एक बार इसलिए जिक्र करना जरूरी है एल.जी. साहब ने रोक दिया था। बहुत इंपोर्टेंट स्कीम थी, उसके बाद मंजूरी मिल गयी तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए मंजूरी मिलने को फिर किया जायेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर ली गयी है और सरकार द्वारा तय समय सीमा के मुताबिक 23 मार्च 2018 यानि कल ही इसके टेंडर खोल लिए जाएंगे। इसके बाद जाँच टेक्निकल विडिंग और फाइनेंसियल विडिंग आदि का काम अप्रैल महीने में पूरा कर 01 मई 2018 तक चयनित कम्पनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया जायेगा और 15 जून 2018 से ये योजना लागू हो जाएगी।

सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाके पैरेंट्स को फीड देने तक की योजना का मैंने बजट में जिक्र किया। ये काम इसपे चल रहा है परियोजना पे, इसका टेंडर 15 जून 2018 तक अवार्ड कर दिया जायेगा। परियोजना कार्य 15 जुलाई, 2018 को शुरू होने और जनवरी 2019 के अंत तक पूरा होने का अनुमान है। इसके पूर्व इस परियोजना का 07 अप्रैल, 2018 तक प्रारंभिक अनुमान जमा करने और 22 मई 2018 तक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी प्रदान किये जाने की इसको संभावना है। एक और, क्योंकि सीसीटीवी स्कूल्स में लगा रहे हैं, इसके साथ साथ पूरी दिल्ली में भी सीसीटीवी लगाने का एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था। इसके भी मेरे पास

टाईम लाइन बजट स्पीच लिखने से पहले नहीं, उस दौरान आयी। मैंने सोचा, इसमें अपने लिखित बजट स्पीच में मैं बाद में इसको डलवा दूंगा, लेकिन ये भी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है, पूरी दिल्ली के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सेंक्शन का काम 30 मार्च 2018 तक हो जायेगा। अवार्ड ऑफ वर्क 15 मई 2018 तक और स्टार्ट आफ वर्क 15 जून 2018 तक हो जायेगा और इसका कम्पलीसन ऑफ वर्क का जो रखा गया है, वो 15 जून 2019 तक का रखा गया है।

एक और महत्वपूर्ण योजना डोर स्टेप्स से संबंधित थी। डोर स्टेप डिलिवरी आफ राशन। अध्यक्ष महोदय, गरीबों को राशन देने की योजना पूरे देश में काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसके बारे में एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे देश में चोरी में चला जाता है, तो दिल्ली सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए गरीब लोगों को दिये जाना वाला राशन सीधे उनको घर पहुंच सके, इसकी एक योजना बनाई। 'डोर स्टेप डिलिवरी आफ राशन' नाम की इस योजना से गरीब लोगों का राशन, उसमें होने वाली चोरी रुकेगी, गरीब लोगों को फायदा होगा, सरकार भी हजारों करोड़ रुपये खर्च करके डोर स्टेप डिलिवरी हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो गरीबों को राशन देना चाहती है और बीच में डीलर और ह्वीलर सब लेके उसको उड़ जाते हैं, डीलर और ह्वीलर, उनसे मुक्ति मिलेगी इसके लिए। इस योजना का विरोध हो रहा है। राशन चोरी में लगे हुए तमाम लोग, चाहे वो डीलर हों या इस धांधली में शामिल अफसर हों, सब इसका विरोध कर रहा हैं, लेकिन इसके लागू होते ही राशन की चोरी पूरी तरह रुक जाएगी और गरीबी दूर करने में इसमें कामयाबी मिलेगी। कल ही इस योजना को माननीय उपराज्यपाल महोदय ने नामंजूर करके भेजा

है। अगर माननीय उपराज्यपाल महोदय से इसकी मंजूरी मिल गयी होती, क्योंकि मैंने ये बजट प्रस्ताव जो तैयार किये थे, अपनी स्पीच से पहले की थी। कल उनकी नामंजूरी आयी, उसपे। अगर उपराज्यपाल महोदय से इसकी मंजूरी मिल गयी होती तो 21 दिन के अंदर इसका कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया जाता और उसके 30 दिन के अंदर आर.एफ.टी. तैयार अगले एक महीने में इसकी टेंडर भी जारी कर दिये जाते और फिर आर.एफ.टी. में तय समय सीमा में लागू कर दी जाती, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा उम्मीद है अब देखेंगे इसमें आगे कैसे होगा।

उपरोक्त सभी योजनाएं की लाइन बजट भाषण के अंत मैंने संलग्न की हैं टेबल के रूप में। किसी भी देश के, किसी भी राज्य के बजट में, देश में बजट में, मुझे लगता है पहली बार योजनाओं की लाइन रेज की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में विचार के लिए बजट प्रस्तुत करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, देखिये, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र...

अध्यक्ष महोदयः अब नहीं, अजय दत्त जी, इसको, काम को पूरा। बैठिए प्लीज बैठिये। पहले बैठिये।

श्री अजय दत्तः जो जम्मू कश्मीर में मारे गये शहीद हुए हैं, उनके।

अध्यक्ष महोदयः वो हो चुका है, आपके आने से...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे भई ये...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अब नहीं बोलेंगे। विजेन्द्र जी, अब नहीं बोलेंगे, इस विषय पे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, इस विषय पर नहीं। सदस्य जी बोल तो रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिये। सिरसा जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या किया आपको? क्या परेशानी है? नहीं, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? आपको बहुत ज्यादा है चौकी चलाने का। बैठ जाइये, बैठ जाइये नीचे। परेशानी हो रही है। इन सरकारी अफसरों को... आप दे रहे हैं। इन सरकारी अफसरों को सर पे आपने चढ़ा रखा है। सबने आपने चढ़ा रखा है सरकारी अफसरों को सर। बैठ जाइये। बैठ जाइये नीचे। बैठ जाइये नीचे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठें, बैठें। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। विशेष जी, बैठिये, प्लीज बैठिये। प्लीज बैठिये, बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिये, जगदीप जी बैठिये। जगदीप जी बैठिए प्लीज, बैठिये। छोड़िये, छोड़िये बैठिये। जगदीप जी बैठिये, प्लीज बैठिये, बैठिये, कोई बात नहीं बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये राष्ट्रवादी हैं, बैठिए अब। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये राष्ट्रवादी हैं सब। बैठिए प्लीज। बैठिए, प्लीज। अजय दत्त जी, अब आप बैठिए। मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ। आप सब सदस्य जो कुछ है, मुझे लिखके दे दीजिएगा। इस पर नियम क्या कहता है, मैं उस पर विचार करूँगा। अजय दत्त जी, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले।

श्री अजय दत्तः अगर शहीदों का अपमान...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भाई सौरभ जी, बैठाइए, इनको बैठाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, बैठिए, प्लीज बैठिए । बैठ जाइए। विशेष रवि जी, बैठिए आप। बैठिए प्लीज। मुझे माननीय सदस्य ये लिखके दें दें। इस पर क्या कानून कहता है, मैं उसको देखूँगा।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा कानून होता है देश से बढ़ के? इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। अगर देश के शहीदों के बारे में शोक की बात होती है और कोई चीफ सेक्रेटरी... ...(व्यवधान) अगर फलाने कानून में ये लिखा है कि मैं इतना बड़ा अफसर हूँ कि मैं शहीदों के लिए भी नहीं खड़ा होऊँगा तो मुझे लगता है कि उस आदमी की, उस कानून की कोई वैल्यू नहीं हैं। सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसके अन्दर कोई कानून की किताब नहीं चलेगी। देश के शहीदों की बात है।

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्दः इसमें कानून क्या सारा... शहीदों के सम्मान की बात है। ...(व्यवधान) सारा सदन श्रद्धांजलि दे रहा है और सारे के सारे आफिसर्स बैठे हुए हैं। ये शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है! पूरे सदन के प्रिविलेज का मामला है।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठिए। सौरभ जी, बैठिए अभी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, सच्चाई सदन के सामने होनी चाहिए। प्रिविलेज कमेटी में जाने की क्या जरूरत है? आपके आँखों के सामने सब कुछ हुआ है। आप इसके अन्दर कोई रूलिंग दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए। प्लीज, बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सभी सदस्यों से। भारी मन से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए।

अनुपूरक अनुदान माँगों (2017–18) का प्रस्तुतीकरण एवं पारण

अब मैं माननीय उपमुख्यमंत्री, वर्ष 2018–19 की डिमान्डस फॉर ग्रान्टस पेश करें।

उप मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I present the annual budet for the financial year 2018-19 before this house.

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय उपमुख्यमंत्री 2017–18 के लिए सप्लीमेन्ट्री डिमान्डस पेश करेंगे।

उप मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I present the Demands for Grants for the the financial year 2018-19 .

अध्यक्ष महोदयः अब सदन सप्लीमेन्ट्री डिमान्डस पर डिमान्ड वाइज विचार करेगा।

डिमान्ड नम्बर–दो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रेवेन्यू में तीन लाख रुपये रखें हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर दो पास हुई।

अध्यक्ष महोदय हूँ डिमान्ड नम्बर—तीन जिसमें रेवेन्यू में चार लाख रुपये रखे गये हैं, सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर—तीन पास हुई।

डिमान्ड नम्बर—चार फाईनेन्स, जिसमें रेवेन्यू में छः लाख रुपये रखे गये हैं, सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर—चार पास हुई।

डिमान्ड नम्बर पाँच होम, जिसमें रेवेन्यू में 74 करोड़ 3 लाख रुपये रखे गये हैं, सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर—पाँच पास हुई।

डिमान्ड नम्बर–छः एजूकेशन, जिसमें रेवेन्यू में 34 लाख रुपये और कैपिटल में 45 करोड़ रुपये रखे हैं। कुल राशि 45 करोड़ 34 लाख रुपये सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर–छः पास हुई।

डिमान्ड नम्बर–सात मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ, जिसमें रेवेन्यू में 19 लाख रुपये और कैपिटल में 5 लाख रुपये रखे हैं। कुल राशि 24 लाख रुपये सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर–सात पास हुई।

डिमान्ड नम्बर 8 सोशल वेलफेयर, जिसमें रेवेन्यू में 8 अरब 39 लाख रुपये और कैपिटल में 1 अरब 4 करोड 49 लाख रुपये रखे हैं। कुल राशि 9 अरब चार करोड़ अट्ठासी लाख रुपये सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर–आठ पास हुई।

डिमान्ड नम्बर–नौ इन्डस्ट्री, जिसमें रेवेन्यू में पाँच लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर–नौ पास हुई।

डिमान्ड नम्बर–दस डेवलपमेन्ट, जिसमें रेवेन्यू में 13 लाख रुपये, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर–10 पास हुई।

डिमान्ड नम्बर–11 अरबन डवलपमेन्ट एण्ड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 43 करोड 28 लाख रुपये और कैपिटल में 13 लाख रुपये है, कुल राशि 1 अरब 43 करोड़ 41 लाख सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नम्बर–11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 10 अरब 18 करोड़ 54 लाख रुपये एवं कैपिटल में 1 अरब 49 करोड़ 67 लाख रूप्ये, कुल राशि 11 अरब 68 करोड़ 21 लाख की सप्लीमेन्ट्री डिमान्डस की मंजूरी दे दी है।

विनियोजन (संख्या–1) विधेयक, 2018

(एप्रोप्रिएशन नम्बर 1) बिल 2018 (बिल नम्बर 2 ऑफ 2018)। अब माननीय उप मुख्यमंत्री एप्रोप्रिएशन (नम्बर–1) बिल 2018 (बिल नम्बर–2 ऑफ 2018) को हाउस में इन्ट्रोड्यूस करने की परमीशन मांगेंगे।

उप–मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the 'Appropriation (No.1) Bill, 2018' (Bill No. 02 of 2018).

अध्यक्ष महोदय हूँ माननीय उपमुख्यमंत्री का प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उपमुख्यमंत्री बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

उपमुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I introduce the Appropriation no. 1 Bill, 2018' (Bill No. 02 of 2018) to the House.

अध्यक्ष महोदयः अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–दो, खण्ड–तीन शेड्यूल बिल का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

खण्ड–दो, खण्ड–तीन एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड–एक प्रियेम्बल और टाइटल बिल का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

खण्ड–एक, प्रियेम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गये।

अब माननीय उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि अप्रोप्रिएशन नम्बर 1 बिल 2018, (बिल नम्बर 2 ऑफ 2018) को पास किया जाए।

उपमुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass Appropriation no. 1 Bill, 2018' (Bill No. 02 of 2018) to the House.

अध्यक्ष महोदयः माननीय उपमुख्यमंत्री का प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

एप्रोप्रिएशन नम्बर– एक बिल 2018 बिल नम्बर ऑफ 2018 पास हुआ।

वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन

अध्यक्ष महोदयः अब श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ किः

"दिल्ली विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम–192 के उप नियम–2, नियम–194 के उप नियम–2 और नियम 196 के उप नियम–2 के अनुसरण में इस सदन के सदस्य 01 अप्रैल 2018 से आरम्भ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं।"

अध्यक्ष महोदय हूँ यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, आज प्रश्न काल के लिए सूचीबद्ध ताराँकित यानी स्टार्ड क्वेश्चन्स संख्या 61 से 80 के लिखित उत्तरों को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विशेष उल्लेख के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी मामलों को पढ़ा हुआ माना जाएगा। मैं निर्देश देता हूँ कि इन सभी मामलों को संबंधित विभागों में उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए। जिन सदस्यों के नाम विशेष उल्लेख नियम–280 के लिए आज सूचीबद्ध है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ– श्री करतार सिंह तंवर जी, श्रीमती बंदना कुमारी, एसके बग्गा जी, विजेन्द्र गुप्ता जी, गिरीश सोनी जी, जगदीश प्रधान जी, सुरेन्द्र सिंह जी, अजय दत्त जी, रघुविन्द्र शौकीन जी, श्री ऋतुराज गोविंद जी।

कल शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2018 को शहीदी दिवस के अवसर पर विधान सभा परिसर में, सभी माननीय सदस्य कृपया ध्यान से इसको नोट कर लें। कल शुक्रवार, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, दिनांक 23 मार्च, 2018 को शहीदी दिवस के अवसर पर विधान सभा परिसर में प्रात हूँ 10:30 बजे शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आप सभी इस अवसर पर उपस्थित रहें। इसमें समय में सुधार कर लें, 2 बजे सदन भी शुरू होगा। समय 10:30 की बजाय सदस्यों को दोबारा न आने पड़े। एक बजे तो लेट हो जाएगा। लंच भी करना होगा ना जी।

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): सर, सदन पहले कर लेते हैं। सुबह 11 बजे कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय हूँ सदन 11 बजे कर लें? नहीं, सदन 12.30 कर दें।

उप मुख्यमंत्रीः इवेंट 12.30 बजे।

अध्यक्ष महोदयः इवेंट 12.30 बजे का। ठीक है माननीय सदस्यों को दोबारा न आना पड़े, यह गलती रही मेरी ओर से। हम 12.30 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। उसके बाद लंच की व्यवस्था भी रहेगी और 2:00 बजे सदन आरंभ हो जाएगा। आप सभी इस अवसर पर निश्चित रूप से उपस्थित रहें।

बजट प्रस्तुत करने के उपलक्ष में दोपहर का भोजन माननीय वित्त मंत्री जी के सौजन्य से आज है, विधान सभा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी माननीय सदस्य और पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

61. श्री सुरेन्द्र सिंह, विधायकः क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्रों में कितनी मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक होटल को कितनी मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में प्रत्येक झुग्गी कलस्टर में कितनी मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है;

(घ) दिल्ली कैटोमेंट में स्थित शंकर विहार कैंप के युजिआर को पानी की सप्लाई कब तक शुरू कर दी जाएगी;

(ङ) क्या यह सत्य है कि 13 बीआरडी पालम विहार एयरपोर्ट स्टेशन को जल कनैक्शन सेंक्शन किया गया है; और

(च) यदि नहीं जा इसे कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 26 एम.जी.डी. (मिलियन गैलन) पीने का पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 244 छोटे व बड़े होटल/रेस्टोरेंट है। इन निकायों की औसतन खपत 13 किलो लीटर प्रतिदिन प्रति होटल अनुमानित है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में प्रत्येक झुग्गी कलस्टर में पीने का पानी पब्लिक हाइड्रेंट व पानी के टेंकर से उपलब्ध कराया जाता है। जिसका उल्लेख निम्न हैः–

	झुग्गी कलस्टर का नाम	पानी की मात्रा (किलो लीटर में)
1	2	3
1.	संजय कैम्प, चाणक्यपुरी	460
2.	विवेकानन्द कैम्प चाणक्यपुरी	60
3.	शंकर कैम्प मोती बाग	20
4.	अर्जुन दास कैम्प लक्ष्मीबाई नगर	15
5.	हरिजन बस्ती अनंतराम डेयरी	24
6.	पालिका मिलन के पीछे सरदार पटेल रोड	3
7.	एन.एस.सी.आई. क्लब स्टाफ क्वाटर	34
8.	प्रिंसिस पार्क मैस स्टाफ क्वाटर	135
9.	सॉगली मैस	101
10.	फरिद कोट हाउस लेन	14
11.	पार्क लेन	47
12.	झुग्गी कैम्प काली बाडी डेयरी नं. 95—वाटर कन्ट्रोंल रूम के सामने	135
13.	काली बाड़ी वाटर कन्ट्रोंल रूम के पीछे	
14.	पालिका धाम	20
15.	चेम्सफोर्ड क्लब	7

1	2	3
16.	पेशवा रोड झुग्गी कलस्टर	35
17.	रायसीना रोड झुग्गी कलस्टर	24
18.	ली मैरिडेन के पीछे	41
19.	धोबी घाट नं. 15 साउथ ऐवेंन्यु	27
20.	2 नं. तुगलक लेन और 21 औरंगजेब लेन के पीछे	34
21.	इंदिरा गांधी कैम्प नई खन्ना मार्केट के पीछे	7
22.	राजीव गांधी कैम्प टी.पी. लेन के पीछे मदर टैरेसा क्रिसेंट रोड	7
23.	शहीद अर्जुन दास कैम्प, कुशक नाला टी.पी. लेन मदर टैरेसा क्रिसेंट	13
24.	भारती नगर खान मार्केट झुग्गी कलस्टर	7
25.	इंदिरा कैम्प पंडारा रोड केन्द्रिय	20
26.	झुग्गी कलस्टर कश्मीर हाउस राजा जी मार्ग के पीछे	13
27.	भईया राम कैम्प रेस कोर्स क्लब, लोक कल्याण मार्ग	236
28.	डी.आई.डी. कैम्प रेस कोर्स	41
29.	शिव मंदिर कैम्प नियर दिल्ली फलाईंग क्लब	13
30.	मस्जिद पोलो ग्राउड के पास रेस कोर्स क्लब	41
कुल		1715

(घ) पानी की लाईन तथा पम्प लगाने का कार्य लगभग जुलाई, 2018 तक पूरा हो जाएगा। परंतु पानी की उपलब्धता के उपरान्त शंकर विहार में पानी की सप्लाई की जा सकेगी।

(ङ) जी हां।

(च) उपरोक्त (ङ) के अनुसार।

62. श्री नारायण दत्त शर्मा, विधायकः क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधान सभा में स्थित मोलरबन्द क्षेत्र के वार्ड न. 96 में सीवरेज का कार्य प्रारम्भ करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

मुख्यमंत्रीः (क) और (ख) मोलर बन्द, वार्ड नं. 96 का क्षेत्र ताजपुर (जी.ओ.सी.) सीवरेज स्कीम के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में सीवर लाईन डालने का कार्य और 10 एम.जी.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के लिए विस्तृत योजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए डी.पी.आर., एन.एम.सी.जी. विभाग को वित्तीय सहायता अनुमोदित हेतु भेजी जानी है।

वित्तीय सहायता अनुमोदित होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

63. श्री जगदीश प्रधानः क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनु.जाति / अनु.ज.जाति / अ.पि.वि. / अल्पसंख्यकों को शिक्षा के उद्देश्य से प्रदान की जा रही सहायता का विवरण क्या है;

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का विवरण क्या है;

(ग) वर्ष 2017–18 में इस उद्देश्य के लिए आवंटित किए गए फंड एवं वास्तव में खर्च की गई राशि का विवरण क्या है;

(घ) दिल्ली में इन श्रेणियों से संबंधित कितने विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे है; और

(ङ) कुल विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में इन श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है;

समाज कल्याण मंत्रीः (क) अनु.जाति / अनु.ज.जाति / अ.पि.वि. / अल्पसंख्यकों को शिक्षा के उद्देश्य से प्रदान की जा रही सहायता का विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है।

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का विवरण अनुलग्नक ''ख'' में वर्णित है।

(ग) वर्ष 2017–18 में इस उद्देश्य के लिए आवंटित किए गए फंड एवं वास्तव में खर्च की गई राशि का विवरण अनुलग्नक ''ग'' में दर्शाया गया है।

(घ) अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित दिल्ली संख्यिकीय पुस्तिका 2017 के अनुसार वर्ष 2016–17 में दिल्ली के शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति व जनजाति के कुल विद्यार्थियों की संख्या 485682 है। जिनमें अनु.जाति के विद्यार्थियों की संख्या 468046 तथा जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या 17636 है।

(ङ) अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित दिल्ली सांख्यिकीय पुस्तिका 2017 के अनुसार वर्ष 2016–17 में दिल्ली के शिक्षा संस्थानों में कुल विद्यार्थियों की संख्या में अनुसूचित जाति व जनजाति विद्यार्थियों की संख्या 10.39% है।

अनुलग्नक "क"

अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.वि./अल्पसंख्यकों को शिक्षा के उद्देश्य से प्रदान की जा रही सहायता का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता का विवरण
1.	ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12 तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक 2. पिछली कक्षा में कम–से कम 50 प्रतिशत अंक 3. पिछली कक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत हाजिरी। 4. अल्पसंसख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	60,000/– तक वार्षिक आय के लिए 100% 60,001/– से 2,00,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 75%
2.	(कक्षा 1 से 12) छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु.जन. जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/	(i) अ.जा./अ.जन./ अल्पसंख्यक 1 से 8 कक्षा

अल्पसंख्यक के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	रु 1000/— प्रति वर्ष (अंक % की कोई सीमा नहीं) (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (6 से 8) लिएः— 55 से 60% अंक पिछली कक्षा रु. 600/— प्रति वर्ष 60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा रु. 720/— प्रति वर्ष उपर्युक्त (i) और (ii) के दावों के लिए 9 से 10 कक्षाः— रु. 1620/— प्रति वर्ष (55% से 60% अंक पिछली कक्षा) रु. 2040/— प्रति वर्ष (60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा) 11 से 12 कक्षाः— रु. 3000/— प्रति वर्ष (55% से 70% अंक पिछली कक्षा)

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता का विवरण
			रु. 4500/– प्रति वर्ष (70% से ऊपर अंक पिछली कक्षा)
3.	(कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	रु. 1000/– प्रति वर्ष रु. 2000/– प्रति वर्ष
4.	कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु.जन. जाति के लिए कोई आय सीमा नहीं। 2. अल्पसंख्यक/पिछडा वर्ग के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 3. पिछली कक्षा में कम	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रु. 9,648/– से 22,320/– प्रति वर्ष (ii) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए रु. 5,040/– से रु. 11,520/– प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)

		से कम 60 प्रतिशत अंक। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	
5.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। (कक्षा 1 से 10)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	कक्षा 1 से 5 तक 1000 रुपये प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 10 तक (1000+4200+500) रुपये प्रतिवर्ष
6.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	कक्षा 11 से 12 तक (1400+10000) रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (1850+3000) रुपये प्रतिवर्ष कक्षा एम.फिल. एवं पी.एच.डी. (3300) रुपये प्रतिवर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता का विवरण
7.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति (स्नातक स्तर के तकनीकि एवं व्यवसायिक कोर्स)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लख रुपये तक।	5000/10000+20000 और सूचीबद्ध संस्थान को देय पूरी फीस।
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	1. पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60 प्रतिशत से अधिक 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	होस्टलर (3 से 10):– रु. 500/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) (1 से 12):– रु. 100/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) (पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60% से अधिक)
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अधिकतम पारिवारिक आय	अनुरक्षण भत्ता

	विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	1 लाख रुपये तक।	होस्टल रु. 260/– से रु 750/– प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु 160/– से रु 350/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार
10.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/– से रु 1200/– प्रति माह डे स्कॉलर रु. 230/– से रु 550/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार
11.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	डे स्कॉलर रु. 225/– प्रति माह 10 महीनों के लिए बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 750/–

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता का विवरण
			होस्टलर रु. 525/– प्रति माह 10 महीने और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 1000/–
12.	डा. बी. आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार	15 सूचीबद्ध संस्थान	8000 रुपये प्रति कोर्स

अनुलग्नक "ख"

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता का विवरण
1.	कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु.जाति/अनु.जन.जाति के लिए कोई आय सीमा नहीं। 2. अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रुपये 9,648/– से 22,320/– प्रति वर्ष (ii) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए रु. 5,040/–

		रुपये तक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	से रु. 11,520/– प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)
2.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	कक्षा 11 से 12 तक (1400+10000) रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (1850+3000) रुपये प्रति कक्षा एम.फिल. एवं पी.एच.डी. (3300) रुपये प्रतिवर्ष
3.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति। (स्नातक स्तर के तकनीकि एवं व्यवसायिक कोर्स)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	5000/10000+20000 और सूचीबद्ध संस्थान को देय पूरी फीस।

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता का विवरण
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 260/— से रु 750/— प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु. 160/— से रु. 350/— प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार
5.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/— से रु 1200/— प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु. 230/— से रु. 550/— प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार

अनुलग्न–ग

Government of National Capital Territory of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities
Expenditure upto 12.3.2018

Demand No-8

In Crore (Rupees)

Sl. No.	Major Head/ Schemes	2017-18	
		RE	Total Expend. Till date upto 12.3.2018
1	2	3	4
1	Free Supply of Book and Stationary to Scheduled Caste Students in schools	57.00	54.20
2	Free Supply of Book and Stationary to Scheduled Caste Students in schools (SCSP)	38.00	34.31
3	Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC and minority students-Class I to XII	67.00	21.45
4	Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC and minority students-Class I to XII (SCSP)	44.00	12.95
5	Scholarship for colleges and university students for SC/STs.	3.50	1.61

1	2	3	4
6	Scholarship for colleges and university students for SC/STs (SCSP)	3.00	1.53
7	Vocational Technical Scholarship Meritorious Scholarship and Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship to SCs	0.22	0.00
8	Vocational Technical Scholarship Meritorious Scholarship and Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship to SCSP	0.22	0.00
9	Reimbursement of tution fee in public school	40.00	27.87
10	Reimbursement of tution fee in public school (SCSP)	16.00	7.83
11	Post Matric Scholarship Scheme	8.00	6.69

64. सुश्री राखी बिड़ला : क्या **उप मुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकताओं एवं अधिकारियों का उनके सम्पर्क सूत्र सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) विभाग में कुल कितने पद सेंक्शन किए गए हैं एवं कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि रिक्त पड़े कुछ पद अनुबंध के आधार पर भरे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री / मंत्री : (क) मंगोलपुरी विधानसभा में कार्यरत परियोजना अधिकारियों, सुपरवाईजरों एवं आंगनवाड़ी कार्यकताओं, के नाम व उनके सम्पर्क सूत्र का विवरण परियोजनावार संलग्न[1] है।*

(ख) से (घ) समेकित बाल विकास परियोजना सेवाओं के अंतर्गत पदों का वांछनीय विवरण निम्नलिखित है:–

पद	सेंक्शन	भरे हुए स्थाई पद	अनुबंध के आधार पर भरे पद	संविदा के आधार पर भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
निदेशक	1	0	0	0	1
संयुक्त निदेशक	1	0	0	0	1
उपनिदेशक	1	1	0	0	0
जिला कार्यक्रम अधिकारी	5	5	0	0	0
कार्यक्रम अधिकारी	1	1	0	0	0
अनुभाग अधिकारी	5	5	0	0	0
लेखापाल	1	0	0	0	1
परियोजना अधिकारी	95	62	0	0	33
सांख्यिकीय सहायक	82	7	0	24	51

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

1	2	3	4	5	6
पर्यवेक्षिका	432	200	71	157	4
वरिष्ठ सहायक	6	6	0	0	0
कनिष्ठ सहायक	85	16	6	30	33
चालक	5	2	0	0	3
चपरासी	95	6	19	37	33
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (मानदेय भत्ते पर कार्यरत)	10897	9847	0	0	1050
आंगनवाड़ी सहायिका (मानदेय भत्ते पर कार्यरत)	10897	10897	0	0	0

65. श्री नरेश बाल्यान, विधायक : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तम नगर विधानसभा में सीवर की लाइने डाली गई है;

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है; और

(ग) यह सीवर लाइन कब तक चालू हो जाएगी?

मुख्यमंत्री : (क) हां। यह सत्य है कि उत्तम नगर विधान सभा में मोहन गार्डन कॉलोनी समूह एवं बिंदापुर कॉलोनी समूह में सीवर की लाईन बिछाई गयी है।

(ख) उत्तम नगर विधान सभा में मोहन गार्डन ग्रुप ऑफ कॉलोनीज एवं बिदांपुर ग्रुप ऑफ कॉलोनीज में सीवर लाइन बिछाई गयी है। बिंदापुर ग्रुप ऑप कॉलोनीज में सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और मोहन गार्डन कॉलोनी समूह मे अब तक 97.20 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसका विवरण संलग्न है।

(ग) उत्तम नगर विधान सभा में मोहन गार्डन ग्रुप ऑफ कॉलोनीज एवं बिंदापुर ग्रुप ऑफ कॉलोनीज में सीवर लाइन बिछाई गयी है। मोहन गार्डन कॉलोनी समूह की सीवर लाईन के 30 जून, 2018 तक चालू होने की संभावना है और बिंदापुर कॉलोनी समूह की सीवर लाईन के 31 मार्च, 2018 तक चालू होने की संभावना है।

विवरण-I

Supplementary Information to the Starred Question No.65 for Vidhan Sabha Question Budget 018 pertaining to Delhi Jal Board due for 22.03.2018

1.	Name of work:	"Providing sewerage facility in Mohan Garden Group of Colonies falling under Nilothi WWTP catchment area in West Delhi".
2.	Awarded Cost:	Rs. 228.40 Cr.
3.	Agency:	M/s Larsen &Toubro Limited
4.	W.O No:	1(2013-14) dated 14.5.2013
5.	D.O.S as per W.O	23.05.2013
6.	D.O.C as per W.O	22.05.2016

7.	Estimated D.O.C	30.06.2018

Brief Details:

1.	Constituency	AC constituency No. 32 & 31 (Uttam Nagar and Vikaspuri)
2.	No. of colonies:	Total - 76 Nos • Uttam Nagar-52 Nos • Vikas Puri-24 Nos
3.	Length :	Total Length: 198 Km
4.	Population Benefited:	273359 Nos.
5.	Details of Outfall:	03 Nos in the Interceptor Sewer.
6.	Total Discharge:	8.128 MGD
7.	% rogress achieved so far.	97.2%

विवरण-II

Supplementary Information to the Starred Question no.65 for Vidhan Sabha Question Budget 2018 pertaining to Delhi Jal Board due for 22.03.2018.

1.	Name of work:	"Providing & Laying 280 mm to 630 mm Nominal dia sewer line in Bindapur Group of Colonies falling under Dwarka WWTP Catchment area in Delhi".
2.	Awarded Cost:	Rs.35 Rs..65 Cr.
3.	Agency:	M/s Raj Conbuild Ltd - Jaihind Projects Ltd. JV

4.	W.O No:	No.05(2013-14) dated 23.09.2013.
5.	D.O.S as per W.O	30.09.2013
6.	D.O.C as per W.O	29.03.2015
7.	Estimated D.O.C	31.03.2018

Brief details

1.	Constituency	AC constituency No. 32 (Uttam Nagar)
2.	No. of colonies:	13 Nos Unauthorized colonies.
3.	Length:	31 Km
4.	Population Benefited:	43390 Nos.
5.	Details of Outfall:	03 Nos.
6.	Total Discharge:	1.291 MGD
7.	% progress achieved so far.	99%

(Sandeep Kulshrestha)
EE(P)SR-II

66. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर निगमों से वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशनर्स से संबंधित सूचना प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ख) कितने व्यक्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई;

(ग) क्या उनके विवरण को सत्यापित कर लिया गया है;

(घ) सत्यापन के बाद कितने व्यक्तियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है;

(ङ) कितने व्यक्तियों से दोबारा प्रार्थना पत्र मांगे गए है;

(च) कितने व्यक्तियों के विवरण सत्यापित नहीं किए जा सके; और

(छ) इन श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को कब तक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

समाज कल्याण मंत्री : (क) नगर निगमों से वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशनर्स से संबंधित अव्यवस्थित आंकड़े प्राप्त हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिसम्बर, 2016 के अनुसार नगर निगम के वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशनधारियों के दिल्ली सरकार की पेंशन योजना में स्थानांतरण हेतु नगर निगम द्वारा फरवरी, 2017 तक विभिन्न वार्डों में दस्तावेज एवं योग्यता जांच हेतु 155 कैम्पों का आयोजन हुआ।

इसके उपरांत समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा 3–4 मार्च, 2017 को सत्यापन हेतु 10 जिला कार्यालयों में मेगा कैम्प आयोजित किया गया।

(ख) नगर निगमों द्वारा आयोजित सत्यापन कैम्पों में कुल 13305 वृद्ध एवं कुल 688 विकलांग व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई तथा दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मैगा कैम्प में कुल 1494 व्यक्तियों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए संपर्क किया।

(ग) जी हां।

(घ) सत्यापन के बाद कुल–9533 वृद्धजनों एवं कुल–723 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है।

(ङ) दिल्ली सरकार की पेंशन योजनाओं के नियमानुसार योग्य पाये गए सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत कर पेंशन प्रेषित की जा चुकी है। अतः दोबारा प्रार्थना पत्र नहीं मांगे गए।

(च) कुल–3800 व्यक्तियों के विवरण सत्यापित नहीं किए जा सके।

(छ) इन सभी योग्य लाभार्थियों को सूचारू रूप से पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

67. श्री ऋतुराज गोबिन्दः क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं एवं इन लोन्स को प्रदान करने वाली एजेंसियों का विवरण क्या है;

(ग) इन लोन्स को प्राप्त करने की पात्रता का मानदंड क्या है;

(घ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वितरित किए गए लोन्स का विवरण क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में अनु.जाति./जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने का कार्य दिल्ली सरकार का निकाय अनु.जाति./जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम करता है। अन्य संबंधित सभी विवरण निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजनाओं और पात्रता संबंधी विवरण संलग्नक 'क' में वर्णित है।

(ग) ऋण योजनाओं की पात्रताएं ''संलंग्नक–क'' के अनुसार है। साथ ही ऋण योजनाओं का विवरण व पात्रता मापदंड निगम को वेबसाइट पर उपलब्ध है। समय–समय पर इन सूचनाओं को अपडेट किया जाता है।

(घ) यह निगम विधानसभा के अनुसार ब्यौरा एकत्रित नहीं करता है अपितु इस निगम द्वारा वर्ष 2017–18 (28 फरवरी तक) कुल 220 व्यक्तियों को 477.96 लाख रुपये का ऋण तथा 508 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ङ) इस निगम द्वारा समय–समय पर विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है।

संलग्नक–''क''

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की मूलभूत पात्रताएं

1. कम्पोजिट ऋण योजना

1. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 1.20 लाख से अधिक ना हो।
4. आवेदक के पास प्रस्तावित कार्य हेतु अपना अथवा किराये का उपयुक्त कार्यस्थल होना चाहिए।
5. आवेदक डीएसएफडीसी द्वारा कार्यान्वित किसी भी योजना में डिफाल्टर घोषित ना हो।

2. दिल्ली स्वरोजगार योजना

1. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 2.00 लाख से अधिक ना हो।
4. आवेदक के पास प्रस्तावित कार्य हेतु अपना/रिश्तेदार अथवा किराये का उपयुक्त कार्यस्थल होना चाहिए।

5. आवेदक डीएसएफडीसी द्वारा कार्यान्वित किसी भी योजना में डिफाल्टर घोषित ना हो।

6. आवेदक कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

7. आवेदक के पास प्रस्तावित कार्य हेतु तकनीकी शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए परन्तु जो लाभार्थी पिछले तीन वर्षों से परम्परागत कारीगरी या प्रस्तावित कार्य में कार्य कर रहे है।

3. बिग लोन योजना

1. आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास दिल्ली का राशन काड एवं चुनाव पहचान पत्र।

2. आधार कार्ड अनिवार्य है।

3. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4. आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय अजा/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग में 1,20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग में जो उच्च वर्ग के लाभार्थी है, उनकी आय सीमा वार्षिक 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। निःशक्त जन वर्ग एवं सफाई कर्मचारी वर्ग में कोई आय सीमा नहीं है।

5. आवेदक इस निगम/राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान एवं को–ऑपरेटिव बैंक की किसी भी योजना में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

6. आवेदक को प्रस्तावित कार्य में पर्यापत ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।

7. आवेदक के पास एसएसआई प्रमाण पत्र, प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र और प्रस्तावित कार्य हेतु अन्य अधिकृत प्राधिकारियों से निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति पत्र होना चाहिए। (प्रस्तावित कार्य के अनुसार लागू)

4. परिवहन ऋण योजना

1. आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास दिल्ली का राशन काड एवं चुनाव पहचान पत्र।

2. आधार कार्ड अनिवार्य है।

3. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4. आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय अजा/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग में 1,20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग में जो उच्च वर्ग के लाभार्थी है, उनकी आय सीमा वार्षिक 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी वर्ग में कोई आय सीमा नहीं है।

5. आवेदक के पास वैद्य व्यवसायिक लाईसेंस (एलएमबी) एवं बैज होना चाहिए।

6. आवेदक इस निगम/राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान एवं को–ऑपरेटिव बैंक की किसी भी योजना में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

5. शैक्षिक ऋण योजना

1. आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो तथा वह अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं निःशक्त जन समुदाय से सम्बन्ध रखता हो। प्रार्थी के पास संबंधित एसडीएम द्वारा जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शपथ पत्र तथा निःशक्त जन हेतु सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र हो।

2. आवेदक अभिभावक/संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक 5.00 लाख रुपये से अधिक ना हो जिसके लिए एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

3. आवेदक द्वारा भारत के किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में दाखिला लिया हो।

4. जिस संस्थान में दाखिला लिया है, वह संस्थान पिछले तीन वर्षों में पाठ्यक्रम चलाने हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा यूजीसी, एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

5. पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष से अधिक नो हो।

6. प्रशिक्षण योजना

1. आवेदक दिल्ली का निवासी हो।

2. आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और केन्द्र सरकार या दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धि हो या सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग का हो।

3. आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो।

4. आवेदक एवं की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक ना हो। (लक्षित समूह एवं सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग)

5. अजा/जजा/अपिव के प्रार्थियों को क्षेत्रीय एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के प्रार्थियों को क्षेत्रीय एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

68. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे एक सुरक्षित, स्वस्थ, स्वतंत्र एवं सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें;

(ख) क्या सरकार की वृद्धावस्था पेंशन को इंफ्लेशनरी इंडेस्क से जोड़ने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांगता पेंशन के लाभार्थियों को उनकी पेंशन शीघ्रता से मिलना सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) इस वित्त वर्ष में इन श्रेणियों के पेंशन धारकों को पेंशन मिलने में हुई देरी के कारण व उनका विवरण क्या है;

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा दो वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं:–

1. बिन्दापुर स्थित वृद्धाश्रम।
2. लामपुर स्थित वृद्धाश्रम, जिसे गैर सरकारी संस्था दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी पब्लिक प्राईवेट साझेदारी के तहत चलाया जा रहा है।

वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 10 नये वृद्धाश्रम खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिये विभाग को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि आबंटित कर दी गई है।

इस समय वृद्धों के मनोरंजन हेतु 111 वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनको दिल्ली सरकार वित्तीय मदद देती है। मनोरंजन केन्द्रों में वृद्धजनों के मनोरंजन के सामान व खेल सामग्री के अलावा स्वास्थ्य कैम्प, पुस्तकालय, योगा, सालाना दो पर्यटन यात्रा हेतु सुविधाएं भी दी जाती हैं। मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाली समय में तनावमुक्त रहने और सामाजिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना है। ये सुविधायें वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवार से जोड़े रखती है और दिन में जब उनके परिवार के लोग अपने कार्य तथा

व्यवसाय के लिए जाते हैं तब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जिम्मेवारी उनके परिवार के लिए एक समस्या के रूप में नहीं रह जाती है।

बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा देखभाल न मिलने व संपत्ति विवाद की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेंटिनेंस एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल का 11 जिलों में प्रावधान है। विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है जिसके अन्तर्गत 60—69 आयु वर्ग के वृद्धों को 2000/— रुपये प्रतिमाह एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500/— रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। तथा 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धों को 2500/— रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

पात्रता—

* आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
* प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष का निवासी हो।
* परिवार की आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
* प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता।

(घ) जिन लाभार्थियों के खाता तथा आधार संख्या PFMS पोर्टल पर सत्यापित हो गए हैं उनको सुचारू रूप से पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

(ङ) सभी योग्य स्वीकृत लाभार्थियों को सुचारू रूप से पेंशन प्रेषित की जा रही है।

इस वित्त वर्ष में इन श्रेणियों के पेंशन धारकों को पेंशन मिलने में हुई देरी के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर।
2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण।
3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।
4. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण।
5. सरकार के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सीटिजन लॉगिन मे माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए। किंतु जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु अनेक कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। किंतु अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत है।

69. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिनगर विधान सभा में वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशन पाने वाले व्यक्तियों का विवरण क्या है;

(ख) इन विधानसभा के लोगों से वर्ष 2017 में कितने ऑल लाइन आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) इनमें से कितने लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है, उनका विवरण दें;

(घ) इनमें से जिन लोगों को अभी तक पेंशन मिलना शुरू नहीं हुई है उन लोगों का विवरण क्या है; और

(ङ) सभी पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द पेंशन मिलना शुरू होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) त्रिनगर विधानसभा में वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशन पाने वाले व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन–4804

विकलांग पेंशन–765

विवरण सीडी में संलग्न है।

(ख) इस विधानसभा के लोगों से वर्ष 2017 में प्राप्त कुल ऑन लाइन आवेदन का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन–1200

विकलांग पेंशन–156

(ग) इनमें से जिन लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है उनका विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन–1047

विकलांग पेंशन–16 व्यक्तियों की पेंशन भेजी जा चुकी है तथा 21 व्यक्तियों की स्वीकृत आवेदन पेंशन भेजने की प्रक्रिया में है।

विवरण सीडी में संलग्न है।

(घ) इनमें से जिन लोगों को पेंशन मिलना शुरू नहीं हुई है उनके द्वारा किए गए आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	अपूर्ण	स्वीकृति के लिए लंबित	सत्यापन के लिए लंबित	त्रुटिपूर्ण	अस्वीकृत आवेदन
वृद्धावस्था पेंशन	25	7	Nil	113	8
विकलांग पेंशन	Nil	2	97	23	Nil

विवरण सीडी में संलग्न है।

(ङ) विभाग द्वारा सभी योग्य पाए गए स्वीकृत ऑन लाइन आवेदकों की पेंशन तत्परता से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकताओं को घर घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।

70. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधवा महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) इस वित्त वर्ष में उन लाभार्थियों का विवरण क्या हैं;

(ग) क्या इस आर्थिक सहायता के जारी होने में देरी के मामले सामने आये है;

(घ) यदि हां, तो उन मामलों का एवं देरी के कारण का विवरण क्या है; और

(ङ) सभी पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समयावधि में उक्त सहायता मिलना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री : (क) हां, विधवा महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जातीक है।

(ख) इस वित्त वर्ष में 2151 लाभार्थियों को बेटी विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है जिनका निम्न विवरण हैः सामान्य – 2019 अनुसूचित जाति – 132 विवरण संलग्न है।[1]

(ग) इस वित्त वर्ष 2151 मामलों में से 70 मामलों में दस्तोवज पूरे न होने के कारण देरी के मामले सामने आए।

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

मानक पुरे करने वाले मामलों में निर्धारित समय सीमा में भुगतान कर दिया गया है।

(घ) आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र अतिशीघ्र जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा मामले की सत्यापन कर स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा पीएफऍमएस पोर्टल द्वारा भुगतान हेतु मुख्यालय में भेजा जाता हैं।

इस वित्त वर्ष के प्रारम्भ में भुगतान क्रिया का पीएफएमएस पोर्टल में स्थानान्तरण तथा, डीबीटी पोर्टल में पंजीकरण के कारण भुगतान में देरी के अन्य कारण निम्न है:

* दस्तावेज पूरे न होना,
* अमान्य खाता,
* निष्क्रिय बैंक की शाखा।

(ङ) पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समयावधि में उक्त सहायता मिलना सुनिश्चित करने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास कल्याण अधिकारी निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र स्वीकृत करते हैं। जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृत आवेदन मुख्यालय में प्राप्त होने के बाद मुख्यालय द्वारा आर्थिक सहायता की राशि पेंशनधारियों के बैंक खाते में शीघ्रतम भेजी जाती हैं।

71. श्री विशेष रवि जीः क्या **अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण का कार्य विभिन्न विभागों में बंटा हुआ है जिसके कारण उसमें दुविधा की स्थिति एवं देरी होती है;

(ख) क्या यह सत्य है कि अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. का मंत्री अल्पसंख्यकों के मामलों के कार्य को नहीं देख रहा हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विभाग की वेबसाइट, पब्लिक नोटिस एवं डिसप्ले बोर्ड इस विभाग के लिए जिम्मेदार मंत्री का विवरण नहीं दिखाता है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि किसी मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं एवं उनके कार्यों का रिव्यू करने हेतु कोई बैठक नहीं बुलाई है; और

(ङ) यदि उनका रिव्यू किया गया है तो उन बैठकों का एजेंडा एवं तिथियों सहित पूर्ण विवरण क्या है;

अनु.जाति./जनजाति/अ.पि.व. मंत्री : (क) अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामले सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 1/2012/GAD/CN/6008–6019 दिनांक 23.11.2015 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। (आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।) अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति से सम्बधित कार्य अभी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा ही देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग में इस कार्य को देखने के लिए जरूरी स्टाफ/कार्यबल तथा जरूरी ढांचा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां। यह कार्य राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा देखा जा रहा है।

(ग) यह कार्य राजस्व विभाग का ही एक हिस्सा है इस कारण इसको अलग से नहीं दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) राजस्व विभाग के मंत्री समय–समय पर राजस्व विभाग के मामलों से सम्बन्धी बैठक करते रहते हैं, उन बैठकों में अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं एवं उनके कार्य का रिव्यू करने हेतु अलग से बैठक बुलाए जाने का कोई विवरण/जानकारी उपलब्ध नहीं है।

72. श्री राजू धिंगान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग द्वारा मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन सर्वेक्षणें का पिछले सर्वेक्षण सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) उन सर्वेक्षणों की फाइंडिंग्स का विवरण क्या है;

(घ) मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों का पुर्नवास करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) मादक द्रव्यों की सप्लाई में कटौती करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) विभिन्न प्रकार के व्यसनकारी एवं मनः प्रभावी प्रदार्थों की बढ़ती हुई सप्लाई एवं मांग पर नियंत्रण करने हेतु डीसीपी क्राइम के साथ हुई बैठकों का विवरण क्या है; और

(छ) चीफ सैक्रेटरी के सभापतित्व में वर्ष 2016 से हुई इन्टर सेक्टोरल मीटिंग्स का उनके मिनट्स सहित पूर्ण विवरण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (क) विभाग ने दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) के जरिए 2016 में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले बेघर बच्चों पर सर्वेक्षण कराया है। इस संबंध में वित्तीय सहायता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी।

(ख) विभाग ने केवल यही सर्वेक्षण प्रमुख तकनीकी एजेंसी यानी नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रिटमेंट सेंटर, एम्स के द्वारा कराया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को दिसंबर, 2016 के दौरान विभाग में प्रस्तुत किया था।

(ग) निष्कर्षों पर संक्षिप्त रिपोर्ट संलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न हैं।

(घ) अनुलग्नक 'बी' के अनुसार

(ङ)

* दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 2017 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा बच्चों correction fluid. Thinner, Diluters and vulcanized solution/sulochans की गई है। (दिल्ली गजट अधिसूचना की प्रतिलिपि अनुलग्नक ''सी'' संलग्न है)।

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के 7 अस्पतालों में जुवेनाइल के लिए 60 बेड आरक्षित किये गए है

जिनमें दीप चंद बंधू अस्पताल में 30 बेड और 5 बेड प्रत्येक अस्पताल, मदन मोहन मालवीय अस्पताल लाल बहादुर अस्पताल डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल जीबी पंत हॉस्पिटल आईएचबीएएस और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल आरक्षित है।

* उपर्युक्त अस्पताल में समर्पित ओपीडी सेवाएं जुवेनाइल के लिए सप्ताह में एक बार प्रस्तावित की जा रही हैं।

* मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए चार जिला मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं ओपीडी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही है।

* औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा नियमित समयानुसार खास निरिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है व मादक औषधियों को नियमानुसार ना बेचने वाले केमिस्टों पर कार्यवाही की जाती है। ऐसे 20 दवाई की दुकानों का लाइसेंसों को रद्द किया गया है। विभाग अपने कार्यालय पालिसी के अनुसार जिन इलाकों में मादक औषधियों का दुरूपयोग पाया गया है वहां नई दुकानों के लाइसेंस नहीं देता है। जागरूकता अभियानों का नियोजन किया गया है ताकि दवा दुकानदार व समाजसेवी संस्थाएं इस विषय पर जागरूक हो।

(च) दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस के

अधिकारी अंतर–क्षेत्रीय समिति के सदस्यों में से एक रूप में मनोनीत हैं। दिल्ली पुलिस का यह प्रतिनिधि बैठकों में भाग ले रहा है

(छ) दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली में नशीली दवाओं की रोकथाम और नशीली दवाओं के नशे की लत के व्यापक उत्तरदायित्व के समन्वय के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय समिति का गठन 19 जनवरी, 2017 को माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जीएनसीटीडी के अनुमोदन से किया गया था।

तब से मुख्य सचिव दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में अंतर क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं जिनकी तिथियां निम्न प्रकार है

1. 22 फरवरी, 2017
2. 5 मई, 2017
3. 15 सितंबर, 2017
4. 11 अक्टूबर, 2011

उपर्युक्त उल्लेख बैठकों के मिनट्स अनुलग्नक ''डी'' के रूप में संलग्न है।*

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

अनुलग्नक 'ए'

सर्वेक्षण की फाइंडिंग्स

अध्यक्ष के प्रमुख निष्कर्ष

निष्कर्ष निम्न विवरण के अनुसार 3 अनुभागों में प्रस्तुत किए गए हैंः—

खंड I: दिल्ली की आबादी के बेघर बच्चों का प्रोफाइल

दिल्ली में बेघर अधिकांश बच्चे पुरुष हैं (78.8%) और शुरुआती किशोरावस्था (67%) में है। उनमें से लगभग 14.5% 7—10 साल और 18.5% के बीच 15—18 वर्ष के बीच है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का पाचवां हिस्सा (19.6%) है। वर्तमान में 80% से अधिक अपने परिवार/रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। उनमें से लगभग आधे के पास समुचित आश्रय (41.5%) नहीं हैं या अपर्याप्त आश्रय (8%) हैं। दिन के अधिकांश समय के दौरान वे डंपिंग ग्राउंड (36.5%) बाजार स्थान (35.4%) रेलवे और बस टर्मिनल (26.3%) में समय बिताते हैं।

खंड II (ए): नशीले पदार्थ प्रयोग का प्रचलन और आकार का आकलन

जीवनकाल (34.6%) पिछले एक वर्ष (32.2%) और वर्तमान उपयोग (पिछले 30 दिनों के भीतर 31.7%) नशीले पदार्थों का उपयोग दिल्ली के बेघर बच्चों के बीच समान है। यह अनुमान लगाया गया है कि 15.470 बेघर बच्चे अर्थात् दिल्ली के एनसीटी के सभी बेघर बच्चों के 21.1% ने पिछले एक वर्ष में तम्बाकू को छोड़कर किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल किया है। पिछले एक वर्ष में इस्तेमाल किए गए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करने

वाले बच्चों की संख्या का अनुमान है तंबाकू–21770, 9450, इन्हेलेंट–7910, कैनबिस–5600, हेरोइन–840, अफीम–420, फार्मास्यूटिकल ओपिएड्स–102 सैडेटिव–210 और नशीली दवाओं के उपयोग–इंजेक्शन–210।

खंड द्वितीय बी–नशीले पदार्थ उपयोग संबंधी सूचना

नशीली दवाओं के उपयोग की शुरूआत की औसत आयु 9.5 साल तंबाकू के लिए 12.5 वर्ष हेरोइन के लिए, सैडेटिव के लिए 13 साल और इन्जेक्शन के जरिये 11.5 साल तक। नशीले पदार्थ के उपयोग की शरुआत के लिए सामान्य कारण पीयर समूह का हिस्सा बनने के लिए 29.% जिज्ञासा (19%), (15.7%) अनुभव करने के लिए जीवन में विभिन्न तनाव और कठिनाई से निपटने के लिए जैसे गुस्सा/उदासी (9.3%), कठोर मौसम (6.4%) भूख (5.4%) या परिवार के बारे में भूल जाने (1.8%) हैं। जबकि तंबाकू और इन्हेलेंट का इस्तेमाल (24.5/30 दिन और 24/30 दिन) अन्य पदार्थ का उपयोग 9 से 19 दिन प्रति माह के बीच था।

नशीली दवाओं के इस्तेमाल की वजह से बच्चों को समस्याये महसूस करने की संख्या 79.3% थी। सामान्य समस्याएं में मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं 64.4% लड़ाई झगड़ा (53.2%), गिरना/चोट/दुर्घटना (13%) और यौन व्यवहार (11.5%) शरीरिक समस्यायें (46%) कानूनी समस्याएं (27.4%) यौन पक्षों या नशीले पदार्थें की खरीद/प्राप्त करने या पैसे लेने के लिए 12 % बच्चों में यौन दुव्यवहार शामिल है।

खंड III- नशीले पदार्थ उपयोगकर्ताओं और गैर–उपयोगकर्ताओं की तुलना

जब 76(49.1%) नशीले पदार्थ के उपयोगकर्ताओं (पिछले एक वर्ष में किसी भी पदार्थ का उपयोग) की तुलना 390 (50.9%) गैर–उपयोगकर्ताओं (जिनके द्वारा पिछले वर्ष किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया था) के साथ किया गया तो कई महत्वपूर्ण अंतर पाये गये। नशीले पदार्थ इस्तेमाल करने वाले बच्चे काफी बड़े थे (7–10 वर्ष आयु वर्ग में 18.4% 33.3% बनाम और 15–18 वर्ष आयु वर्ग में 37.8 बनाम 15.4%)। नशीले पदार्थ उपयोगकर्ताओं में काफी अधिक पुरूष थे (93.4% बनाम 75.6%)। बेघर बच्चों में नशीले पदार्थ उपयोग करने वाले ज्यादातर बच्चे पर्याप्त आश्रय से वंचित थे और खुले में (44.9% बनाम 31%) रह रहे थे और अकेले या साथियों (37.5% बनाम 7.9%) के साथ रह रहे थे।

बेघर बच्चों में नशा करने का प्रमुख कारण सहकर्मी प्रभाव (31.1% बनाम 12.3%)। पारिवारिक अपमान (22.3% बनाम 8.7%) के कारण सड़कों पर अपना समय व्यतीत कर रहे (43.4% vs. 34.9%) और रेलवे प्लेटफॉर्म बस टर्मिनलों (40.2% बनाम 20.5%) पर थे। पारिवारिक (51.1% बनाम 18%)। परिवार के सदस्यों (68.6% विरूद्ध 57.2% अल्कोहल के लिए) और साथियों (97.9% बनाम 45.4%)। हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाएं (75%) बनाम मूलभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा 53.3%) गैर उपयोगकर्ताओं के मुकाबले पदार्थ उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक सामान्य थे। गैर–उपयोगकर्ताओं के मुकाबले कई पदार्थ उपभोक्ता के पास दिल्ली (16.5% बनाम 5.9%) के बाहर रहने वाले परिवार थे और हाल ही में उनके परिवार के संपर्क में नहीं थे (15.2% बनाम 4.1%)।

नशीले पदार्थ उपयोगकर्ताओं की महत्वपूर्ण संख्या कुछ कमा रहे थे (7.2% बनाम 32.2%)ः सामान्य कूड़ा बीनना (64.4% बनाम 36.7%). भीख मांग (28.8 वी। 16.2%) और अन्य अकुशल काम (7.4% बनाम 7.4%)। ड्रग्स के अलावा (76.3% बनाम 2.6%). इन लोगों द्वारा बड़ी संख्या में कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन (62% बनाम 40.5%) पर पैसा खर्च करते हैं और परिवार पर कम खर्च करते हैं (29.3% बनाम 49.5%)।

अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष

दिल्ली के पूरे एनसीटी में कुल 192 हॉटरपॉट (यानी जहां स्थानों पर कम 25 बेघर बच्चे थे) की पहचान की गई।

अधिकांश हॉस्टपॉट्स में बच्चे काम कर (79.78%) या भीख मांगने से (68.2%) अपनी आजीविका चला रहे थे। हालांकि, अवैध गतिविधियों (49%) और जुआ (71.4%) भी आम है। वहां करीब 20 हॉटस्पॉट (10%) थे जहां बच्चे विशेष रूप से मध्य और नई दिल्ली में स्थित हॉटस्पॉट्स में यौन कार्य में शामिल थे। ये महिला बेघर बच्चों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों (जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है) हैं।

हॉटस्पॉट पर बच्चों के बीच नशीले पदार्थ का उपयोग किया जा रहा था। बड़ी संख्या में हॉटस्पॉट्स में बुनियादी सुविधाओं जैसे खाद्य (44.8%)। आश्रम (19.3%) और कपड़ों (40.6%) की कमी थी। सभी स्थानों में 50% से कम हॉटस्पॉट में सामान्य चिकित्सा देखभाल उपलब्ध है।

सेवा उपलब्धता के बारे में प्रमुख निष्कर्ष

दिल्ली के एनसीआी में केवल 13 पंजीकृत ओपन शेल्टर तथा 59 बच्चों के होम हैं जो देखभाल और संरक्षण (सीएनसीपी) की आवश्यकता के बच्चों के लिये है।

अनुलग्नक 'बी'

मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों के पुनर्वसन के लिए उठाये गये कदमः—

दिल्ली सरकार 07 अस्पतालों में नशीली दवा 7 पदार्थों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से 60 बिस्तर रखे हैं। नेशनल ड्रग ट्रिटमेंट डिपेंडेंस सेंटर (एनडीटीडीसी) द्वारा विकसित न्यूनतम मानक के अनुसार इन केंद्र को चलाने के लिए, दिल्ली सरकार ने (मनोचिकित्सक—06, नैदानिक मनोचिकित्सक—06 सोशल वर्कर्स—07, पीयर अटेंडेंट—23) और 28 पद पहले ही भरे गए हैं और बाकी प्रक्रिया में हैं। अस्पताल के बिस्तरों का वितरण निम्नानुसार हैः—

(i) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल— 05 बिस्तर

(ii) डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी— 05 बिस्तर

(iii) पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर — 05 बिस्तर

(iv) जीबी पंत अस्पताल, दिल्ली गेट — 05 बिस्तर

(v) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर — 05 बिस्तर

(vi) आईएचबीएएस — 05

(vii) दीप चंद बंधु अस्पताल, अशोक विहार — 30 बिस्तर

(सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की गई है।)

1. तीन केंद्रीय सरकारी संगठनोंः एम्स. सफदरजंग अस्पताल और डॉ। आरएमएल हॉस्पिटल में सभी आयु वर्गों को नशा—मुक्ति सेवाएं भी प्रदान की जाती है।

2. दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के तहत सूचीबद्ध एनजीओ के माध्यम से लगभग 9000 हार्ड कोर इंजेक्शन लगाने वाले नशीली दवाओं की रोकथाम के कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है और मुफ्त ओएसटी, काउंसिलिंग और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रदान की जा रही है। (सूचना DSACS द्वारा)

3. आईएचबीएएस जीएनसीटीडी का सर्वोच्च संगठन है जो सभी आयु वर्गों के लिए व्यसन मैनेजमेंट सेवायें प्रदान करना है और जटिल मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और रेफरल सेंटर के रूप में कार्य करता है।

4. महिला एवं बाल विकास विभाग ने शैक्षिक/अध्यन खिलौने, कपड़े/जूते और अन्य संबंधित वस्तुओं जैसे उपयोगी चीजें दीप चंद बंदू अस्पताल को प्रदान की है।

5. स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना

   ''स्कूली में चिकित्सा संकट प्रबंधन'' के तहत एचएंडएफडब्ल्यूडी और शिक्षा निदेशालय (डीओई), ने स्टाफ नर्सों के 1300 पदों और मल्टीटास्क कार्यकर्ताओं के 1300 पदों पर 1 प्रति स्कूल और 120 मेडिकल ऑफिसर को भरने के लिए कदम उठाए हैं।

6. डिटोक्स और पुनर्वास सुविधाएंः–

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप, दिल्ली में डिटॉक्स सेंटर की स्थापना की है जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन

की समस्याओं के साथ किशोरों के लिए औषध उपचार और पुनर्वास प्रदान किया गया है। केन्द्र वर्तमान में एक एनजीओ के सहयोग से चलाया जाता है। युवाओं को इस केन्द्र को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा भेजा जाता है।

केन्द्र कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सफल पुनर्वास में सहायता प्रदान करता है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बच्चे को सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हो। बच्चों को रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करने और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। केन्द्र की औसत ताकत 80 है

7. एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए):

देश में नशीले पदार्थों की मांग कम करने के कार्यक्रमों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मदिया और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए सहायता के लिए एक केंद्रीय योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत स्वैच्छिक संगठन परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस तरह के 11 ऐसे केन्द्र दिल्ली में डिटोक्स एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

8. मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभाग ने आंगनवाड़ी केन्द्रों को शामिल किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गाने और ड्रामा डिवीजन के पैनलों की मंडली दिल्ली के सभी हिस्सों में जागरूकता गतिविधियों में शामिल है।

आंगनवाड़ी केन्द्र क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं और निम्नलिखित कर्तव्यों को पूरा करते हैं:–

I. उस विशेष क्षेत्र में कार्यक्रम के प्रदर्शन के बारे में जनता को सूचित करना

II. लोगों को आगे आने के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए अनुरोध करना।

III. सूचना ब्रोशर का वितरण।

IV. इस संबंध में निवासियों द्वारा आवश्यक कोई अन्य मार्गदर्शन सेवाएं।

हेल्प लाइन : यह सहायता लाइन (टेलीफोन नंबरः 1800–11–0031) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। काउंसलर्स परामर्श और मार्गदर्शन सेवायें प्रदान करते हैं।

I. महिला एवं बाल विकास विभाग : सरकार दिल्ली की एनसीटी दिल्ली में मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से जागरूकता पैदा करने पुनर्वास और सामुदायिक जुटाने के लिए काम कर रही है। विभिन्न पदार्थों की लत सीधे किसी दवा/शराब के उपयोगकर्ता के जीवन को शारीरिक रूप, मानसिक रूप, सामाजिक रूप, आर्थिक रूप और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करते हैं।

इस अभियान के तहत विभाग दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिये आउटरीच गतिविधियों को संचालित करने के लिए महाविद्यालय के छात्रों के नाटकीय मंडली को शामिल किया है।

73. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2017–18 के बजट प्रस्तावों में वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन की घोषणा की थी;

(ख) इस आयोग के गठन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यह आयोग कब तक गठित कर दिया जाएगा;

(घ) दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी है एवं कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत क्या है;

(ङ) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कोई सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है; और

(च) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कब और कितने विज्ञापन जारी किए गए?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) आयोग के गठन की रूप रेखा एवं ढांचा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी माननीय उप राज्यपाल की स्वीकृति से दिनांक 06.06.2017

को गठित की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने वरिष्ठ नागरिक आयोग का ड्राफ्ट बिल तैयार किया है जो की विधि एवं न्याय विभाग, दिल्ली सरकार को पुनरीक्षण के लिए भेजा जा चुका है।

(ग) प्रक्रिया संबंधी सभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर आयोग को गठित किया जाएगा।

(घ) समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा इस विषय पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु पहले ही कानून बने हुए है परंतु किसी नए कानून का प्रस्ताव नहीं है।

(च) अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर दिनांक 01.10. 2017 को समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का विज्ञापन विभिन्न अखबारों में अलग–अलग भाषाओं में दिया गया था।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलायी जा रही मैंटेनेंस एवं अपीलिए न्यायाधिकरण के कार्यालियों की जानकारी विभिन्न अखबारों में विभिन्न भाषाओं में दिनांक 03.02.2018 दी गई थी।

74. श्री अजेश यादव : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बादली विधानसभा में कुछ लोगों की पेंशन बिना जांच किए बंद कर दी गई है;

(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जारी की गई पेंशन का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दो पड़ोसियों से सत्यापित करने की परिपाटी अब बंद कर दी गई है जिसके कारण बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि आधार लिंक से बैंक खाते जुड़े होने के बावजूद बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष 2017 में बादली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जारी की गई पेंशन का विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन–6118

विकलांग पेंशन–1555

(ग) और (घ) जी नहीं। पर, इस वजह से किसी भी लाभार्थी की पेंशन से वंचित रहने की संभावना न्यूनतम होती है। आवास प्रमाणपत्र के संदर्भ में वृद्धावस्था नियमावली में कुल 19 दस्तावेजों एवं विकलांग पेंशन में कुल 22 दस्तावेजों का प्रावधान है। इन विकल्पों के उपलब्ध न होने के उपरांत

ही दो पड़ोसियों के सत्यापित करने की परिपाटी को अंतिम विकल्प के रूप में ही लिया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्त 'ङ' के अनुसार लागू नहीं होता।

75. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना एवं प्रचार हेतु इस वर्ष आवंटित की गई राशि एवं वास्तव में खर्च की गई राशि का विवरण क्या है;

(ख) विज्ञापनों के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण क्या है;

(ग) विज्ञापन जारी करने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का विवरण क्या है;

(घ) इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) शब्दार्थ का उसकी लीगल एंटीटी उनके स्टाफ पोजिशन और उनके पारिश्रमिक सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों में शब्दार्थ को आवंटित बजट का वास्तव में खर्च की गई राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

(छ) विज्ञापन बनाने एवं जारी करने शब्दार्थ की क्या भूमिका है?

उपमुख्यमंत्री : (क) सूचना एवं प्रचार को 2017–18 के लिए इस वर्ष 190 करोड़ रुपए संशोधित बजट अनुमान राशि प्रदान की गई। अभी तक (28 फरवरी, 2018 तक) वास्तव में 99.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) विज्ञापन का जारीकर्ता विभाग विज्ञापन जारी करने के लिए आवश्यक विषय वस्तु सामग्री उपलब्ध करवाता है। इस सामग्री के आधार पर दिल्ली सरकार की विज्ञापन एजेंसी शब्दार्थ एवं डीआईपी/डीएवीपी के पैनल में सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से प्रिंट, आउटडोर एवं इलैक्ट्रोनिक विज्ञापन का प्रारूप तैयार किया जाता हैं। जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किया जाता है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों को जारी करने के 13 मई 2015 और मार्च 18, 2016 को दिए गए निर्णय ही इन दिशा–निर्देशों का आधार है। इन निर्णयों की प्रतियां संलग्न है।

(घ) सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय के इन दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर दिल्ली सरकार के सभी विभागों के लिए परिपत्र जारी किए हैं। उनकी प्रतियां संलग्न हैं[1]।

(ङ) 'शब्दार्थ' सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की एक सरकारी संस्था (एजेंसी) है, जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।

---

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

मंत्रिमंडलीय निर्णय संख्या एफ 3.3.2013/जीएडी/सीएन/डीएस जीएडी–/1720–1731 दिनांक 23.04.2015 के द्वारा शब्दार्थ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

स्टॉफ पोजिशन एवं पारिश्रमिक अनुलग्नक–1 में संलग्न है।

(च) शब्दार्थ को दिल्ली सरकार द्वारा कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है। शुरुआती चरण में संस्था को दिल्ली सरकार के द्वारा अनुदान स्वरूप 50 लाख रुपए प्रदान किये गये थे जो कि संस्था की ओर से सरकार को लगभग एक वर्ष की अवधि में वापिस दे दिया गया।

शब्दार्थ एक स्वायत विज्ञापन संस्था (एजेंसी) है, जो कि अपनी आय का अर्जन स्वयं करती है। इसकी आय का स्रोत विज्ञापनों से मिलने वाला 15 प्रतिशत कमीशन है।

(छ) विज्ञापन का जारीकर्ता विभाग विज्ञापन जारी के लिए आवश्यक विषय वस्तु सामग्री उपलब्ध करवाता है। इस सामग्री के आधार पर दिल्ली सरकार की विज्ञापन एजेंसी शब्दार्थ प्रिंट, आउटडोर एवं इलैक्ट्रोनिक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करता हैं। जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किया जाता है।

अनुलग्नक–I

क्रमांक	नाम	पद	नियुक्ति का आधार	मासिक पारिश्रमिक रुपये	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संदीप कुमार मिश्रा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	GAD विभाग से प्राप्त कर रहे हैं 1,37,130 रुपये	दिल्ली सचिवालय/ डीआईपी/ शब्दार्थ
2.	श्री अशोक कुमार पंत	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	1,18,242/– रुपये (शब्दार्थ से)	शब्दार्थ
3.	श्री जी वी आर मुरली	प्रबन्धक मानव संसाधन	अंश कालिक	AUDIT विभाग से प्राप्त कर रहे हैं।	शब्दार्थ

				1,010,00/– रुपये	
4.	श्री चंदर सिंह	लेखा अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	93,990/– रुपये (शब्दार्थ से)	शब्दार्थ
5.	श्री चन्द्र मोहन	सहायक लेखा अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	81,187/– रुपये (शब्दार्थ से)	शब्दार्थ
6.	श्री चन्दन कुमार	मीडिया मैनेजर	डीआईपीसी कार्यरत	DIP से प्राप्त कर रहे हैं 72,924/– रुपये	शब्दार्थ
7.	श्री अमित कुमार	मीडिया मैनेजर	डीआईपी से कार्यरत	DIP से प्राप्त कर रहे हैं 60,060/– रुपये	शब्दार्थ
8.	श्रीमती काजल शर्मा	क्रिएटिव डाइरेक्टर	अनुबंध पर	1,00,000/– रुपये	उप मुख्यमंत्री कार्यालय/ शब्दार्थ

1	2	3	4	5	6
9.	डॉ. पंकज श्रीवास्तव	सम्पादक	अनुबंध पर	60,000 ⁄ – रुपये	उप मुख्यमंत्री कार्यालय ⁄ शब्दार्थ
10.	श्री जावेद खान	ग्राफिक्स डिज़ाइनर	अनुबंध पर	45,000 ⁄ – रुपये	उप मुख्यमंत्री कार्यालय ⁄ शब्दार्थ
11.	श्री आभिषेक हरित	ग्राफिक्स डिज़ाइनर	अनुबंध पर	35,000 ⁄ – रुपये	शब्दार्थ
12.	श्री गंगा राम	विडियो एडिटर	अनुबंध पर	30,000 ⁄ – रुपये	उप मुख्यमंत्री कार्यालय ⁄ शब्दार्थ
13.	श्री मनोज कुमार शर्मा	कार्यपालक सहायक	अनुबंध पर	30,000 ⁄ – रुपये	शब्दार्थ
14.	श्री शरद मल्होत्रा	कार्यपालक सहायक	अनुबंध पर	30,000 ⁄ – रुपये	शब्दार्थ
15.	श्री रूप नारायन	लेखा सहायक (लेखा शाखा)	M/s ICSIL (द्वारा अनुबंध पर)	27,000 ⁄ – रुपये	शब्दार्थ

16. श्री अंकित बुद्धिराजा	लेखा सहायक (लेखा शाखा)	,,	27,000/— रुपये	शब्दार्थ
17. श्री निशांत कुमार	लेखा सहायक (लेखा शाखा)	,,	27,000/— रुपये	शब्दार्थ
18. श्रीमती शैली रेखी	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	,,	17,916/— रुपये	शब्दार्थ
19. श्री मनोज कुमार	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	,,	17,916/— रुपये	शब्दार्थ
20. श्री दिनेश कुमार	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	,,	17,916/— रुपये	शब्दार्थ
21. श्री इंद्र पाल सिंह	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	,,	17,916/— रुपये	शब्दार्थ
22. श्री राहुल सिंह	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	,,	16,468/— रुपये	शब्दार्थ
23. श्री विजय कुमार	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	,,	16,468/— रुपये	शब्दार्थ

1	2	3	4	5	6
24.	श्री अमित मान	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	''	17,916/— रुपये	शब्दार्थ
25.	श्री दीपक कुमार	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	''	17,916/— रुपये	शब्दार्थ
26.	श्रीमती नीरू कपूर	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	''	17,916/— रुपये	शब्दार्थ
27.	श्री धीरज वर्मा	डेटा एंट्री ऑपरेटर (मीडिया शाखा)	''	13,584/— रुपये	शब्दार्थ
28.	श्रीमती संजोग	एम.टी.एस. (प्रशासन)	''	13,584/— रुपये	शब्दार्थ
29.	श्री अमित कुमार	एम.टी.एस. (लेखा शाखा)	''	13,584/— रुपये	शब्दार्थ

76. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तीन वर्ष पूरे होने पर विज्ञापन जारी करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो सभी प्रस्तावित विज्ञापनों का विवरण क्या है;

(ग) यदि सभी प्रस्तावित विज्ञापन जारी किए गए;

(घ) यदि नहीं, तो उन विज्ञापनों को रोकने के उनके ऊपर उठाई गई आपत्तियों और जिस कानून/नियमों के अन्तर्गत वे आपत्तियां उठाई गई सहित क्या कारण है;

(ङ) क्या इन विज्ञापनों को जारी करने के ऊपर उठे मतभेद सुलझा लिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(छ) वर्ष 2008 से अब तक जारी किए गए विज्ञापनों का जिन अवसरों पर वे जारी किए गए उनके दाम, विज्ञापन के लिए चुने गए मीडिया सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ज) विज्ञापन जारी करने के लिए पैनल पर लेने हेतु मैगजीन अथवा न्यूज पेपर को चुनने के क्या मानदंड है; और

(झ) जिन मैगजींन/न्यूज पेपर्स/इलैक्ट्रोनिक चैनल्स को विज्ञापन दिए जाते हैं और जिस रेट पर उन्हें पेमेंट की जाती है उसका विवरण क्या है?

उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर निम्न प्रचार माध्यमों से विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव संसूचित किया गया।

(1) समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित।

(2) बाह्य प्रचार के माध्यम से क्रियान्वित।

(3) निदेशालय ने सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर एनडीएमसी सभागार में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की, जिससे टीवी चैनलों ने इनपुट लेकर कार्यक्रम का सफलतापूर्वक प्रसारण किया।

(4) इलैक्ट्रॉनिक माध्यम—इस माध्यम द्वारा विाापन बनने, जिसमें 12 टीवीसी—5 रेडियो जिंगल— और एक रेडियो जिंगल के प्रसारण के संबंधित फाइल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वीकृति/अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

(5) कैलेंडर का मुद्रण—इससे संबंधित प्रस्ताव की फाइल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वीकृति/अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

(6) रिपोर्ट का मुद्रण—सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार के प्रमुख विभागों की उपलब्धयों के विवरण को संकलित करके एक रिपोर्ट प्रकाशित करने की फाइल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वीकृति/अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं। विज्ञापन अखबारों, बाह्य प्रचार माध्यमों से जारी किए गए और निदेशालय ने सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर एनडीएमसी सभागार में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया।

(घ) इस विषय की सभी संबंधित फाइलें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

(ङ) उपरोक्त के अनुसार।

(च) उपरोक्त के अनुसार।

(छ) इस संबंध में दिल्ली सरकार के सभी विभागों से सूचना संकलित की जा रही है।

(ज) दिल्ली सरकार का अपना कोई पैनल नहीं है।

(झ) जिन मैगजींस/न्यूज पेपर्स/इलैक्ट्रोनिक चैनल्स को विज्ञापन दिए जाते हैं, उन्हें भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डीएवीपी के स्वीकृत रेट पर भुगतान किया जाता है। डीवीएवी रेट की प्रति संगलग्न है।*

77. श्री जगदीप सिंह : क्या **उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में कितने विदेशी पर्यटक भ्रमण करते आए; और

(ग) विदेशी पर्यटकों के भ्रमण से कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

उप–मुख्यमंत्री : (क) राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के अन्तर्गत दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि. के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं:

(1) पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना दिल्ली, कलकत्ता एवं चेन्नई में की गई है।

(2) दिल्ली में तीन स्थानों – आईएनए, पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट बनाए गए है।

(3) एडवेंचर गतिविधियां जिनमें नौकायन और एडवेंचर पार्क शामिल हैं।

(4) पर्यटकों आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए दिल्ली

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

पर्यटन नियमित रूप से अपने दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में वर्षभर सांस्कृतिक एवं हैरिटेज कार्यक्रमों क आयोजन करता है।

(5) पर्यटक संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है।

(6) दिल्ली पर्यटन स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए दूर पैकेज, एयर टिकटिंग और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा भी प्रदान करता है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां परिशिष्ट–'क' पर सलग्न हैं।

(ख)

क्रम सं.	वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय
1.	2015	23,79,169
2.	2016	25,20,083
3.	2017	28,45,730

स्रोत–पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट

(ग) संबंधित विवरण दिल्ली पर्यटन के पास उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट–क

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैः–

(क) पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है। ये सूचना केन्द्र – नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,

घरेलू हवाई अड्डा, दिल्ली हाट–आईएनए, केंद्रिय आरक्षण कार्यालय, बाबा खड़गसिंह मार्ग, क्नॉट प्लेस, कोलकत्ता और चेन्नई में स्थित है।

(ख) पर्यटक संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बसे सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है। दिल्ली पर्यटन स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए टूर पैकेज देना, एयर टिकटिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा भी प्रदान करता है।

(ग) दिल्ली में तीन स्थानों – आईएनए, पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट बनाए गए है। जो खरीदारी और विभिन्न भारतीय व्यंजनों का स्वाद, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और लोक कला के विस्तार का मुख्य केंद्र है।

(घ) **एडवेंचर गतिविधियां :**

दिल्ली पर्यटन निम्नलिखित स्थानों पर नौकायन सुविधा प्रदान करता है:–

1. कृषि भवन (बोट क्लब)
2. मानसिंह रोड़, इंडिया गेट
3. भलस्वा झील

एक एडवेंचर पार्क मयूर विहार में बनाया गया है जहां विभिन्न सॉफ्ट एडवेंचर गतिविधियां उपलब्ध है।

(ङ) **सांस्कृतिक पर्यटक**

पर्यटकों और आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए दिल्ली पर्यटन नियमित रूप से अपने दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में वर्षभर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

* नेचर बाजार की स्थापना भी की गई है जहां पर स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते है।

* प्रमुख वार्षिक आयोजनों में गार्डन टूरिज़्म फेस्टिवल, आम महोत्सव, पतंग महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस आदि शामिल है।

(च) **विरासत (हैरिटेज) पर्यटन**

शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान करने के लिए इंटेक और दिल्ली वॉक के साथ मिलकर रिक्शा टूर, नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली और मैहरोली में साइकिल टूर का आयोजन किया गया था।

अन्य गतिविधियां

* दिल्ली सरकार की ओर से विषय आधारित कैलेंडर और डायरी का प्रकाशन।

* पर्यटकों के बीच निःशुल्क वितरण हेतु प्रचार साहित्य सामग्री का प्रकाशन।

* दिल्ली हाट आईएनए में कलाम स्मारक।

* विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जैसे– राज्य शिक्षक पुरस्कार, दिल्ली में जीएसटी परिषद सदस्यों के लिए रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम।

* दिल्ली हाट जनकपुरी में 800 व्यक्तियों की क्षमता वाला वातानुकुलित ऑडिटोरियम।

* दिल्ली हाट आईएनए में अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को प्रदत सुविधाएं।

* दिल्ली पर्यटन की वेबसाइटस और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से दिल्ली का ब्रांड के रूप में प्रचार।

* दिल्ली को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में पुरस्कृत करने वालों में मुख्य प्रकाशन जैसे–Conde Nsat India, Lonely Planet और मुख्य संस्थाएं:–

  विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, पब्लिक रिलेशंस कॉनसिल ऑफ इंडिया शामिल है।

78. हाजी इशराक खान : क्या **उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मासिक धर्म एवं स्वच्छता के विषय में युवतियों को शिक्षित करने के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) इस संबंध मे पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों में क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या स्कूलों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं में सेनिटरी पैड वेंडिग मशीनें लगाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) क्या यौवनारंभ आयु में प्रवेश करते समय स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों के संबंध में कोई ऑकडें सरकार के पास उपलब्ध है?

उप–मुख्यमंत्री : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत युवतियों के लिए दो योजनाएं चल रही है–

किशोरियों हेतु योजना एवं किशोरी शक्ति योजना। इन योजनाओं के तहत युवतियों को संबंधित ऑगनवाड़ियों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन एवं फोलिक एसिड प्रतिपूरक, कृमि निवारण गोलियां, स्वास्थ्य जांच तथा संदर्भ सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण पर परामर्श, व्यक्तिगत सफाई एवं मासिक धर्म के दौरान देखरेख तथा गृह–प्रबंधन हेतु जानकारी प्रदान करके उनको सशक्त बनाया जाता है। उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत इस वित्तीय वर्ष में युवतियों को मासिक धर्म एवं स्वच्छता की जानकारी प्रदान करने हेतु सिनेमाघरों में ''पैडमैन'' फिल्म दिखाई जा रही है।

इसके अलावा मासिक धर्म एवं स्वच्छता के विषय में युवतियों को जागरूक करने के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एनजीओ सच्ची सहेली के सहयोग से दिनांक 22.05.2017 एवं 28.05.2017 को अन्तर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। यह

कार्यक्रम सेन्ट्रल पार्क, कॅनाट प्लेस, दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा विभाग ने सच्ची सहेली एन.जी.ओ. के साथ मिलकर 24.01. 2018 को दिल्ली सचिवालय में भी मासिक धर्म शिक्षा हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया व किशोरियों को ''माहवारी की कहानी'' नाम पुस्तिका बांटी गई। यह पुस्तिका किशोरियों हेतु योजना के अंतर्गत 47 परियोजनाओं में चल रही सभी आंगनवाडियों में बांटी जाएगी।

दिल्ली सरकार के विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं के लिए मुफ्त सेनीटरी नेपकिन बांटने की योजना वर्ष 2011—12 से चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार के विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं के लिए मुफ्त सेनीटरी नेपकिन बांटने की योजना वर्ष 2011—12 से चलाई जा रही है। इसलिए दिल्ली सरकार के विद्यालयों में सेनीटरी पैड वेंड़िग मशीन खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है।

79. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उप—मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (डीएसएसएसबी) द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों का वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) पिछले 10 वर्षों में विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए रिक्त पदों की संख्या का वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (डीएसएसएसबी) द्वारा कितने उम्मीदवार भर्ती किए गए; और

(घ) क्या सरकार की दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (डीएसएसएसबी) द्वारा भर्ती की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र एवं सुगम करने की कोई योजना है?

(विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

80. श्री अजय दत्त : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानपुर वार्ड 81 एस में सीवर लाईन बिछाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) ये सीवर लाईनें किन–किन कालोनियों में डाली जाएंगी; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होगा एवं ये लाइनें कब तक चालू हो जाएंगी?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह कार्य के अप्रैल–2018 तक आबंटित किए जाने की सम्भावना हैं।

(ग) सीवर लाईन शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित अनाधिकृत कॉलोनियों में डाली जाएगी और जहां सीवर प्रणाली मौजूद नहीं है। कॉलोनियों के नाम पूरक जानकारी के अनुलग्नक 'अ' में दी गयी है।

(घ) इस कार्य के आबंटन के पश्चात् दो साल में पूर्ण करने का प्रस्ताव है। कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् सीवर लाईन चालू कर दी जाएगी।

अनुलग्न 'अ'

Subject: Supplementary information to the starred question No 80.

There are 1665 unauthorised colonies in Delhi, out of which sewer lines have been provided in 265 colonies. The work is in progress in 337 colonies and in 348 colonies the works are at estimate & tender stage. In remaining 715 colonies, the NOC is awaited for 143 colonies and balance 572 colonies shall be taken up with decentralised STPs in a phased manner.

The administrative approval for the work of "Providing & laying 250 mm to 700 mm dia internal and peripheral sewer line in Sangam Vihar group of colonies(Ph-I) under Okhla catchment area in Delhi" was accorded by Delhi Jal Board in its 128th meeting held on 29.08.2016 vide its resolution No. 332, for a total cost of Rs. 5483.95 Lakhs. This work covers the unauthorized colonies cleared by UD department and where sewerage system does not exist in ward 815 (Khanpur) under Ambedkar Nagar Assembly constituency. The tender for the work has been received during 4th call. The case is under consideration for award of the work and shall be placed in next board meeting. Under this work sewer lines shall be laid in following colonies i/c Khanpur ward 815, under Ambedkar Nagar Assembly constituency:

Name of unauthorised colony	Regd No
Raju Park C-II Block, South Delhi-Deoli Village, Delhi-110062	662
Raju Park C-I Block Khanpur, New Delhi-62	787
Raju Park C-Block Deoli Village, Delhi-62	1186
Duggal Colony, Khanpur Extn. Part-II, New Delhi-62	681
Shiv Park Khanpur Extn., New Delhi-62	832
Duggal Housing Complex School Road Khanpur, New Delhi-62	914

Name of unauthorised colony	Regd No
Jawahar Park F-Block, New Delhi-62	1137
Khanpur Extended Abadi, F-Block, Khanpur, New Delhi-62	42
Jawahar Park, Khanpur, Deoli Road, A,B,C,D & E Block, New Delhi	621
Jawahar Park, B,C,D, & F Blocks located at Khanpur, Deoli Road., Delld	1137
Krishna Park, Khanpur, New Delhi	1231
Krishna Park Extn. Block D Deoli Road, Delhi-62	1232
Krishna Park Extension, D-Block, Deoli Village	1580

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

188. श्री जगदीश प्रधान : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने की योजना है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग के गठन के लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित कि गई है? यदि हां, तो इस कमेटी के कौन–कौन सदस्य होंगे; और

(घ) वरिष्ठ नागरिक आयोग की क्या रूप रेखा प्रस्तावित है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) और (ख) जी हां।

(ग) आयोग के गठन की रूप रेखा एवं ढांचा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी माननीय उप राज्यपाल की स्वीकृति से दिनांक 06.06.2017 को गठित की गई थी। प्रतिलिपि संलग्न है।

(घ) ड्राफ्टिंग कमेटी ने वरिष्ठ नागरिक आयोग का ड्राफ्ट बिल तैयार किया है जो की विधि एवं न्याय विभाग, दिल्ली सरकार को पुनरीक्षण के लिए भेजा जा चुका है।

DRAFT BILL

DELHI COMMISSION FOR SENIOR CITIZENS BILL, 2017

A Bill to constitute a Delhi Commission for Senior Citizens and to provide for matters therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

   (1) This Act may be called the Delhi Commission for Senior Citizens Act, 2017

   (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

   (3) It shall come into force on such date as the Government of National Capital Territory of Delhi may, by notification in the official Gazette, appoint

2. Definitions: - In this Act, unless the context otherwise requires-

   1. 'Capital' means the National Capital Territory of Delhi;

   2. 'Commission' means the Delhi Commission for Senior Citizens constituted under Section 3;

   3. 'State Government' means the Lieutenant Governor of the Govt. of National Capital Territory of Delhi;

   4. 'Member' means a Member of the Commission and includes the Member, Secretary;

   5. 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act

CHAPTER II

DELHI COMMISSION FOR SENIOR CITIZENS

3. Constitution of the Delhi Commission For Senior Citizens.

   (1) The Government shall by notification in the official Gazette, constitute a body to be known as the Delhi Commission for Senior Citizens to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it, under this Act.

   (2) The Commission shall consist of:

   1. A Chairperson, committed to the cause of senior citizens or having experience of not less than 5 years in the field of welfare of senior citizens.

   2. A Member-Secretary to be nominated by the State Government who shall be:

      (a) an expert in the field of management, organizational structure, health or sociological movement, or

(b) an officer who is a member of a civil service of the Govt. of NCT of Delhi and drawing salary in the pay scale of L-12.

3. Three Members to be nominated by the State Government from amongst persons of ability, integrity and standing who have had experience in law or legislation, trade unionism, economic development, health, senior citizens' voluntary organizations, administration, education or social welfare;

Provided that at least one Member shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, and one Member shall be a woman and that at least half of the total strength of persons appointed against the positions of Chairperson and Members shall be senior citizens.

4. **Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.**

(1) The Chairperson and every member shall hold office for such period, not exceeding three years, as may be specified by the Government in this behalf.

(2) The Chairperson or a member (other than the Member-Secretary who is a member of a civil servce of the Govt. of NCT of Delhi) may, by writing and addressed to the Government, resign from the office of Chairperson or, as the case may be of the mentor at any time.

(3) The Government shaft remove a person from the office of Chairperson or a Member referred to in sub-section (2) if that person:-

a. becomes an undischarged insolvent;

b. gets convicted and sentenced to imprisonment,for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude:

c. becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; 6. refuses to act or becomes incapable of action;

e. is without obtaining leave of absence from the Commission absent from three consecutive meetings of the Commission; or

f. in the opinion of the Government has so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the public interest; provided that no person shall be removed under this sub-section until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the mattej.

5. **Officers and other employees of the Commission.**

1. The Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under Bill.

2. The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the officers and other employees appointed for the purpose of the, Commission shall be such as may be prescribed.

3. A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

6. **Salaries & allowances to be paid out of grants.**

The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and

pensions payable to the officers and other employees referred to in section (5) shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 11.

7. **Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission.**

No act or proceeding of the Commission shall be questioned or, shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the, Commission. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission

8. **Committees of the Commission:-**

(1) The Commission may appoint such committees as may be necessary for dealing with such special issues as may be taken up by the Commission from time to time.

(2) The Commission shall have the power to co-opt as members of any Committees appointed under sub-section (1) such number of persons, who are not Members of the Commission, as it may think fit and the persons so co-opted shall have the right to attend the meetings of the Committee and take part in its proceeding but shall not have right to vote.

(3) The person so co-opted shall be entitled to receive such allowances for attending the meetings of the Committee as may be prescribed.

9. **Procedure to be regulated by the commission:-**

(1) The Commission or a committee thereof shall meet at every six month and as and when necessary shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure and the procedure of the Committees thereof.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Member-Secretary in this behalf.

Chapter-III

10. **Functions of the Commission.**

(1) The Commission shall perform any one of the following functions, namely:

(a) Investigate and examine all matters relating to the safeguards provided for senior citizens under the Constitution and other laws and recommend measures for their effective implementation;

(b) Present to the State Government, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards and their implementation;

(c) Review, from time to time, the existing provisions of the Constitution and other laws affecting senior citizens and recommend amendments thereto so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacunae, inadequacies or shortcomings in such legislations;

(d) Take tip cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws relating to senior citizens with the appropriate authorities;

(e) Look into matters relating to senior citizens in need of special care and protection, including those facing disability, destitution, maltreatment, abandonment, violence, torture, riots, natural disasters, and those who are very old or without family and recommend appropriate remedial measures;

(f) Look into complaints and take suo-moto notice of matters relating to:

(i) Deprivation of rights of Senior Citizens;

(ii) Non-implementation of laws enacted to provide protection to senior citizens and also to achieve the objective of equality and development;

(iii) Non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to senior citizens, and take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities. (Some of the examples of non-compliance could be related to pension, provident fund, gratuity; health insurance, transport, housing, minimum standards of old age homes and shelters and specialized care like residential, hospice, palliative and respite care etc.)

(g) Allow for direct registering of complaints and facilitate prompt grievance redressal;

(h) Call for special studies or investigations into specific problems or situations h arising out. of deprivation, of rights, discrimination and atrocities against senior citizens and identify the constraints so as to recommend strategies for their removal;

(i) Undertake ipromotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of senior citizens in all spheres and identify factors responsible for impeding their advancement, such as, lack of access to housing and basic services, inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their productivity;

(j) Participate and advice on the planning process of socio-economic development of senior citizens;

(k) Evaluate the progress of the development of senior citizens under the Union and any State;

(l) Inspect or cause to be inspected a jail, or other place of custody where senior citizens are kept as prisoners or otherwise and take up with the concerned authorities for remedial action, if found necessary;

(m) Fund litigation involving issues affecting senior citizens;

(n) Make periodical reports to the Government on any matter pertaining to senior citizens and in particular various difficulties under which senior citizens toil;

(o) Any other matter which may be referred to it by State Government.

(2) The State Government shall cause all the reports referred to in clause (b) of sub-section (1) to be laid before Legislative Assembly along with memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations.

(3) Where any such report or any part thereof relates to any matter with which particularly Delhi State Government is concerned, the Commission shall forward a copy of such report or part to such State Government who shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations.

(4) The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or sub-clause (i) of clause (f) of sub-clause I) have all the powers of a civil court trying a suit and, in particular in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of State and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents;

(f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

11. **Grants by the government-**

(1) The Government shall after due appropriation made by the Legislative Assembly of the Capital in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

12. **Accounts and audit-**

(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Finance Department of the Government.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Auditor of the Government at such intervals as may be specified by it.

(3) The Finance Department of the Government or person appointed by it in connection with the audit of the accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as it generally have in connection with the audit of Government accounts, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, other documents, papers and to inspect any of the offices of the Commission and to physically verify securities, cash and stores.

(4) The accounts of the Commission, as certified by the Auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government by the Commission.

13. **Annual Report -**

The Commission shall prepare, in such form and at such time for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

14. **Annual report and audit report to be laid before the Legislative Assembly: -**

The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein so far as they

relate to the Government and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as may be after the reports are received before the Legislative Assembly of the Capital.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

15. **Chairperson, Members and staff of the Commission to be public servants-**

The Chairperson, the Members, Officers and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

16. **Government to consults Commission-**

The Government consult the Commission on all major policy matters affecting Senior citizens.

17. **Power to make rules-**

(1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Bill

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) salaries and allowance payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (5) of the section 4 and of officers and other employees under sub-section (2) of section 5;

(b) allowances for attending the meetings of the Committee by the co-opted persons; under sun-section (3) of section 8;

(c) other matters under clause (f) of sub-section (4) of section 10;

(d) the form in which the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 12;

(e) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 13;

(f) any other matter which is required to be, or may be, prescribed;

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of the capital, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly of the capital agrees in making any modification or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

189. श्री जगदीश प्रधान : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार आशा किरण में सुधार के लिए किसी योजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि आशा किरण होम में समय–समय पर मौतें होती रहती है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2010 से अब तक किस–किस वर्ष में कितनी मौते हुई;

(ङ) पिछले समय से हो रही मौतों पर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए;

(च) क्या यह भी सत्य है कि आशा किरण होम में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थीं, अपर्याप्त है; और

(छ) ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित न हो इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) विवरण इस प्रकार है–

1. वर्ष 2013 में आशा किरण में संवासियों के घनत्व को कम करने के लिए दो नए गृह, आशा दीप, नरेला (पुरुष) एवं आशा ज्योति (महिला), निर्मल छाया परिसर, हरिनगर में स्थापित किए गए।

2. संवासियों के देखभाल के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जुलाई, 2017 में 243 पदों का सृजन किया गया। इन सभी पदों एवं पूर्व रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3. आशा किरण परिसर में संवासियों के घनत्व को कम करने के लिए विभाग द्वारा भविष्य में तीन नए भवनों का निर्माण क्रमशः नरेला, दल्लूपुरा और उस्मानपुर में विचाराधीन है।

4. संवासियों के विशेष शिक्षण के लिए डॉर्मेट्री में कक्षाओं के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है जिसमें एक समय में आठ से दस कक्षाएं लगाई जा सकेंगी।

5. परिसर में दो डॉर्मेट्रियों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जिसमें 80 संवासियों के ठहरने की व्यवस्था होगी।

6. परिसर में रसोई, सभागार एवं लाण्ड्री के Up-gradation का कार्य विचाराधीन है।

7. परिसर की डॉमेंर्टी एवं कुटियों (Cottage) के छतों एवं अलमारियों की मरम्मत एवं गेटों के Up-gradation का कार्य किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ)

वर्ष (अप्रैल से मार्च तक)	मृत निवासियों की संख्या
2010—11	10
2011—12	13
2012—13	33
2013—14	37
2014—15	44
2015—16	36
2016—17	35
2017—18 (13.03.2018 तक)	17

(ङ) विभाग के माध्यम से निम्न प्रयास किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार हैः—

1. संवासियों में Seizure Disorder/Epilepsy जैसी गंभीर स्थितियों में Critical Care प्रदान करने के लिए High Dependency Unit (HDU), उनमें Mobility और Functional Ability बढ़ाने के लिए Occupational Therapy and physiotherapy Unit एवं उनके Dental Care के लिए Dental Unit स्थापित की जा रही है, जिसका संचालन क्रमशः— डा. भीम राव अम्बेडकर अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, और मौलाना आजाद मेडिकल अस्पताल से किया जाना है।

2. विभाग द्वारा आशा किरण परिसर में प्रशासक (Administrator) एवं संचालन समिति (Governing Council) की नियुक्ति की गयी है जिससे कि वांछित सुधार के लिए समय—समय पर उचित मार्गदर्शन मिल सके।

3. स्टॉफ की समय—समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

4. संवासियों के देखभाल में सुधार हेतु 243 पदों का सृजन किया गया है जिसमें कि 31 पद Para-Medical Staff के एवं 201 पद हाउस आंटी/केयर गिवर के हैं।

5. जो संवासी TB, HBS Ag+ve जैसी Communicable Diseases से ग्रसित हैं उन्हें अन्य संवासियों से अलग रखा जाता हैं उनकी बीमारी में दवाइयों के साथ—साथ उन्हें Protien Rich खाद्य सामग्री जैसे अण्डा, पनीर एवं फल आदि भी दिए जाते है।

6. आपात स्थिति में संवासियों को अविलंब अस्पताल पहुँचाने के लिए CAT Ambulance Service के सौजन्य से दो Ambulance (24 hours) एवं एक विभागीय Ambulance (8 hours) उपलब्ध रहती है।

(च) वर्तमान में आशा किरण होम में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(छ) उपरोक्त उत्तर संख्या 'ख' एवं 'च' के अनुसार है।

190. श्री जगदीप सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र संख्या एसी–28 के लिए 1200 नई वृद्धावस्था पेंशन आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन 1200 में से कितनी वृद्धावस्था पेंशनों को स्वीकृत किया जा चुका है;

(ग) यदि कुछ पेंशन स्वीकृत नहीं हो सकी है तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है; और

(घ) किस तिथि तक इन्हें स्वीकृत कर दिया जाएगा?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) कुल–758 वृद्धावस्था पेंशनों को स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) कुछ पेंशन स्वीकृत न होने के मुख्य कारण हैं–

1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर।

2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण।

3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किन्तु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।

4. योजना हेतु निर्धारित पात्रता के योग्य न पाए जाने के कारण।

5. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण।

6. सरकार के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सीटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयो में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए। किंतु जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु अनेक कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया, किंतु अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत है।

(घ) एक नियत तिथि बताना संभव नहीं है किन्तु स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही योग्य पाए गए आवेदनों को स्वीकृत कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकताओं

को घर घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाकर एवं यथासंभाव त्रुटियों का निवारण करने की प्रक्रिया जारी है।

191. श्री जगदीप सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र संख्या एसी–28 के लिए 1200 नई वृद्धावस्था पेंशन आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन 1200 में से कितनी वृद्धावस्था पेंशनों को स्वीकृत किया जा चुका है;

(ग) यदि कुछ पेंशन स्वीकृत नहीं हो सकी हैं तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है; और

(घ) किस तिथि तक इन्हें स्वीकृत कर दिया जाएगा?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) कुल–758 वृद्धावस्था पेंशनों को स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) कुछ पेंशन स्वीकृत न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर।
2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण।
3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।

4. योजना हेतु निर्धारित पात्रता के योग्य न पाए जाने के कारण।

5. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण।

6. सरकार के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी, पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों विधायकों, निगम पार्षद जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सीटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए। किंतु जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु अनेक कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया, किंतु अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत है।

(घ) एक नियत तिथि बताना संभव नहीं है किंतु स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही योग्य पाए गए आवेदनों को स्वीकृत कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकताओं को घर–घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाकर एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करने की प्रक्रिया जारी है।

192. श्री पंकज पुष्कर : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने लोगों को वर्तमान में वृद्धावस्था, विकलांगता या विधवा पेन्शन मिल रही है;

(ख) सरकार का इस सन्दर्भ में क्या आंकलन है कि वृद्धावस्था, विकलांगता या विधवा पेन्शन पाने के वास्तविक हकदार पूरे दिल्ली में कुल कितने है;

(ग) क्या पेन्शन पाने के लिए कोई अधिकतम आय की सीमा निर्धारित है;

(घ) यदि हां, तो लाभार्थी के द्वारा दी गयी आय से सम्बन्धित जानकारी के सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि वृद्धावस्था पेन्शन की वर्तमान नीति 'पहले आओ, पहले पाओ' पर आधारित है;

(च) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस योजना से कई बार जरूरतमंद लोग छूट जाते है;

(छ) क्या सरकार के संज्ञान में इस तरह की शिकायतें आती रही है;

(ज) क्या यह सत्य है कि सरकार एक वरीयता सूची बनाकर ज्यादा जरूरतमंद लोगों को पेन्शन देने की प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर रही है।

(झ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(ञ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वृद्धावस्था पेंशन–432970

विकलांग पेंशन–76347

विधवा पेंशन–197999

(ख) ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) लाभार्थी के स्वप्रमाणित आय प्रमाणपत्र को ही आवेदन हेतु नियमानुसार वैध माना जाता है।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां, संभव हो सकता है।

(छ) केवल वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थीं की क्षमता सीमा (Capping Limit) विधानसभा क्षेत्रानुसार निर्धारित है जिसके पूर्ण हो जाने पर नए आवेदन ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होते हैं।

(ज) और (झ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ञ) यह एक नीतिगत मामला है।

193. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा समय पर अनुदान जारी न होने के कारण विद्यालय समय पर मिड–डे–मिल का वितरण नहीं कर पाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षोनुसार को मिड–डे–मील के लाभान्वितों की संख्या क्या है;

(ग) मिड–डे–मील की गुणवत्ता की जांच संतोषजनक तरीके के कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है; और

(घ) सरकार मिड–डे–मील की पौष्टिकता, गुणवत्ता तथा मात्रा की मॉनेटरिंग के लिए क्या कदम उठा रही है?

उप–मुख्यमंत्री : (क) यह सत्य नहीं है। मिड डे मील का वितरण हर विद्यालय में समय पर किया जाता है।

(ख) दिल्ली में गत तीन वर्षों में मिड डे मील के लाभांवितों की संख्या निम्न है:

वर्ष	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल योग
2014—15	1082135	712170	1794305
2015—16	1047498	701200	1748698
2016—17	1007956	693401	1701357

मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच संतोषजनक तरीके से कराये जाने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने फिक्की रिसर्च एवं एनालिसिस सेंटर नामक गैर सरकारी संगठन को नामित किया है तथा यह संगठन प्रत्येक महीने में हर एक सर्विस प्रोवाइडर के 4 सैंपल उठाता है (3 सैंपल

विद्यालयों से एवं 1 सर्विस प्रोवाइडर की रसोई से) एवं उसका अपनी लैब में जांच कर विभाग को रिपोर्ट भेजता है।

(घ) मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच संतोषजनक तरीके से कराये जाने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने फिक्की रिसर्च एवं एनालिसिस सेंटर नामक गैर सरकारी संगठन को नामित किया है तथा यह संगठन को नामित किया है तथा यह संगठन प्रत्येक महीने में हर सर्विस प्रोवाइडर के 4 सैंपल उठता है (3 सैंपल विद्यालयों से एवं 1 सर्विस प्रोवाइडर की रसोई से) एवं उसका अपनी लैब में जांच कर विभाग को रिपोर्ट भेजता है। इसके अतिरिक्त हर महीने FCI के गोदाम से उठने वाले कच्चे खाद्यान का सैंपल जांचा जाता है।

शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील की पौष्टिकता, गुणवत्ता की तथा मात्रा की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर एवं स्कूल स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जो बच्चों को भोजन परोसने से पहले मिड डे मील को चखती है तथा सही पाए जाने पर ही भोजन बच्चों में वितरित किया जाता है। यह समितियां सर्विस प्रोवाइडर की रसोई का भी समय—समय पर निरीक्षण करती हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील की पौष्टिकता, गुणवत्ता जांचने के लिए हर महीने उप शिक्षा निदेशकों को सर्विस प्रोवाइडर की रसोई के निरीक्षण के लिए आदेश दिए जाते हैं। शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिनांक 25.03. 2013 के द्वारा शिक्षा निदेशालय के प्रत्येक विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट समिति का गठन किया है जिसके कार्यों में मिड डे मील योजना का मोनिटरिंग करना भी शामिल है (रसोई में भोजन पकने से लेकर उसके विद्यार्थियों में वितरण तक)।

194. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधानसभा में पिछले वित्त वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन आये;

(ख) वर्तमान में उन सभी आवेदनों की क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सत्य है कि जिनकी पेंशन पिछले कुछ महीनों से रूक जाती है, उन्हें समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में बायोमैट्रिक करवाना होता है;

(घ) समाज कल्याण विभाग के सैक्टर–4 रोहिणी कार्यालय में कुल कितने बायोमेट्रिक उपकरण कार्यरत हैं;

(ङ) इस कार्यालय में कुल कितने विधानसभा क्षेत्रों का कार्य होता है;

(च) क्या रिठाला विधानसभा क्षेत्र के लिए अन्य क्षेत्र में वृद्धावस्था की पेंशन के लिए आवेदन किये जा सकते हैं;

(छ) क्या यह सत्य है कि ऐसी शिकायत मिल रही है कि समाज कल्याण विभाग से सेक्टर–4 रोहिणी स्थित कार्यालय में वृद्धजनों के साथ विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) रिठाला विधानसभा में पिछले वित्त वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन के 1900 आवेदन आये;

(ख) वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्नानुसार है–

कुल प्राप्त – 1900

अपूर्ण – 215

स्वीकृति – 1396

अस्वीकृत – 15

स्वीकृति की प्रक्रिया में – 30

त्रुटिपूर्ण – 244

(ग) जी नहीं। केवल जिनकी पेंशन, आधार निष्क्रिय अथवा गलत होने के कारण बैंकों द्वारा वापस कर दी जाती है, उन्हीं को ही क्षेत्रीय कार्यालय में बायोमैट्रिक करवाना होता है।

(घ) समाज कल्याण विभाग के सैक्टर–4, रोहिणी कार्यालय में कुल 02 बायोमेट्रिक उपकरण कार्यरत हैं;

(ङ) इस कार्यालय में कुल 09 विधानसभा क्षेत्रों का कार्य होता है।

(च) जी नहीं।

(छ) जी नहीं। कार्यालयों में भीड़ को व्यवस्थित करने तथा संभावित मार्गदर्शन के लिए विभाग द्वारा प्रत्येक जिला कार्यालय में सिविल डिफेंस वालेन्टियरस की तैनाती की गई।

(ज) उपरोक्त 'छ' के अनुसार।

195. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तरी, पूर्वी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने अपने यहां से दी जाने वाली वृद्धावस्था पेन्शन के रिकॉर्ड दिल्ली सरकार को वर्ष 2016–17 में सौंप दिये थे;

(ख) किस–किस निगम द्वारा कितने–कितने पेन्शनधारियों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने उन्हें पेन्शन देनी प्रारम्भ कर दी है;

(घ) कितनी पेन्शन किस–किस श्रेणी में उपलब्ध कराई जा रही है;

(ङ) यदि पेन्शन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह पेन्शन कब तक चालू हो जाएगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां। किन्तु नगर निगमों से 2016–17 में सौंपे गए वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित रिकार्ड अव्यवस्थित व अपूर्ण हैं।

(ख) नगर निगमों द्वारा सौंपा गया रिकार्ड अव्यवस्थित व अपूर्ण होने के कारण, अलग–अलग निगमों द्वारा उपलब्ध कराए पेंशनधारियों से संबंधित आंकड़ें सुलभ नहीं हैं। परंतु नगर निगमों द्वारा आयोजित सत्यापन कैंपों में कुल 13305 वृद्ध एवं कुल 688 विकलांग व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई तथा दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मैगा कैम्प में कुल 1494 व्यक्तियों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए संपर्क किया।

(ग) जी हां, सभी योग्य पाए गए नगर निगम के लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन–9533

विकलांग पेंशन–723

(ङ) केवल उन्हीं आवेदकों को पेंशन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जो पेंशन हेतु निर्धारित पात्रता को पूरा नहीं करते हैं।

(च) सभी योग्य पाए गए नगर निगम के लाभार्थियों को पेंशन सुचारू रूप से दी जा रही है।

196. श्री अजेश यादव : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बादली विधान सभा में वृद्धावस्था पेंशन के प्रत्येक मामले पर 1 नवम्बर, 2017 अलग अलग क्वैरी लगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वृद्धावस्था पेंशन आवेदनकर्ता के पास 5 साल पुराना पहचान पत्र न होने पर कौन से अन्य दस्तावेज पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं;

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता।

(ग) वृद्धावस्था पेंशन नियमावली के अनुसार आवेदनकर्ता के पास 5 साल पुराना पहचान पत्र न होने की स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित कोई भी एक दस्तावेज आवास प्रमाण के लिए स्वीकार्य होगा, जैसे–

1. राशन कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
6. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
7. बीमा पॉलिसी कागजात
8. परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड
9. दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख
10. बिजली का बिल
11. पानी का बिल
12. टेलिफोन का बिल
13. गैस कनेक्शन की रसीद
14. बैंक/डाक घर की पासबुक

15. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
16. विद्यार्थी पहचान पत्र
17. सार्वजनिक/प्राइवेट सैक्टर कंपनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड
18. संपत्ति दस्तावेज
19. कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे यह स्पष्ट हो जिससे दिल्ली में पांच वर्ष रहना स्पष्ट हो।

197. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार किस–किस श्रेणी के नागरिकों को पेन्शन व आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, श्रेणीवार उनका विस्तृत विवरण क्या है;

(ख) कितने पेन्शनधारियों को संशोधित पेन्शन उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) सभी पात्र पेंशनधारियों को संशोधित पेन्शन नियमित रूप से मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि पेन्शनधारियों को संशोधित पेन्शन नहीं प्राप्त हो रही है; और

(ङ) यदि हां तो अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने पेन्शनधारियों को संशोधित पेन्शन नहीं मिल रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आर्थिक सहायता योजनाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेशन योजना के अंतर्गत 60–69 आयु वर्ग के वृद्धों को 2000/– रुपये प्रतिमाह एवं अनुसूचित जाति/जन जाति अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500/– रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। तथा 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धों को 2500/– रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

पात्रता–

* आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
* प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष का निवासी हो।
* परिवार की आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
* प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

विकलांग पेंशन योजना–

रुपये 2500/– प्रतिमाह।

पात्रता–

* आयु सीमा 0 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
* प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
* प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।

* परिवार की सभी स्त्रोंतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो।

दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना – इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 20,000/– रु. की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता–

* मृतक की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
* प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
* परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो।

(ख) जिन पेंशनधारियों को संशोधित पेंशन उपलब्ध करा दी गई है उनका विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन–325486

विकलांग पेंशन–56846

(ग) जिन पेंशनधारियों के खाते आधार से लिंक हैं उनको संशोधित पेंशन नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

विभाग समय–समय पर समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा प्रचार कैंप आदि लगवाकर Pamphlet/Poster आदि द्वारा लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंग करवाने की हिदायत दे रहा है।

(घ) जी हां, लेकिन केवल जिन पेंशनधारियों के खाते आधार से लिंक नहीं हैं केवल उन्हीं को संशोधित पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।

(ङ) जिन लाभार्थियों को संशोधित पेंशन नहीं मिल रही है उनका विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन – 107484

विकलांग पेंशन – 19500

198. श्री सोमनाथ भारती : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन व दिव्यांग पेंशन के कितने नए लाभार्थी जुड़े हैं और कितने पुराने लाभार्थियों का नाम काटा गया है;

(ख) उक्त सभी लाभार्थियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर क्या है;

(ग) उक्त मामलों में गलत आय प्रमाणपत्र देने वाले आवेदनकर्ताओं का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सत्य है कि पहले विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगियों को 60 वर्ष की आयु के पार करते ही स्वतः वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जाता था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस कमी को दूर कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या अब 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं व दिव्यांग व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन की बजाए अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं;

(छ) उन लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराएं जो अभी भी बढ़ी हुई राशि के स्थान पर पुरानी पेंशन राशि ही प्राप्त कर रहे है;

(ज) ऐसे लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे;

(झ) क्या यह सत्य है कि जिन लाभार्थियों को काफी समय से पेंशन नहीं मिली है, उन्हें पुनः आवेदन करने के लिए कहा जाता है;

(ञ) यदि हां, तो उनके पुराने आवेदन के आधार पर ही पेंशन क्यों नहीं पुनः चालू की जा सकती, जिससे उन्हें उनकी छूटी हुई राशि एक साथ मिल सके; और

(ट) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन से संबंधित समस्त अधिकारियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कार्य–विस्तार, कार्यालय समय सहित संपूर्ण ब्यौरा क्या है;

समाज कल्याण मंत्री : (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन व दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार विवरण–

योजना	2015–16	2016–17	2017–18
वृद्धावस्था	159	09	777
दिव्यांग	64	73	41

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन

व दिव्यांग पेंशन में जो लाभार्थी मृत पाए गए केवल उन्हीं के नाम सूची में से काटे गए जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	2015–16	2016–17	2017–18
वृद्धावस्था	53	11	23
दिव्यांग	6	Nil	Nil

(ख) IT Act के अनुसार विभाग किसी भी लाभार्थी के संपर्क नम्बर को सार्वजनिक घोषित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त सूची, विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है www.socialwelfare.delhigovt.nic.in

(ग) पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों से किसी प्रकार का आय प्रमाणपत्र नहीं लिया जाता, अपितु लाभार्थी द्वारा अपनी सालाना आय के संदर्भ में स्वघोषणा पत्र दिया जाता है जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। अतः ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त 'घ' के अनुसार लागू नहीं होता।

(च) विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

किंतु विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत यह नियमावली अभी क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

(छ) सूची सी.डी. में संलग्न है।

(ज) ऐसे लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाकर संबंधित जिला कार्यालय में भी जमा करवाना होगा।

(झ) और (ञ) केवल 2013–14 में सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या पते पर ना पाए गए लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। उसके बाद निर्धारित समय सीमा तक सुधार किया गया तथा उसके बाद काट दिया गया, ऐसे लाभार्थियों को ही दोबारा आवेदन के लिए कहा गया।

(ट) वरीयता क्रम में अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर निम्न प्रकार हैं–

जिला समाज कल्याण अधिकारी

नाम–श्री राजीव सक्सैना

फोन न.– 29819812

Email-dswosouth@gmail.com

199. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में नई वृद्धावस्था पेंशन पिछले दो सालों से नहीं बन रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एक विधानसभा क्षेत्र का 1200 वृद्धावस्था पेंशन का कोटा निर्धारित है, जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरा हो चुका है;

(ग) क्या सरकार इस पेंशन कोटे को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। केबिनेट निर्णय संख्या 2430 दिनांक 29.09.2016 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 750 रिक्तियां प्रति एक लाख वोटर के अनुपात आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 1200 वृद्धावस्था पेंशन का कोटा निर्धारित हुआ जो कि दिनांक 15.03.2018 को पूर्ण हो चुका है।

(ग) यह एक नीतिगत मामला है। फिलहाल विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) यह एक नीतिगत मामला है।

200. श्री ऋतुराज गोविन्द : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराडी विधानसभा में कुल कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और इनमें कार्यरत सुपरवाईजर, कार्यकर्ता व सहायिका की संख्या कितनी है;

(ख) सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के पते की सूची उपलब्ध कराये;

उपमुख्यमंत्री : (क) किराडी विधानसभा में कुल 263 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और उनमें सुपरवाईजर–11, कार्यकर्ता – 234, सहायिका–263, कार्यरत हैं।

(ख) सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के पते की सूची परियोजनावार संलग्न हैं।

ICDS PROJECT - AMAN VIHAR

1) No. of AWCs- 103
2) No. of Supervisor-4
3) No. of AWW-93
4) No. of AWH-103

AWC No	Address of AWC
1	H.No. 612 Block B Aman Vihar -
2	H.No. 294 Block B Aman Vihar
3	H.No. 18 Block C Aman Vihar
4	H.No. 154 Block B1 Aman Vihar
5	H.No. 326 Block C Aman Vihar
6	H.No. 126 Block B1 Aman Vihar
7	H.No. 118 Block D1 Aman Vihar
8	H.No. 47 Block D Aman Vihar
9	H.No. 56 Block A1 Aman Vihar
10	H.No. 156 Block A Aman Vihar
11	H.No. 89 Block B Aman Vihar
12	H.No. 480 Block B Aman Vihar
13	H.No. 558 Block B Aman Vihar
14	H.No. 817 Block B Aman Vihar

AWC No	Address of AWC
15	H.No. 31 Block C1 Aman Vihar
16	Block E1 Shiv Hanuman Mandir Aman Vihar
17	Block E1 Shiv Hanuman Mandir Aman Vihar
18	H.No. 6 Block E Aman Vihar
19	H.No. 131 Block FA1 Aman Vihar
20	H.No. 98 Block F Aman Vihar
21	H.No. 98C Block H Gali No 4 Aman Vihar
22	H.No. 133 Block H Aman Vihar
23	H.No. 17 Block B Hari Enclave Part 1 Aman Vihar
24	H.No. 179 Block A Hari Enc Part 1 Aman Vihar
25	H.No. 40 Block B Hari Enclave Part 1 Aman Vihar
26	H.No. 35 Block C Hari Enclave Part 1 Aman Vihar
27	H.No. 12 Block D Hari Enc Part 1 Aman Vihar
28	H.No. 8 Block A Hari 1 Enclave Aman Vihar
29	H.No. 146 Block B Hari Enclave Part 1 Aman Vihar
30	H.No. 340 Block B Hari Enclave Part 1 Aman Vihar
31	H.No. 07 Block C Hari Enclave Phase 2 Aman Vihar I
32	H.No. 28 Block E Hari Enclave Part 1 4.'
33	H.No. 315 Block B Balbir Vihar

AWC No	Address of AWC
34	H.No. 237 238 Block B Balbir Vihar
35	H.No. 62 Block B Balbir Vihar
36	H.No. 349 Block P3 Balbir Vihar
37	H.No. 192 Balbir Vihar
38	H.No. 48 Block C Balbir Vihar Kirari
39	H.No. 131 Block A Hari Enclave Aman Vihar
40	H.No. 8 Block A Part 5 Karan Vihar
41	H.No. 12 Block B Part 5 Karan Vihar
42	H.No. 453 Block C Part 3 Karan Vihar
43	H.No. 89 90 Block B Part 4 Karan Vihar
44	H.No. 37 Part 4 Aman Vihar
45	H.No. 27 Block A Part 3gali No 6 Karan Vihar
46	H.No. 387 Block B Hari Enclave Aman Vihar
47	H.No. 197 Block B Part 4 Karan Vihar
48	Rz 132 Gali No 9 Part 6 Karan Vihar
49	H.No. 42 Gali No 8 Part 1 Karan Vihar
50	Khasra No 367 Shiv Mandir Karan Vihar
51	H.No. 315 Part 2 Karan Vihar
52	H.No. 339 Part 2 Karan Vihar

AWC No	Address of AWC
53	H.No. 37 Part 4 Aman Vihar
54	RZ 161 Gali No 3 Karan Vihar Part 1
55	H.No. 132 Block A Part 3 Karan Vihar
56	H.No. 70 Block C Part 5 Karan Vihar
57	H.No. Dl/ 315 Block Dl Part 2 Karan Vihar
58	H.No. 327 Block B Part 5 Karan Vihar
59	Khasra No 295 Karan Vihar
60	Khasra No 106 Part 1 Karan Vihar
61	H.No. 245 Block B Karan Vihar Part 3
62	H.No. 179a Part 2 Karan Vihar
63	H.No. 94/2 Block A Lakhi Ram Park Sec 22 Rohini
64	H.No. 95 Block B Gali No 5 Dhurv Enc. Sec 22 Rohini
65	H.No. 46 Block B Sharma Enclave Vidyapati Nagar
66	A 35/10 Sharma Enclave Vidyapati Nagar
67	H.No. 171 Block A Vidyapati Nagar
68	H.No. E-28 C-7/24 Inder Enclave Vidhyapati Nagar
69	A 93/14 Vidyapati Nagar
70	A 117 /5 Vidyapati Nagar
71	H.No. 170 Block A Baueet Vihar

AWC No	Address of AWC
72	H.No. 6 Block B Baueet Vihar
73	H.No. 160/A Baljeet Vihar
74	H.No. 204 Block B Baljeet Vihar
75	H.No. 5 Block C Baueet Vihar
76	H.No. 505 Block A Inder Enc Part 1
77	H.No. 406 Block A Inder Enclave Part 1
78	H.No. 32 Block B Inder Enclave Part 1
79	H.No. 195 Block B Inder Enclave Part 1
80	H.No. 288 Block B Inder Enclave Part 1
81	H.No. 274 Block C Inder Enclave Part 1
82	H.No. 548 Block C Inder Enclave Part 1
83	H.No. 163 Block D Inder Enclave Part 1
S4	H.No. 202 Block D Inder Enclave Part 1
85	H.No. 536 Block D Inder Enclave Part 1
86	H.No. 305 Block A Gali No 14 Gourav Nagar
87	H.No. 56 Block B Gali No 5 Gourav Nagar
88	H.No. 476 Block B Gali No 5 Gourav Nagar
89	H.No. 397 Block B Gali No 10 Gourav Nagar
90	H.No. 290 Block B Gourav Nagar

AWC No	Address of AWC
91	H.No. 62 Block B Gali No 4 Niti Vihar
32	H.No. 58 Gali No 6 Block D Gali No 5 Niti Vihar
93	H.No. 122 Block E Gali No 9 Niti Vihar
94	H.No. 298 Gali No 5 Ratan Vihar
95	H.No. 213 Gali No 3 Ratan Vihar
96	H.No. 66 Block B Indra Jheel
97	H.No. 29 Block G Indra Jheel
98	H.No. 6 Block A Balbir Nagar
99	H.No. 26block C Balbir Nagar
100	H.No. 46 Block B Prem Nagar
101	C- 94 Prem Nagar Ext, Gal No. 03, Kirari
102	A-76 Prem Nagar Ext, Kirari
103	C- 173 Prem Nagar Ext, Gali No. 05, Kirari

ICDS PROJECT - PRATAP VIHAR

1) No. of AWCs-105

2) No. of Supervisor-3

3) No. of AWW-94

4) No. ofAWH-105

AWC No.	AWC Address
1	B 201 Tripathi Enclave New Delhi
2	D Block H No 46 Tripathi Enclave New Delhi
3	D 345 Tripathi Enclave New Delhi
4	B 340 Sharda Vats Enclave New Delhi
5	A 463 Sharda Vats Enc.New Delhi
6	C 93 Gauri Shankar Enc. New Delhi
7	C 48 Gauri Shankar Enc.New Delhi
8	D 35 Gauri Shankar Enc. New Delhi
9	A 105 Gauri Shankar New Delhi
10	A 58 Gauri Shankar Enc. New Delhi
11	B 386 Gauri Shankar Enc. New Delhi
12	B 135 Gauri Shankar New Delhi
13	B 453 Adarsh Enc. New Delhi
14	B-166 Singh Adarsh Enc.New Delhi

AWC No.	AWC Address
15	B 123 Singh Enc. New Delhi
16	B 183 185 Laxmi Vihar New Delhi
17	A Block H No 4 36 Laxmi Vihar New Delhi
18	E 34 Panday Enc New Delhi
19	A 37 Satya Enc New Delhi
20	D 43 Satya Enc New Delhi
21	B 78 Satya Enc New Delhi
22	C 14 Satya Enc New Delhi
23	A 218 Hind Vihar New Delhi
24	B 667 Hind Vihar New Delhi
25	B 664 Hind Vihar New Delhi
26	C 40 Hind Vihar New Delhi
27	A 113 Hind Vihar New Delhi
28	A 304 Hind Vihar New Delhi
29	Z 467 9 Durga Enc New Delhi
30	A 61 2 Agar Nagar Meetha Pani New Delhi
31	C 2 Prem Nagar III New Delhi
32	GG 96 Prem Nagar New Delhi
33	A Block 152 Agra Encl Meetha Pani New Delhi

AWC No.	AWC Address
34	D 252 Agar Encl Prem Nagr III New Delhi
35	F 464 Agar Nagar New Delhi
36	B 216 11 Agar Nagar Meetha Pani New Delhi
37	A 24 Briz Vihar New Delhi
38	B 37 38 Agar Nagar New Delhi
39	B Block 52 Sheesh Mahal Encl Prem Nagar Iii New Delhi
40	A 1 46 Yadav Nagar Prem Nagar Iii New Delhi
41	C 178 Yadav Nagar Prem Nagar Iii New Delhi
42	C 14 Yadav Encl Prem New Delhi
43	A 149 Agar Nagar Meetha Pani New Delhi
44	A 29 Raghuveer Vihar Prem Nagar New Delhi
45	A 151 18 Sheesh Mahal Encl Prem Nagar Iii New Delhi
46	A 178 Chnadan Park New Delhi
47	A 159 Chandan New Delhi
48	D Block H No 81 Surat Vihar
49	A 11 Surat Enclave New Delhi
50	A 22 Roop Vihar New Delhi 110081
51	A 31 Roop Vihar Mubarakpur New Delh1110081
52	A 1300 Agar Nagar Delh1110081

AWC No.	AWC Address
53	C 75 Agar Nagar Prem Nagr Iii New Delhi 110086
54	A 222 Agar Nagar Delhi 110081
55	F 1 68 Agar Nagar Delh1110081
56	B -2 31 Agar Nagar Delhi 110081
57	A 1935 Agar Nagar Delh1110081
58	F 397 Agar Nagar Delh1110081
59	A 1590 Agar Nagar New Delhi
60	F 397 Agar Nagar Delhi 110081
61	A 1590 Agar Nagar New Delhi
62	A 1300 Agar Nagar Delh1110081
63	C 75 Agar Nagar Prem Nagr III New Delh1110086
64	A 222 Agar Nagar Delhi 110081
65	F 1 68 Agar Nagar Delh1110081
66	B 2 31 Agar Nagar Delhi 110081
67	A 1935 Agar Nagar Delh1110081
68	F 397 Agar Nagar Delhi 110081
69	A 1590 Agar Nagar New Delhi
70	A/149 Ramesh Enc
71	A/149 Ramesh Enc

AWC No.	AWC Address
72	A/150 Ramesh Enc
73	C G/122 Pratap Vihar
74	C /320 Ramesh Enc
75	75 Pratap Vihar
76	263 Pratap Vihar
77	182 Pratap Vihar
78	13/1 Pratap Vihar
79	532/A Pratap Vihar
80	215 Pratap Vihar
81	359 Pratap Vihar
82	B /121 Pratap Vihar
83	B/ 99 Pratap Vihar
84	E /53 Pratap Vihar
85	D /638 Pratap Vihar
86	C /L / 69 Pratap Vihar
87	0/33 Pratap Vihar
88	B /99 Pratap Vihar
89	A/114 Pratap Vihar
90	D /454 Pratap Vihar

AWC No.	AWC Address
91	A /76 Pratap Vihar
92	192 Mubarak Pur
93	79 Mubarak Pur
94	Mubarak Pur Vill
95	C/699 Agar Nagar
96	A/ 929 Agar Nagar
97	C/318 Agar Nagar
98	C/ 312 Agar Nagar
99	B/ 232 Agar Nagar
100	B /3353 Agar Nagar
101	B/112 Agar Nagar
102	B/3 /183 Agar Nagar
103	B /4/276 Agar Nagar
104	A/25 Agar Nagar
105	B /105 Agar Nagar

ICDS PROJECT-KANJHAWLA

1) No. of AWCs -50
2) No. of Supervisor -3
3) No. of AWW-42
4) No. of AWH-50

Sl. No.	AWC No.	AWC Address
1	2	3
1	91	H.No. 71 E Prem Nagar 1 Kirari
2	92	H.No. 36 G Block Prem Nagar 1 Kirari
3	93	H.No. 59 B Prem Nagar 1 Kirari
4	94	H.No. 22 A Prem Nagar 1 Kirari
5	95	H.No. 100 G Block Prem Nagar 1 Kirari
6	96	H.No. 12 Prem Nagar 1 Kirari
7	97	B 728 Prem Nagar 1 Kirari
8	98	H.No. 58 Station Block Prem Nagar Kirari
9	99	H.No. 23 Prem Nagar 1 Kirari
10	100	H.No. 286 B Prem Nagar 1 Kirari
11	101	H.No. 24 B Block Prem Nagar 1 Kirari
12	102	H.No. 43 A Block Prem Nagar 1 Kirari
13	103	A 30 Prem Nagar 1

1	2	3
14	104	259 Station Block Prem Nagar 1
15	105	H.No. 45 F Block Prem Nagar 1 Kirari
16	106	H.No. 260 Harsukh Block Kirari Suleman Nagar
17	107	H.No. 50 A Prem Nagar 1 Kirari
18	108	H.No. 16 Kirari Village
19	109	H.No. 154 Kirari Village
20	110	H.No. 21 Kirari Village
21	111	H.No. 80 B Block Rajdhani Park Mundaka
22	112	H.No. 40 C Block Rajdhani Park Mundaka
23	113	C 94 Rajdhani Park Mundaka
24	114	H.No. 20 A Nithari Village
25	115	H.No. 95 D Inder Enclave 2 Kirari
26	116	D 13 Inder Enclave 2 Kirari Sulemna Nagar
27	117	A-743 Inder Enclave Phase 2 Delhi 110086
28	118	A 426 Inder Enclave Phase 2 Suleman Nagar
29	119	A-110 Inder Enclave Phase 2 Delhi 110086
30	120	H.No. 350 G Block Inder Enclave 2 Kirari
31	121	H.No. 575 F Block Inder Enclave 2 Kirari
32	122	H.No. 126 A Block Inder Enclave 2 Kirari

1	2	3
33	123	H.No. 325 A Block Inder Enclave 2 Kirari
34	124	H.No. 292 A Block Inder Enclave 2 Kirari
35	125	H.No. 29 B Block Inder Enclave 2 Kirari
36	126	H.No. 404 B Block Inder Enclave 2 Kirari
37	127	H.No. 351 B Block Inder Enclave 2 Kirari
38	128	H.No. 213 B Block Inder Enclave 2 Kirari
39	129	H.No. 63 C Block Inder Enclave 2 Kirari
40	130	H.No. 123 C Block Inder Enclave 2 Kirari
41	131	C 86inder Enclave Phase 2
42	132	E 110 Inder Enclave Phase 2 Kirari Suleman Nagar
43	133	H.No. 254 D Block Inder Enclave 2 Kirari
44	134	H.No. 203 E Block Inder Enclave Kirari Suleman Nagar
45	135	H.No. 370 G Block Inder Enclave 2 Kirari Suleman Nagar
46	136	H.No. 118 F Block Inder Enclave 2 Kirari Suleman Nagar
47	137	H.No. 18 F Block Inder Enclave 2 Kirari Suleman Nagar
48	138	F 667inder Enclave Phase 2
49	139	H.No. 92 F Block Inder Enclave 2 Kirari Suleman Nagar
50	140	H.No. 385 E Block Inder Enclave 2 Kirari Suleman Nagar

ICDS PROJECT- ROHINI II

1) No. of AWCs-5
2) No. of Supervisor -1
3) No. of AWW-5
4) No. ofAWH-5

Sl. No.	AWC No.	AWC Address
1	16	Et-12 Kailash Vihar in Hub Centre
2	17	B-12 Kailash Vihar in Hub Centre
3	18	B-12 Kailash Vihar in Hub Centre
4	19	B-12 Kailash Vihar in Hub Centre
5	20	A-48 Balbir Vihar

201. श्री महेंद्र गोयल : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधवा महिला की कितनी अधिकतम आयु हो कि वह विधवा आर्थिक सहायता के लिये आवेदन कर सके;

(ख) क्या यह सत्य हैं कि विधवा की पुत्री को मिलने वाली सहायता उस स्थिति में नहीं मिलती हैं जिसमें उसके पति की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती हो;

(ग) यदि विधवा पेंशन या उसकी पुत्री की शादी के लिए सहायता के लिए आवेदनकर्ता के पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र न हो तो क्या

उसके स्थान पर अन्य कौन सा प्रमाण पत्र लगाकर योजना का लाभ लिया जा सकता हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करें;

उपमुख्यमंत्री : (क) विधवा पेंशन के लिए आवेदन की आयु अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष जीवनपर्यन्त निर्धारित की गई हैं।

(ख) विधवा पेंशन तथा विधवा की पुत्री के विवाह के आवेदन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं।

(ग) मृत्यु के प्रमाण हेतु निम्न प्रलेख स्वीकार्य हैः—

1. दाह भूमि/कब्रिस्तान प्राधिकरण/प्राधिकरण द्वारा जारी रसीदः
2. मृत्यु के समय अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
3. यदि दिल्ली के बाहर या किसी गांव में मृत्यु हुई हो, और दाह भूमि की कोई रसीद नहीं हैं, गांव के स्थानीय प्रधान का प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जायेगा;
4. शव परीक्षा रिपोर्ट;
5. कोई अन्य प्रलेख, जो पति की मृत्यु, मृत्यु का समय, तिथि स्थान स्पष्टतः सिद्ध करता हैं।

202. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्य है कि सरकार बच्चों के लिए प्री स्कूल लर्निंग पर जोर दे रही है;

(ख) इसके लिए कितने अर्ली चाईल्डहुड एजुकेशन सेन्टर खोले गए हैं;

(ग) इनमें बच्चों के लिए क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने 10 अर्ली चाईल्ड हुड एजुकेशन एंड डेवलमेंट सेन्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में दिये थे;

(ङ) इस कार्य के लिए कितना बजट रखा गया था और कितना व्यय हुआ;

(च) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में प्री लर्निंग सेन्टर खोलने जा रही है?

उपमुख्यमंत्री : (क) हां सरकार बच्चों के लिए प्री स्कूल लर्निंग पर जोर दे रही है।

(ख) विभाग द्वारा 10897 ऑगनवाडी केन्द्रों के अंतर्गत 3–6 आयु वर्ग के बच्चों को अर्ली चाईल्डहुड एजुकेशन दी जाती है और ऑगनवाडी में उपलब्ध सुविधाएं जैसे विभिन्न गतिविधियों द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण संदर्भ सेवायें, स्वास्थ्य जांच, पोषणहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों को दी जाती है।

(ग) ऑगनवाड़ी केन्द्रों के अंतर्गत बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है और ऑगनवाडी में उपलब्ध सुविधाऐं जैसे विभिन्न गतिविधियों द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण सन्दर्भ सेवाये, स्वास्थ्य जांच, पोषणहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है।

(घ) जी हां।

(ङ) इस कार्य के लिए 4.00 करोड़ का बजट रखा गया था। अम्बेडकर विश्वविद्यालय को 2017–18 में 1.00 करोड़ रुपये के अनुदान की पहली किस्त दी गई है। अब तक लगभग कुल 27.53 लाख खर्च हुए हैं।

(च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

203. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न NGO को दिए जाने वाले अनुदान के लिए क्या मानक एवं आधार निर्धारित हैं;

(ख) एन.जी.ओ. में रह रहे किसी बच्चे को रेस्क्यू करवाने हेतु एन.जी. ओ. द्वारा कितनी राशि ली जाती है;

(ग) अनुदान की राशि पूर्ण रूप में बच्चों के कल्याण पर खर्च हो, यह कैसे सुनिश्चित किया जाता हैं;

(घ) एनजीओ की रसोई एवं बच्चों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता आदि की जांच के क्या मापदंड हैं;

(ङ) क्या इन एनजीओ के क्रियाकलापों की निगरानी व जांच के लिये विभाग द्वारा कोई प्रक्रिया अपनाई जाती हैं; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं?

उपमुख्यमंत्री : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न NGO को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समाज कल्याण संस्थाओं/संगठनों को अनुदान नियमावली 2008'' तहत अनुदान प्रदान किया जाता हैं। जिन मानक और आधार पर अनुदान दिया जाता है वह अधिसूचना में उल्लेखित है (अधिसूचना संलग्न है)[1]

(ख) एन.जी.ओ. द्वारा किसी बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है तो इस कार्य के लिए एन.जी.ओ. को कोई धनराशि नहीं दी जाती।

(ग) अनुदान राशि स्वीकृत करने से पूर्व एनजीओ का निरीक्षण जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा करवाया जाता हैं तथा अनुदान को स्वीकृति देने हेतु जीआईए (GIA) समिति की बैठक बुलाई जाती है।

(घ) जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में भोजन तथा अन्य मापदंडों का भी निरिक्षण किया जाता है।

(ङ) जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण में भोजन तथा अन्य मापदंडो का भी निरिक्षण किया जाता है।

(च) जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण में भोजन तथा अन्य मापदंडो का भी निरिक्षण किया जाता है।

204. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला गांव की हरिजन चौपाल के पुनः निर्माण हेतू सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने फंड की मांग की हुई है;

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में देरी के क्या कारण है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा;

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित चौपाल नगर निगम द्वारा निर्मित है। अतः इस चौपाल को तोड़ने की अनुमति के लिए संबंधित नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित जानकारियां बाढ़ एवं सिचाई विभाग के माध्यम से मांगी गई है जो कि अभी लंबित है।

(ग) वांछित जानकारी के प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

205. श्री विशेष रवि : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग द्वारा एससीएसपी योजना के तहत आवंटित राशि का खर्च इस हेतु न करके किसी अन्य जगहों पर डाइवर्ट कर दिया गया है;

(ख) इस योजना एससीएसपी में वर्ष 2017–18, 2016–17 और 2015–16 में कितना धन कैपिटल और रेवेन्यू में दिया गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि एससीएसपी योजना की धनराशि से किसी विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा है;

(घ) एससीएसपी में आवंटित धन किस–किस डिपार्टमेंट के पास है और पिछले वर्षों में (2001 के बाद से) अब तक खर्च नहीं हुई धनराशि सहित, वर्ष 2017–18 के शुरू में कुल कैपिटल और रेवेन्यू हेड्स में कितनी धनराशि थी;

(ङ) वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 (अब तक), में कुल खर्च का ब्यौरा क्या है और कैपिटल रेवेन्यू में और किस किस मद में किस किस विभाग द्वारा कितना खर्च किया गया है;

(च) क्या इस खर्च से अनुसूचित जाति वर्ग को हुए लाभों का आंकलन किया गया है; और

(छ) यदि नहीं तो क्या भविष्य में ऐसा आंकलन किए जाने की मंशा है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है।

206. श्री सोमनाथ भारती : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग में अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उनका पूरा विवरण क्या है;

(ख) इन योजनाओं के लिए पात्रता के मानदंड तथा आवेदन की प्रक्रिया क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध करायें; और

(घ) जिन कॉलोनियों में मुख्यरूप से इन्हीं वर्गों के व्यक्ति रहते हैं, वहां अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधियों का विवरण क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) और (ख) योजनाओं का पूरा विवरण एवं पात्रता के मापदंड तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अनुलग्नक ''क'' में वर्णित है।

(ग) विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का विवरण अनुलग्नक ''ख'' में वर्णित है।

(घ) जिन कॉलोनियों/बस्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बंधित व्यक्तियों की जनसंख्या 33% से अधिक है वहां पर विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 50 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान किया गया है।

अनुलग्नक "क"

क्र. सं.	अनु.जाति/अनु.ज जाति/अ.पि.वि/ अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाएं	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता की सीमा	आवेदन की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1.	ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12 तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक 2. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत हाजिरी। 4. अल्पसंसख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	60,000/– तक वार्षिक आय के लिए 100% 60,001/– से 2,00,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 75%	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। 2. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका

				3. पिछली कक्षा की हाजिरी का प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र 5. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट
2.	(कक्षा 1 से 12) छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु.जन. जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	(i) अ.जा./अ.जन./अल्पसंख्यक 1 से 8 कक्षा रु 1000/– प्रति वर्ष (अंक % की कोई सीमा नहीं) (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (6 से 8) लिएः– 55 से 60% अंक पिछली कक्षा रु. 600/– प्रति वर्ष 60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा रु. 720/– प्रति वर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण पत्र और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट

1	2	3	4	5
			उपर्युक्त (i) और (ii) के दावों के लिए 9 से 10 कक्षाः— रु. 1620/— प्रति वर्ष (55% से 60% अंक पिछली कक्षा) रु. 2040/— प्रति वर्ष (60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा) 11 से 12 कक्षाः— रु. 3000/— प्रति वर्ष (55% से 70% अंक पिछली कक्षा) रु. 4500/— प्रति वर्ष (70% से ऊपर अंक पिछली कक्षा)	4. स्वयं घोषित आय
3.	(कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	रु. 1000/— प्रति वर्ष रु. 2000/— प्रति वर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in

	लिए वित्तीय सहायता	2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।		पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः— 1. जाति प्रमाण पत्र 2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 3. स्वयं घोषित आय
4.	कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु.जन. जाति के लिए कोई आय सीमा नहीं। 2. अल्पसंख्यक/पिछडा वर्ग के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक।	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रु. 9,648/— से 22,320/— प्रति वर्ष (ii) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए रु. 5,040/— से रु. 11,520/— प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः— 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में

1	2	3	4	5
		4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।		रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 4. स्वयं घोषित आय।
5.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। (कक्षा 1 से 10)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	कक्षा 1 से 5 तक 1000 रुपये प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 10 तक (1000+4200+500) रुपये प्रतिवर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 3. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

6. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	कक्षा 11 से 12 तक (1400+10000) रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (1850+3000) रुपये प्रतिवर्ष कक्षा एम.फिल. एवं पी.एच.डी. (3300) रुपये प्रतिवर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1.पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 3. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
7. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक	5000/10000+20000 और सूचीबद्ध संस्थान को देय पूरी फीस।	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है।

1	2	3	4	5
	(स्नातक स्तर के तकनीकि एवं व्यवसायिक कोर्स)	आय 2.50 लख रुपये तक।		अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः— 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 3. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	1. पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60 प्रतिशत से अधिक 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	होस्टलर (3 से 10):— रु. 500/— प्रति माह (दस महीनों के लिए) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) (1 से 12):— रु. 100/— प्रति	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः— 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका

		माह (दस महीनों के लिए) (पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60% से अधिक)	2. जाति प्रमाण पत्र 3. स्वयं घोषित आय
9. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टल रु. 260/– से रु 750/– प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु 160/– से रु 350/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवदेन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
10. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/–	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पोस्ट

1	2	3	4	5
	प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	तक।	से रु 1200/– प्रति माह डे स्कॉलर रु. 230/– से रु 550/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवदेन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
11.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	डे स्कॉलर रु. 225/– प्रति माह 10 महीनों के लिए बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 750/– होस्टलर रु. 525/–	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक

		प्रति माह 10 महीने और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 1000/–	तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. स्वयं घोषित आय
12. डा. बी. आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार	15 सूचीबद्ध संस्थान	8000 रुपये प्रति कोर्स	टापर्स छात्रों की सूची सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान से मांगी जाती है।

अनुलग्नक ''ख''

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या		
		2014–15	2015–16	2016–17
1	2	3	4	5
1.	(कक्षा 1 से 12) छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति	16428	20146	456280
2.	कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति	10560	11086	2181
3.	ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12 तक)	22459	24603	17145
4.	(कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता	24154	27358	513133
5.	डा. बी.आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार	5	14	4
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	NIL	NIL	NIL

7.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	1040	451	6962
8.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	NIL	NIL	NIL
9.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	3807	3291	NIL
10.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। (कक्षा 1 से 10)	92	7	30567
11.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	781	278	2814
12.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति। (स्नातक स्तर के तकनीकि एवं व्यवसायिक कोर्स)	NIL	307	1025

207. श्री अजय दत्त : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर में अनु.जाति/जन जाति समुदाय के लिए क्या–क्या परियोजनायें चलाई जा रही है;

(ख) भविष्य के लिए क्या योजनाएं है; और

(ग) अन्य क्या योजना व सुविधा अनु. जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को दी जा सकती है उसका ब्यौरा दें;

समाज कल्याण मंत्री : (क) अनु. जाति/जन जाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अंतर्गत माननीय विधायक, अम्बेडकर नगर विधान सभा की अनुसंशा पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दक्षिण पुरी में स्थित सामूहिक स्नानागार के नवीनीकरण के लिए दिनांक 04.12.2017 को 38.70 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(ख) उपरोक्त योजना के अंतर्गत अम्बेडकर नगर विधानसभा में सड़को व गलियों के विकास तथा पार्कों में बैंच लगवाने के लिए रुपये 3.79 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव बाढ़ एवं सिचाई विभाग द्वारा प्राप्त हुए हैं। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) हाल में अनुसूचित जाति से संबंधित विधार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए ''जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना'' प्रारम्भ की गई है। उपरोक्त योजना के अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी ले सकते है।

208. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **सूचना एवं प्रचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य हे कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय में निदेशक का पद प्रचार विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत अधिकारी के लिए संरक्षित है;

(ख) इस पद पर कब से आईएएस और दानिक्स अधिकारियों की नियुक्ति की जाती रही और क्यों;

(ग) आईएएस अधिकारी या दानिक्स अधिकारियों ने निदेशक पद पर तैनाती के दौरान कितनी प्रेस, विज्ञाप्तियां, प्रेस वार्ताएं, संवाददाता सम्मेलन आयोजित की;

(घ) सूचना एवं प्रचार निदेशक पद पर आईएएस व दानिक्स अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती रही है;

(ङ) सूचना एवं प्रचार निदेशालय के निदेशक सरकारी प्रवक्ता होने के नाते कितने बार सरकारी जरूरत के हिसाब से प्रेस से मुखातिब हुए, सविस्तार बताएं;

(च) क्या सूचना एवं प्रचार विभाग में नियुक्ति कानूनों, रिक्रूटमेंट रूल्स के अंतर्गत अतिरिक्त निदेशक या विशेष निदेशक के पद की नियुक्ति की व्यवस्था है; और

(छ) यदि नहीं, तो किसके आदेशों से अतिरिक्त निदेशक, विशेष निदेशक, इस पद पर नियुक्ति किये जाते रहे है?

सूचना एवं प्रचार मंत्री : (क) जी हां।

(ख) सेवा विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2002 से सूचना एवं प्रचार निदेशालय में आईएएस व दानिक्स अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। ये अधिकारी अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले हैं तथा इन्हें दिल्ली सरकार के विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी व गैर–तकनीकी विभागों में नियुक्त किए जा सकते हैं, जिससे उन विभागों का कार्य प्रभावी व कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जा सके।

सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध वर्ष 2002 से नियुक्तियों की सूची संलग्न है।

(ग) दिल्ली सरकार की सभी प्रेस विज्ञाप्तियां, प्रेस वार्ताएं, संवाददाता सम्मेलन मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्रियों के निर्देशानुसार निदेशालय के सहयोग से सम्पन्न किए जाते है।

(घ) निदेशक पद पर आईएएस व दानिक्स अधिकारियों की नियुक्ति सेवा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूचना एवं प्रचार निदेशालय के निदेशक को सरकारी प्रवक्ता नियुक्त करने का कोई आदेश नहीं है।

(च) जी नहीं।

(छ) सेवा विभाग के आदेशानुसार इस पद पर नियुक्ति की जाती रही है।

Details of IAS Officer who have been posted/assigned additional charge of Secretary/Director (Information & Publicity)

Sl. No.	Name of the officer	Designation	Order No. & date
1	2	3	4
1.	Shri Jayadev Sarangi, IAS (AGMUT:2001)	Secretary-cum-Director (Information & Publicity)	403 dated 22.09.2017
2.	Shri Jayadev Sarangi, IAS (AGMUT:200l)	Additional charge of Director-cum-Secretary (Information 86 Publicity)	514 dated 21.09.2016
3.	Shri S.S. Yadav, IAS (AGMUT:1995)	Additional charge of Secretary/ Director (Information & Publicity)	801 dated 30.12.2014
4.	Ms. Gitanjali Gupta Kundra, IAS (AGMUT: 1996)	Director (Information 86 Publicity)'	749 dated 25.11.2014
5.	Shri S.S. Yadav, IAS (AGMUT: 1995)	Additional charge of Secretary & Director (Information & Publicity)	326 dated 15.05.2014
6.	Shri Anindo Majumdar, IAS (AGMUT: 1985}	Additional charge of Principal Secretary (Information & Publicity)	319 dated 08.05.2014
7.	Shri Sanjiv Kumar, IAS (AGMUT: 1992)	Additional charge of Secretary (Information & Publicity)	

1	2	3	4
8.	Shri Sanjiv Kumar, IAS (AGMUT: 1992)	Additional charge of Director (Information & Publicity)	96 dated 04.02.2014
9.	Shri Sanjiv Kumar, IAS (AGMUT: 1992)	Additional charge of Secretary (Information & Publicity)	15 dated 06.01.2014
10.	Shri S.S. Yadav, IAS (AGMUT: 1995)	Relieved from additional charge -of Director and Secretary Director (Information & Publicity)	15 dated 06.01.2014
11.	Shri S.S. Yadav, IAS (AGMUT: 1995)	Additional charge of Secretary (Information & Publicity)	701 dated 17.12.2013
12.	Dr. M.M. Kutty, IAS (AGMUT: 1985)	Relieved from additional charge of Principal Secretary (Information & Publicity)	701 dated 17.12.2013
13	Shri S.S. Yadav, IAS (AGMUT: 1995)	Additional charge of Director(Information & Publicity)	219 dated 04.04.2013
14	Dr. M.M. Kutty, IAS (AGMUT: 1985)	Additional charge of Secretary (Information & Publicity)	134 dated 08.04.2011
15	Shri P.K. Tripathi, IAS (AGMUT: 77)	Additional charge of Secretary (Information & Publicity)	588 dated 04.12.2007

1	2	3	4
16	Shri Raajiv Talwar, IAS (AGMUT: 1978)	Additional charge of Director (Information & Publicity)	244 dated 24.06.2002
17	Shri K.S. Singh	Transferred from the post of Director of Information & Publicity	244 dated 24.06.2002

As per available record following DANICS officers have been posted as Director (DIP) & Additional/Special Director(DIP)/(I&P)

1. Sh. K.S. Singh, DANICS Posted as Director, Information & Publicity vide order No.33 dated 21.01.2002.

2. Sh. F.O. Hashmi, DANICS posted as Director, Information & Publicity vide order Mo. 101 dated 16.08.2002.

3. Sh. B.P. Joshi, DANICS was assigned additional charge of the post of Director, Dte of Information and publicity vide order no. 215 dated 29.05.2006

1. Sh. Kulanand Joshi, DANICS was assigned additional charge of Additional Director(DIP) vide order No.622 dated 12.09.2014 and charge relinquished vide order No. 155 dated 07.04.2015.

2. Sh. Binay Bhushan, DANICS was assigned additional charge of Additional Director(DIP) vide Office order No. 155 dated 07.04.2015.

3. Sh. Rajesh Chopra, DANICS posted as Additional Director(DIP) w.e.f 05.05.2015 to 22.12.2015.

4. Sh. Sandeep Kumar Mishra, DANICS has been assigned additional charge of Special Director (Information & Publicity) vide order No. 554 dated 03.11.2015

209. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **सूचना एवं प्रचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना एवं प्रचार विभाग में निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, सूचना सहायक तथा प्रचार सहायक जैसे कुल कितने तकनीकी पद हैं श्रेणी अनुसार इनका सम्पूर्ण विवरण दें;

(ख) इनमें से कौन–कौन से पद कब–कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इनके रिक्त होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है; और

(ङ) ये पद कब तक भरे जायेगे?

सूचना एवं प्रचार मंत्री : (क)

पद का नाम/श्रेणी	कुल पद
निदेशक (A)	01
उप। निदेशक (A), संपादक (A), प्रेस सचिव (A)	04
सूचना अधिकारी (B)	08
सहायक। सूचना अधिकारी (C)	04
फोटोग्राफर (C)	05
पंजाबी अनुवादक (C)	01
उर्दू अनुवादक (C)	01

पद का नाम/श्रेणी	कुल पद
फील्ड प्रचार अधिकारी (C)	01
कलाकार (C)	01
प्रकाशन सहायक (C)	01
प्रचार सहायक (C)	01

(ख)

उप निदेशक/संपादक प्रेस सचिव	तीन पद रिक्त हैं, एक 2006 से, एक 2010–11 एवं एक 2016 से।
सूचना अधिकारी	दो पद रिक्त हैं, एक 2014 से एवं एक 2016 से।
फोटोग्राफर	दो पद रिक्त हैं, एक 2011 से एवं एक 2015 से
पंजाबी अनुवादक	2014 से रिक्त है
उर्दू अनुवादक	दस वर्ष से अधिक से रिक्त है
प्रकाशन सहायक	2015 से रिक्त है
प्रचार सहायक	2013 से रिक्त है।

(ग)

उप निदेशक/संवादक/प्रेस सचिव	दो पदों के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार को दिनांक

	13.02.2018 को भेजा जा चुका है। एक पद जो कि दिव्यांग श्रेणी में है के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
सूचना अधिकारी	आर.आर. प्रक्रिया के तहत भर्ती नियमों की समीक्षा की प्रक्रिया लंबित होने के कारण रिक्त है।
फोटोग्राफर	प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिनाक 08.01.2018 को भेजा जा चुका है।
पंजाबी अनुवादक	प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिनांक 21.09.2015 को भेजा जा चुका है।
उर्दू अनुवादक	प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिनांक 21.09.2015 को भेजा जा चुका है।
प्रकाशन सहायक	प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिनांक 23.01.2018 को भेजा जा चुका है।
प्रचार सहायक	प्रस्ताव दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिनांक 23.01.2018 को भेजा जा चुका है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) उपरोक्त रिक्त पदों को भरने के लिये प्रस्ताव दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं संघ लोक सेवा आयोग, में विचाराधीन है।

210. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उप मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री ने वर्ष 2017–18 क बजट में यमुना नदी रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) क्या सरकार ने वजीराबाद से 5 किमी. अपस्ट्रीम वर्ल्ड क्लॉस ईकोलॉजिकल रिवर फ्रंट बनाने की योजना पर काम करने का वायदा किया था;

(ग) इन योजनाओं के क्या उद्देश्य थे;

(घ) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है, विस्तृत जानकारी दें;

(ङ) क्या कार्य के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पर्यटन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत दिल्ली को विश्व स्तरीय पर्यटक शहर के रूप में विकसित करना व यमुना नदी के किनारों के विकास की योजना बनाई गयी। इसका लक्ष्य एक ऐसे

स्थल का विकास करना है, जहां लोग अपने को प्रकृति और यमुना नदी से जुडा हुआ महसूस करें और नदी क महत्व और उसके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े और वे नदी के सुधार के लिए प्रयास करें। इससे जल निकायों के साथ ऐसी आर्द्र भूमि के विकास की योजना है, जो भूमिगत जल के पूनर्भरण और नदी की स्थिति में सुधार लाने में सहायक हो। इससे नदी को प्रदूषण से बचाने और वन्यजीवों को सहारा देने वाले स्थानीय तथा वातावरण के अनुकूल पौधों की विविध प्रजातियों के विकास में मदद मिलेगीं।

(ग) संबंधित विभागों से अनापत्ति पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

(ङ) इस कार्य के लिए 5000 लाख रुपये का बजट प्रावधान 2017—18 के बजट में किया गया था।

211. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जल भराव की समस्या के लिए सीवर व्यवस्था जिम्मेदार है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बहुत बड़ी संख्या में सीवरों को निकासी के लिए बरसाती नालों से जोड़ा गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि जो बरसाती पानी यमुना में आना चाहिए, अकारण सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बोझा बढ़ा रहे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ जगहों पर सीवर का गन्दा पानी बरसाती नालों से मिलाकर यमुना में बहाया जा रहा है;

(ङ) मुख्य सचिव ने दिल्ली में जल भराव में की समस्या से निपटने के लिए 2017 में जो रिपोर्ट दी थी, उस पर क्या कार्रवाई की गई;

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। लेकिन कुछ स्थानों पर सीवर लाईन के बैठ जाने की स्थिति पर कुछ समय के लिए सीवरों को बरसाती नालों से जोड़ना पड जाता है। क्षतिग्रस्त सीवर की मरम्मत के पश्चात् पुनः नालों से सीवर के कनेक्शन को हटा लिया जाता है।

(ग) जी हां। कुछ स्थानों पर नगर निगम द्वारा बरसाती नालों को सीवर लाईन में जोड़ दिया गया है जिनका पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बोझा बढ़ा रहे हैं।

(घ) जी हां। इसका उत्तर क्रमांक 'ख' पर दिया जा चुका है।

(ङ) जल भराव की समस्या जल बोर्ड से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। इस संबंध में कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाती है जैसे MCD, PWD, DDA इत्यादि।

212. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सर्वश्री चिनार शिपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कंपनी ने दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड से यमुना रिवर बैनर पर ड्रेनिंग और लिफ्टिंग का कार्यभार ले रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस कंपनी और कंपनी डायरेक्टर श्री ए.के. त्रिपाठी के खिलाफ कई राज्यों में फ्रॉड के मुकदमें दर्ज हैं;

(ग) क्या ऐसी जो ब्लैक लिस्टेड कम्पनीज है वह किसी सरकार में पूर्ववत काम कर सकती है;

(घ) ऐसे फ्रॉड एक्शन में आने पर क्या कंपनी का आगे का कार्य निरस्त किया जा सकता है;

(ङ) क्या सरकार ऐसी कम्पनी का भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर ऑडिट करवाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो यह कार्रवाई कब तक की जायेगी?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कंपनी के ब्लैक लिस्टिड होने की कोई जानकारी दिल्ली जल बोर्ड को नहीं है।

(घ) ब्यौरा मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) और (च) ऐसी कोई जानकारी दिल्ली जल बोर्ड के संज्ञान में नहीं है।

213. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सेक्टर 16 रोहिणी में एक यूजीआर का निर्माण होना है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्र की समस्या को देखते हुए यह कार्य जल्द से जल्द होना जरूरी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजना के अनुसार इस यू.जी.आर. का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना था।

(ग) इस कार्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण करके यूजीआर बनाने के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। शेष कार्यवाही डी.डी.ए. द्वारा की जानी हैं।

214. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड को इस बात के लिए कि हरियाणा यमुना में अमोनिया के ऊंचे स्तर के लिए जिम्मेदार है, आड़े हाथों लिया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा है कि यमुना नदी एक सीवर लाईन के रूप में परिवर्तित हो चुकी है;

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि ट्रिब्यूनल ने सरकार की नदी के प्रवाह को विभिन्न चरणों देखने के नजरिये के लिए कड़ी आलोचना की है;

(ङ) दिल्ली सरकार खुद अपने पानी के स्त्रोतों में अभिवृद्धि करने के लिए क्या योजना बना रही हैं;

(च) दिल्ली और हरियाणा ने मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए कोई बैठक बुलाई है; और

(छ) यदि हां, तो उसका विवरण दें?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं। अपितु हरियाणा को पानीपत में बने अवजल संयंत्रों को सुचारू रूप से चलाने को कहा ताकि केवल शोधित जल ही यमुना नदी में प्रवाहित हो सके। पानीपत में बने सब अवजल संयंत्र मानकों के अनुसार कार्य नहीं करते हुए पाये गये।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड यमुना नदी में वजीराबाद जलाशय पर प्रदूषण को कम करने के लिए एवं हरियाणा के दिशा–निर्देश देने के लिए एन.जी.टी. के पास गया है, फिर भी आदरणीय कोर्ट ने यह अवलोकन किया है कि वजीराबाद जलाशय के डाउनस्ट्रीम पर यमुना नदी में भी प्रदुषण है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

1. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तीन मुख्य नालों अर्थात् नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवर लाईन डालने का कार्य प्रगति पर है, जो लगभग 60 किलोमीटर लंबाई में है। जो

नाले में बहने वाले अपशिष्ट जल को ट्रेप करके नजदीकी अवजल संयंत्र पर ले जाया जायेगा। यह कार्य लगभग 87 प्रतिशत पूरा हो चुका है। कुल 242 मिलियन गैलन दैनिक अपशिष्ट जल में से 92 मिलियन गैलन दैनिक ट्रैप कर चुके हैं।

2. यमुना एक्शन प्लान–III के तहत दिल्ली जल बोर्ड 209 मिलियन गैलन दैनिक की कुल क्षमता के साथ रिठाला, कोंडली और ओखला में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के पुर्ननिर्माण तथा इससे जुड़े हुए ट्रंक सीवरों जो कि लगभग 37 किलोमीटर में है, के पुर्ननिर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

3. दिल्ली में लगभग 1669 अनियोजित कॉलोनियां है जिसमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पहले ही 265 ऐसी कॉलोनियों में सीवर लाईन डाल दी गयी है, 340 कॉलोनियों में काम प्रगति पर है और अन्य कॉलोनियों में सीवर सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए सीवरेज मास्टर प्लान–2031 के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा रही है।

4. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कोरोनेशन पिलर पर 70 मिलियन गैलन दैनिक क्षमता के एस.टी.पी. का निर्माण किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में सीवर लाईन नहीं है उन क्षेत्रों से एकत्रित सीवेज के उपचार के लिए विकेंद्रीकृत एस.टी.पी. स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

5. मौजूदा परिधीय सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में पुराने परिधीय सीवरों का पुर्नवास किया जा रहा है।

(घ) ट्रिब्यूनल ने कहा कि यमुना नदी में प्रदूषण को दूर करने में हर प्रदेश को सहयोग देना होगा।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में वाटर सप्लाई बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है।

1. नान रेवेन्यु वाटर (NRW) को कम करने के लिए नांगलोई, मालवीय नगर, वसंत विहार, महरोली में कार्य प्रगति पर है।
2. पल्ला क्षेत्र में ट्यूबवेल और रेनीवेल पर काम किया जा रहा है।
3. केन्द्र सरकार और संबंधित राज्यों के साथ MOU हुआ है, जिसके अंतर्गत लखवार, रेणुकाजी एवं किशाऊ डॅम बनने है। इससे दिल्ली को अपने हिस्से का पानी मिलेगा।

(च) हां।

(छ) दिनांक 20.02.2018 को हरियाणा और दिल्ली की मीटिंग हुई जो कि सेक्रेटरी (Minister of ¡ter Resources) की अध्यक्षता (Chairman) में हुई जिसमें हरियाणा के Pollution कम करने के लिए STP को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा गया ट्रिब्यूनल के समक्ष हरियाणा ने पानीपत स्थित अवजल संयंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय सारणी दाखिल की।

215. श्री सोमनाथ भारती : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड/MNWS द्वारा वर्ष 2008–2017 के दौरान पूरे किए अथवा लंबित सभी कार्यों के नाम, कार्य की लागत कार्य का ब्यौरा

संबंधित जेई/एई/ईई का नाम कार्य की शर्तें किस समस्या के समाधान हेतु कार्य होना था, अनुरोधकर्त्ता का नाम, बजट हेड सहित पूरा विवरण क्या है;

(ख) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने टयूबवेल काम कर रहे है, उनको लगाने की तिथि तथा उनकी शेष जीवनावधि क्या है;

(ग) इन टयूबवेल के कमरों के नवीकरण की क्या योजना है;

(घ) क्या इन कमरों की दीवारों को दिल्ली जल बोर्ड के लिए अतिरिक्त राजस्व हेतु विज्ञापनों के लिए प्रयोग किए जाने की कोई योजना है;

(ङ) जिन बस्तियों से गंदे पानी, कम दवाब, कम पानी, अनियमित पानी, असुविधाजनक समय पर आपूर्ति की शिकायतें हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं;

(च) उक्त शिकायतकर्त्ताओं के नाम, फोन, नबंर, शिकायत की वर्तमान स्थिति व शिकायतों के स्थाई समाधान की अनुमानित तिथि सहित समाधान की अनुमानित तिथि सहित समाधान की योजना का ब्यौरा क्या है;

(छ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दिन मे ंदो बार – प्रातः 5 से 8 बजे व सायं 5 से 8 बजे–जल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड और एमएनडीब्ल्यूएस ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) यदि इसमें कोई कठिनाई है, तो वह क्या है;

(झ) मुख्यमंत्री महोदय के आवास में हुई बैठक में प्रश्नकर्ता ने जो शिकायतें की थी, उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ञ) पानी के नए कनेक्शन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है;

(ट) बिजली के लिए कनेक्शन के लिए वांछित दस्तावेजों के समान दस्तावेज ही पानी के नए कनेक्शन के लिए जाएं, क्या इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ठ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ड) क्या यह सत्य है कि वर्तमान दिल्ली जल बोर्ड भूमि से 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले फ्लैटों को पानी का कनेक्शन नहीं दे रहा है;

(ढ) यदि हां, तो क्या दिल्ली जलबोर्ड पहले से मौजूद ऐसे कनेक्शन काटने जा रहा है; और

(ण) यदि नहीं, तो क्या पहले से मौजूद ऐसे कनेक्शनों को नियमित करने हेतु अपनी नीति पर पुनर्विचार करने जा रहा है?

मुख्यमंत्री : (क) 2008 से 31.12.2017 तक की जानकारी अनुलंग्नक 'क' में सलंग्न है।1

एम.एन. डब्ल्यू. एस. कंपनी को यह कार्य 01.01.2013 से दिया गया है। कंपनी ने मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 20 कि. मी. पानी की लाइने तथा 10,000 घरेलू कनेक्शन बदले गये है व 8 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

कार्य से संबंधित अधिकारियों के नामः जे. ई. श्री दिनेश कुमार तथा गजेन्द्र मोहन जोशी।

ए.ई. – श्री मुकेश कुमार गुप्ता तथा श्री रामकिशोर।

ई.ई. – श्री पंकज अत्रे तथा नरेन्द्र कुमार वर्मा।

यह कार्य किसी के अनुरोध पर नहीं बल्कि पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत क्षेत्र में पानी की वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ता की सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु शुरू किया गया हैं। यह कार्य 'डिस्ट्रीब्यूशन मेन तथा रिजर्वायर' हेड तथा मरम्मत तथा रखरखाव (RMO) हैड के अंतर्गत करवाया जा रहा हैं।

(ख) मालवीय नगर विधान सभा के अर्न्तगत पी.पी.पी. प्रोजेक्ट क्षेत्र में वर्तमान में 109 ट्यूब वैल चालू है। ट्यूब वैल की शेष जीवनावधि भूमिगत जल स्तर पर निर्भर करती है।

(ग) आवश्यकता अनुसार ट्यूब वैल कमरों की मरम्मत का कार्य किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जनवरी व फरवरी, 2018 माह में प्राप्त शिकायतों व उनके निवारण की सूची संलग्न है।

स्थायी समाधान हेतु कार्य प्रगति पर है जो कि 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा होने का अनुमान हैं।

---

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(च) उपरोक्त (ङ) अनुसार।

(छ) मालवीय नगर भूमिगत जलाशय पर वर्तमान में पानी की उपलब्धता अनुसार तकनीकी रूप से सुबह एक समय पूरे दबाव के साथ जल आपूर्ति की जाती है ताकि अंतिम छोर तक सभी को पानी मिले। वितरण प्रणाली में सुधार कार्य के पूरा होने तथा एनआरडब्ल्यू कम करके जलापूर्ति के समय में सुधार किया जायेगा।

(ज) उपरोक्त (छ) अनुसार।

(झ) मुख्यमंत्री के आवास पर दिनांक 15.02.2018 को उठाये गये सारे 17 शिकायतों का निपटान किया गया।

(ञ) पानी के नए कनेक्शन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है:–

(क) **पहचान का प्रमाण पत्र (कोई एक)**

ड्राईविंग लाईसैन्स; पासपोर्ट; राशनकार्ड; आधार कार्ड; पैनकार्ड; वोटर पहचान पत्र; बैंक पास बुक जिसमें आवेदनकर्त्ता का फोटो हो; किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र;

(ख) **सम्पति के मालिकाना हक के दस्तावेज (कोई एक)**

रजिस्टर्ड कन्वैन्स डीड/जनरल पावर ऑफ आटर्नी, रजिस्टर्ड सैल डीड, नोटराईजड जनरल पावर ऑफ आटर्नी की पूरी श्रृंखला, रजिस्टर्ड पेरपीच्यूल लीज डीड, वसीयत या अनापत्तिपत्र जो की आवेदनकर्त्ता के पक्ष में सम्पतिकर्त्ता द्वारा दिया गया हो, रजिस्टर्ड रिंलिगुंशड डीड,

रजिस्टर्ड पार्टिशन डीड/फैमिली सेटल्मैन्ट डीड, रजिस्टर्ड स्पेशल पावर ऑफ आटर्नी/नोटराईजड एग्रीमैन्ट टु सैल और वसीयत, अलॉटमैन्ट लेटर (प्राईवेट बिल्डर) रजिस्टर्ड सैल डीड के साथ/जनरल पावर ऑफ आटर्नी, डी.डी.ए. अलॉटमैन्ट लेटर/म्युटैशन लेटर/लैन्ड व डवलपमैन्ट आफिस लेटर, रेन्टड प्रापर्टी–लीज/रेन्ट एग्रीमैन्ट, अनापत्तिपत्र जो की आवेदनकर्त्ता के पक्ष में सम्पतिकर्त्ता द्वारा दिया गया हो, कोर्ट का अन्तरिम आदेश, यदि कोई हो तो।

(ट) पानी के नये कनेक्शन के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए वांछित दस्तावेजों के समान ही दस्तावेज मांगे जाते हैं। दस्तावेजों के विवरण उपरोक्त (ञ) में दिया गया है।

(ठ) बिजली कम्पनियों द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज कमोवेश जल बोर्ड द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेजों के अनुरूप ही है (बी.एस.ई.एस. का फार्म संलग्न है)।

(ड) जी हां।

(ढ) इस प्रकार के मामले संज्ञान में आने पर उचित कार्यवाही की जाती है।

(ण) उपरोक्त (ढ) के अनुसार।

216. श्री जगदीप सिंह : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधानसभा क्षेत्र संख्या एसी–28 में कुल कितने ट्यूबवेल है और इनमें से कितने चालू हालत में हैं;

(ख) ट्यूबवेल के पानी के क्लोरीनेशन की प्रक्रिया व मानदंड क्या है;

(ग) पानी के क्लोरीनेशन स्तर की जांच के लिए कौन जिम्मेदार है;

(घ) क्लोरीनेशन सहित सभी प्रकार के रखरखाव की जांच के लिए कौन–कौन से बोरबेल का निरीक्षण किन तिथियों में किया गया; और

(ङ) निरीक्षण करने वाले निरीक्षकों का नाम क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) विधानसभा क्षेत्र संख्या एसी–28 में कुल 72 टयूबवेल है जिनमें से 68 टयूबवेल चालू है, बाकी टयूबवेल पानी कम होने के कारण बंद हैं।

(ख) ट्यूबवेल के पानी के क्लोरीनेशन के लिए दोसिंग पम्प द्वारा हाइपो सोल्यूशन डाला जाता है, जिनका मापदंड 0.25 से 1.00 पीपीएम रहता है।

(ग) पानी के क्लोरीनेशन स्तर की जांच सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता जिम्मेदार है इसके अतिरिक्त सामान्यतः जोनल लैब हैदरपुर के कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर किया जाता है।

(घ) क्लोरीनेशन सहित सभी प्रकार के रखरखाव की जांच के लिए निम्नलिखित तिथियों में निरिक्षण किया गयाः

(1) डी.बी. ब्लॉक हरि नगर ट्यूबवेल संख्या (1): 2.2.18

(2) डी.बी. ब्लॉक हरि नगर ट्यूबवेल संख्या (2): 2.2.18

(3) डी.ए. ब्लॉक हरि नगर ट्यूबवेल संख्या (1): 2.2.18

(4) डी.ए. ब्लॉक हरि नगर ट्यूबवेल संख्या (2): 2.2.18

(5) 432 जनता पार्क हरि नगर : 12.2.18

(6) जे.ए. ब्लॉक हरि नगर: 12.2.18

(7) 654 एम.आई जी हरी नगर : 12.2.18

(8) 112 एम.आई. जी हरी नगर : 12.2.18

(9) 288 राजौरी अपार्टमेंट हरी नगर : 19.2.18

(10) 256 पॉकेट एफ हरी नगर : 19.2.18

(11) 80 एसएफएस हरी नगर टयूबवेल न. (1) 19.2.18

(12) 80 एसएफएस हरी नगर टयूबवेल नं. (2) 19.2.18

(13) विक्रांत एन्कलेव हरी नगर : 27.2.18

(14) इ बी ब्लॉक माया एन्कलेव : 27.2.18

(15) इ सी ब्लॉक माया एन्कलेव : 27.2.18

(च) निरीक्षण करने वाले कनिष्ठ अभियंता शिव मलिक तथा सहायक अभियंता श्री सुनील दीक्षित।

217. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के सभी विभागों में कुल कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2017–18 में इन रिक्तियों को भरे जाने का कोई कार्यक्रम है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2017–18 में इनमें से कितने प्रतिशत रिक्तियों को भरे जाने का लक्ष्य था;

(घ) इस संबंध में विभागों को निधियां जारी करने की तिथियां क्या हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था;

(च) यदि हां, तो प्रकाशन की तिथि, समाचार पत्र का नाम, विज्ञापन की दरें, व इसके लिए राशि जारी करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(छ) यदि विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए गए तो उसके क्या कारण थे;

(ज) क्या इससे संबंधित फाइल लंबित है;

(झ) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम, पदनाम बताएं जिसके कार्यालय में फाइल लंबित है;

(ञ) वर्ष 2017–18 में कुल कितने प्रतिशत रिक्तियां भरी गईं;

(ट) यदि शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो अन्य अधिकारियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार का विवरण घंटों में बताएं;

(ठ) यदि कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं पड़ा तो प्रभावित कार्य का ब्यौरा उसकी समय सीमा के साथ दें?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

218. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने तकनीकी विभागों में तकनीकी पदों के सृजन में सुस्ती और बेरहमी भरा दृष्टिकोण अपनाया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सेवा विभाग आई.ए.एस. और दानिक्स अधिकारियों को उन तकनीकी विभागों में खपाने/नियुक्त करने में भारी चुस्ती और मुस्तैदी दिखाता है;

(ग) सेवा विभाग आई.ए.एस. और दानिक्स अधिकारियों की तकनीकी विभागों में तैनाती/नियुक्ति के लिए कैसे उनकी कैडर स्ट्रैंग्थ बढ़ाता है, इस कैडर स्ट्रैंग्थ को बढ़ाने की प्रक्रिया सविस्तार बताएं?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

219. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सभी पुस्तकालयों को डिजिटल किये जाने का एक पैटर्न वैश्विक स्तर पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले पुस्तकालयों को डिजिटल बनाये जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है;

(घ) क्या ये सत्य है कि दिल्ली सरकार के भाषा विभाग के अंतर्गत अलग–अलग भाषाओं की अकादमियां बनी हैं जो तत्संबंधी भाषाओं के पुस्ताकालयों का संचालन करती हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या दिल्ली के बहुभाषी चरित्र को देखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि सभी पुस्तकालयों को बहुभाषी स्वरूप प्रदान किया जाये;

(च) क्या सभी पुस्तकालयों को बहुभाषी स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकार की कोई योजना है?

(छ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) सभी अकादमियों के अंतर्गत आने वाले पुस्तकालयों की सूची, उनको प्राप्त होने वाले वार्षिक अनुदान की राशि सहित उपलब्ध करवाएं;

(ञ) दिल्ली में पुस्तकालयों के उपयोग तथा पुस्तक–संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है;

उपमुख्यमंत्री : (क) से (ग) सभी पुस्तकालयों को डिजिटल किये जाने वाले वैश्विक स्तर के पैटर्न सम्बन्धी पूर्ण जानकारी विभाग में नहीं है तथापि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयास उल्लेखनीय हैः

क. दिल्ली अभिलेखागार विभाग द्वारा अपनी लाइब्रेरी का डिजीटलीकरण का कार्य प्रगति पर है।

ख. सिंधी अकादमी के पुस्तकालय के नवीनीकरण व डिजिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से सिंधी अकादमी द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा है तथा उन्होंने पुस्तकालय के नवीनीकरण तथा डिजिटल बनाने का नक्शा तैयार कर दिया है।

(घ) जी हां। भाषा विभाग के अंतर्गत अलग–अलग भाषाओं की निम्नलिखित 06 अकादमियां बनी हैं जो तत्संबंधी भाषाओं के पुस्तकालयों का संचालन करती हैं:

हिन्दी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, सिंधी अकादमी।

(ङ) सभी पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं।

(च) सभी पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं।

(छ) सभी पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं।

(ज) लागू नहीं।

(झ) **उर्दू आकादमी** : दाराशिकोह पुस्तकालय, मोरी गेट, दिल्ली।

संस्कृति अकादमी : झंडेवालान, दिल्ली में एक संस्कृत पुस्तकालय का संचालन किया जाता है।

हिन्दी अकादमी:

1. मदन मोहन मालवीय सन्दर्भ पुस्कालय, हिंदी अकादमी मुख्यालय, पदम् नगर, किशन गंज, दिल्ली–110007।

2. हिंदी प्रसार केन्द्र, लखनऊ रोड, मंडल कार्यालय, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

3. हिंदी प्रसार केन्द्र, आर्य समाज मंदिर, नरेला, दिल्ली।

4. हिंदी प्रसार केन्द्र, सी–1/10, नगर निगम कार्यालय के समीप, कृष्णा नगर, दिल्ली।

5. हिंदी प्रसार केन्द्र, सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला परिसर, हरिसिंह पार्क, नई मुल्तान नगर, दिल्ली।

6. हिंदी प्रसार केन्द्र, पॉकेट बी एंड ई ब्लॉक, समुदाय भवन, दिलशाद गार्डन, दिल्ली।

7. हिंदी प्रसार केन्द्र, जिला कारागार, रोहिणी, दिल्ली।

8. हिंदी प्रसार केन्द्र, एम.सी.डी. समुदाय भवन, समीप मृगनयनी चौक, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली।

9. हिंदी प्रसार केन्द्र, समुदाय भवन मेहराम नगर, पालम, दिल्ली कैंट नई दिल्ली।

10. हिंदी प्रसार केंद्र, समुदाय भवन हिरणकूदना, मुंडका, दिल्ली।

11. हिंदी प्रसार केंद्र, नंगली सकरावती, आनंद विहार, दिल्ली।

12. हिंदी प्रसार केन्द्र, जिला कारागार, मंडोली, दिल्ली।

अकादमी अपने अनुदान प्राप्त राशि में से पुस्तकालयों पर खर्च करती है इसके लिए अलग से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

पंजाबी अकादमी : पंजाबी अकादमी के अधीन चल रहे संयुक्त पुस्तकालयों की सूची संलग्न है।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम : एक संस्कृत पुस्तकालय का संच्चालन किया जाता है।

सिंधी अकादमी : सिंधी अकादमी अपने कार्यालय में एक पुस्तकालय का संचालन करती है जिसमें सिंधी भाषा की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय के लिए सिंधी अकादमी को अलग से कोई अनुदान नहीं मिलता है।

इस विभाग द्वारा केवल पंजाबी अकादमी को वर्ष 2016–17 में रु. 7,16,00,000/– (रु. सात करोड़ सत्रह लाख मात्र) अनुदान की राशि संयुक्त पुस्तकालयों हेतु जारी की गई जिसमें से पंजाबी अकादमी द्वारा रु. 5,62,00,000/– (रु. पांच करोड़ बासठ लाख मात्र) खर्च किये गए।

विभाग द्वारा अन्य अकादमियों को पुस्तकालयों हेतु अलग से कोई वार्षिक अनुदान नहीं दिया जाता है तथापि निम्नलिखित अकादमियों द्वारा पुस्तकालयों हेतु वर्ष 2016–17 में किये गए खर्च इस प्रकार हैः

हिंदी अकादमी : रु. 6,00,353/–

उर्दू अकादमी : रु 66,573/-

डॉ. गोस्वामी गिरधारी

लाल शास्त्री प्राच्य

विद्या प्रतिष्ठानमः कोई व्यय नहीं।

सिंधी अकादमी : रु. 3,275/-

संस्कृत अकादमी : रु. 6,250/-

मैथिली–भोजपुरी अकादमी : रु. 48,162/-

(ञ) दिल्ली में पुस्तकालयों के उपयोग तथा पुस्तक–संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में भाषा विभाग द्वारा दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में पुस्तकालय चलाने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को प्रति वर्ष रु. 40,000/- का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने का प्रावधान है। इस योजना के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस की प्रति संलग्न है।

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

Art, Culture & Language Department

The Pattern of Assistance of Grant-in-Aid to NGOs for opening of Library in All Assembly Constituencies under Plan Head

Preamble

With a view to inculcate the reading habits amongst the public in general and younger population in particular amongst the weaker section of the society. The Govt. of NCT of Delhi decided to provide library facilities in all Assembly Constituencies. Under this scheme, minimum 1 library and maximum 2 libraries are required to be provided in each of 70 constituencies of Delhi Legislative Assembly under the Bhagidari Scheme. The NGOs who are associated with the Scheme are required to provide sufficient accommodation for 30 readers at a time and also for display of Newspapers, Magazines, Periodicals etc. The NGOs are also required to provide furniture and fixture according to the need of the readers. It is also ensured that there are healthy and hygienic conditions for the readers in the library.

1. Terms & Conditions of Opening of Libraries:

(a) These Rules will govern the grant-in-aid to NGOs registered under Societies Registration Act, 1860.

(b) Each application for opening of Library shall be submitted by the NGO along with letter of recommendation of the concerned MLA of the area in which the library is proposed to be opened.

(c) Time limit for receiving applications for opening new libraries and release of GIA will be 30,h September, 2002 in prescribed Performa.

2. **The society will provide accommodation for opening a library where;**

(a) One room of adequate size to accommodate minimum 30 readers at a time is made available.

(b) Sufficient space for display of newspapers, journals, magazines etc. is also available.

(c) Cross-ventilation with proper healthy and hygienic condition is available

(d) Proper arrangements of electricity should be there, so that it could be used in all seasons and weathers.

3. **Quantum of Grant:**

The Grant-in-aid to the NGOs shall be as under in any financial year subject to availability of funds:-

(a) In the first year, each NGO will be sanctioned grant-in-aid @ Rs.1.03 lakh in two equal installments. 40% of the grant is to be spent on furniture and fixture and 40% to be spent on reading material, newspapers, magazines and remaining 20% will be spent for honorarium to staff. In the subsequent years, each NGO will be sanctioned grant-in-aid upto Rs.40,000/- per year in two equal installments out of which 70% will be spent for purchase of magazines and New papers and the remaining 30% will be spent for honorarium of staff. The above mentioned funds will be sanctioned subject to availability of funds.

(b) In any year, the level of grant will not exceed the budget allotment for NGOs as sanctioned by the Govt. of N.C.T. of Delhi including the revised budget allocation if any and will be utilised against items/ schemes that already stand approved by the Govt. of N.C.T. of Delhi.

(c) For expenditure on new items/schemes/any unforeseen items prior approval of Govt. of N.C.T. of Delhi will be necessary.

(d) The books and furniture for the libraries may also be supplied by the Govt. of NCT of Delhi under the centrally sponsored scheme of "Raja Ram Mohan Rai Library Foundation" for setting up libraries.

4. **Applications for Grants:**

Application for grant in prescribed Performa shall be submitted to the Language Department with the following documents: -

(i) A utilization certificate in respect of grants received during the previous year.

(ii) An audited statement of accounts for previous financial year giving full data is of itemwise expenditure.

(iii) A brief note on the programmes of activities for the current year as well as previous year's activities.

(iv) Similarly, applications for grants for the purchase of equipment/furniture should contain complete details of the equipment/furniture desired to be purchased together with full justification, estimates of cost and the existing stock position.

(v) Any of opposed new items of expenditure should be specifically brought to notice so that necessary approval of the Govt. of N.C.T. of Delhi may be obtained.

(vi) Any suppression of facts, mis-statement, false and misleading information furnished to the Language Department will, besides such other action as may be deemed appropriate, render the NGO's ineligible for further grant and able to refund the grant secured on such basis earlier.

5. **General Conditions for sanction of Grants:**

All grants sanctioned under these rules shall be subject to the following terms and conditions:-

(i) Before a grant is sanctioned, NGOs shall satisfy the Government, about its aims and objects, financial conditions and satisfactory

performance during the preceding year. Its accounts will be open for inspection by any officer as may be authorised in this behalf by Govt. of N.C.T. of Delhi.

(ii) Govt. of NCT of Delhi will not bear any responsibility/liability in respect of staff employed by NGOs.

(iii) The NGO shall refund the grant to the Government in case of Government of NCT of Delhi is satisfied that the NGO is not maintaining efficiently or the grant is not utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(iv) The NGO if closed or becomes defunct within one year of the receipt of the grant, shall refund the whole or such part of the grant, as may be determined by the Govt. of N.C.T. of Delhi.

(v) The giant, if not actually released, may be reduced, withheld or withdrawn in case the Govt. of N.C.T. of Delhi is satisfied that there has been breach or nor-fulfillment of any of the conditions laid down in these rules.

(vi) The assets created by the NGO out of the amounts received as grant-in-aid from the Govt. of India or Govt. of N.C.T. of Delhi shall not be transferred, sold, mortgaged or otherwise disposed off without the prior approval of the granting authority.

(vii) Grants for subsequent years will not ordinarily be sanctioned unless the utilisation certificates of previous grants had/have been duly submitted by the institution and they have been duly accepted by the Language Department after verification.

(viii) Any dues from the grantee under these rules shall be recoverable as arrears of land revenue.

(ix) The NGO shall exercise all possible economy in the working especially in respect of expenditure out of the grants received from Govt. of N.C.T. of Delhi / Govt. of India.

6. **Audit :**

All grants shall be subject to the General Financial Rules, 1963 as amended from time to time and they shall be subject to audit by the Examiner, Local Fund Accounts, Govt. of N.C.T. of Delhi. The cost of such audit shall be borne by the concerned NGO.

7. **Execution of Bond:**

Before a grant is released, each NGO shall be required to execute a bond to the President of India to say that, it will abide by the conditions of the grant and in the event of its failing to comply with these conditions or committing a breach, of the bond, the grantee will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the grant with interest thereon the sum specified under the bond.

दिल्ली सरकार में पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित संयुक्त पुस्तकालयों का विवरण

क्र. सं.	जिला उत्तरी	जिला दक्षिणी	जिला पूर्वी	जिला पश्चिमी	जिला केन्द्र
1.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेन्टर प्रताप नगर, दिल्ली–110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी पन्त नगर, नई दिल्ली–110014	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर प्रदा बाग, दरियागंज दिल्ली–110022	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर रामेश्वरी नेहरु नगर, नई दिल्ली–110005	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टरगली चांदी वाली पहाड़गज नई दिल्ली–110055
2.	संयुक्त पुस्ताकलय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर गुड मंडी, दिल्ली–110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर डी.डी. फैल्टस गोविन्द पुरी, कालका जी नई दिल्ली–110019	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर दुजाना हाऊस, मटिया महल, दिल्ली–110006	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर तिलक विहार, तिलक नगर नई दिल्ली–110018	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर चमेलियन रोड़ नई दिल्ली–110006
3.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर चन्द्रावल कमला नगर, दिल्ली–110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर, किलोकरी नई दिल्ली–110014	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर तुर्कमान गेट दिल्ली–110006	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. मार्किट काम्पलैक्स 1040, शिवाजी एन्कलेव नई दिल्ली–110027	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर सोहनगंज, आर्य पुरा नई दिल्ली।
4.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी	संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी

	सैन्टर कटरा मौला बक्स रोशना रोड दिल्ली–110007	सैन्टर सनलाईट कॉलोनी नई दिल्ली–110014	सैन्टर सुन्दर नंगरी नियर नंद नगरी, दिल्ली–110093	प्रताप नगर, हरी नगर नई दिल्ली–110064	सैन्टर मुकीम पुरा नई दिल्ली–110007
5.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर चन्द्रशेखर आजाद कलोनी, दिल्ली–110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर निजामुद्दीन, ईस्ट दिल्ली–110013	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर मुकेश नगर, शाहदरा दिल्ली–110032	संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम, हरी नगर नई दिल्ली–110064	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर राम बाजार मोरी गेट दिल्ली।
6.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर एस.डब्ल्यु.सी. मंगोलपुरी, दिल्ली–110083	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर दक्षिणपुरी नियर विराट सिनेमा नई दिल्ली–110062	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर गली शहतारा अजमेरी गेट, दिल्ली–110006	संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम, हरी एन्कलेव (हरी नगर) नई दिल्ली–110027	
7.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर सुलतान पुरी, दिल्ली–41	संयुक्त पुस्त कालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर गढ़ी गांव नियर ई स्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली–24	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर गली समोसान, फराश खाना, दिल्ली–110006	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर न्यु रंजीत नगर नई दिल्ली–110008	

क्र. सं.	जिला उत्तरी	जिला दक्षिणी	जिला पूर्वी	जिला पश्चिमी	जिला केन्द्र
8.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर डीसी रिलीफकैम्प ज्वालापुरी, दिल्ली–110041	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली–110003	संयुक्त पुस्तकालय गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा, पांडव नगर, दिल्ली	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर ओल्ड रंजीत नगर नई दिल्ली–11008	
9.	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर प्रेम नगर, नई दिल्ली	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर पिलंजी गांव, नियर सरोजनी नगर, नई दिल्ली–110023		संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सैन्टर रैगरपुरा, करोल बाग नई दिल्ली–110005	
10.	संयुक्त पुस्तकालय गुरुद्वाराश्रीगुरु सिंह सभा जी.टी.बी. नगर, किंग्सवे कैम्प दिल्ली–110009	संयुक्त पुस्तकालय, जे.जे. कलोनी कुसुमपुर पहाड़ी, वसंत विहार, नई दिल्ली–110022			

220. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस विभाग का कार्य क्षेत्र क्या है और सरकार इस विभाग के निर्धारित लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर सकी है;

(ख) क्या इस विभाग के सम्बन्ध में कोई सामाजिक व उपयोगिता संबंधी परीक्षण कराया गया है;

(ग) इस विभाग द्वारा वर्ष 2008 से 2017 के बीच आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन का अवसर, कलाकारों का नाम, लागत, आयोजन स्थल, किसकी और से किया गया सहित, सम्पूर्ण विवरण क्या है?

(घ) पंजाबी व उर्दू विभाग द्वारा दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी व उर्दू अध्यापकों की नई नियुक्तियों की क्या स्थिति है;

(ङ) भोजपुरी, सराईकी व मैथिली के नए विभाग बनाये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है?

(च) किसी विधानसभा क्षेत्र में इन आपके विभाग के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(छ) क्या यह सत्य है कि श्रीमती सिंधु मिश्रा की साहित्य कला परिषद् में नियुक्ति को लेकर कोई विवाद हुआ था;

(ज) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं;

(झ) क्या इस संबंध में कोई जांच हुई है;

(ञ) यदि हां, तो उसका विवरण दें और यदि जांच पूरी हो गई है तो जांच परिणाम क्या है;

(ट) विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में किसी कलाकार को किस आधार पर अवसर प्राप्त होता है;

उपमुख्यमंत्री : (क) कला, संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक विभाग है। राजभाषा एवं संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं एवं साहित्य, कला और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के समग्र सांस्कृति गतिविधियों के प्रचार, संवर्धन और विकास, साहित्य कला परिषद और भाषा अकादमियों के माध्यम से किया जाता है जो स्वायत्त निकाय हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर हैं।

(ख) इस विभाग के सम्बन्ध में कोई सामाजिक व उपयोगिता संबंधी परीक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) **उर्दू अकादमी** : सूची संलग्न है।*

पंजाबी अकादमी : सूची संलग्न है।

संस्कृत अकादमी : सूची संलग्न है।

साहित्य कला परिषद् : सूची संलग्न है।*

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शस्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम : कोई नहीं।

हिंदी अकादमी : सूची संलग्न है।

---

* www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

मैथिली–भोजपुरी अकादमी : सूची संलग्न है।*

सिंधी अकादमी : सूची संलग्न है।*

(घ) **उर्दू अकादमी** : उर्दू अकादमी द्वारा दिल्ली के स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की नई नियुक्तियां नहीं की जा रही है।

पंजाबी अकादमी : पंजाबी अकादमी द्वारा दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी भाषा अध्यापकों की नई नियुक्तियां नहीं की जा रही है।

(ङ) मैथिली–भोजपुरी अकादमी की स्थापना हो चुकी है वर्तमान में इस विभाग में सराईकी के लिए कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

(च) **उर्दू अकादमी** : उर्दू अकादमी दिल्ली की कार्यकारिणी समिति द्वारा इस की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है।

पंजाबी अकादमी : क्षेत्रीय विधानसभा सदस्य, आरडब्ल्यूए, कला संस्कृति एवं भाषा विभाग आदि के आदेशानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

साहित्य कला परिषद : किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रयोजन रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन व एनजीओ के निवेदन पर मनइया सांसद, विधान सभा सदस्य एवं निगम पार्षद की संस्तुति तथा परिषद् में पर्याप्त फण्ड उपलब्ध होने पर ही किया जाता है।

हिंदी अकादमी : विधायक से प्राप्त प्रस्ताव को हिंदी अकादमी की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

---

* www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

मैथिली–भोजपुरी अकादमी : विधायक की संस्तुति व मैथिली–भोजपुरी अकादमी दिल्ली की कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन होने पर मैथिली–भोजपुरी अकादमी कलाकारों को कार्यक्रम हेतु भेज कर सहयोग करती है।

(ज) से (ञ) इस सन्दर्भ में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसका विस्तृत परीक्षण व जांच के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण कर दिया गया था।

(ङ) **पंजाबी अकादमी** : कलाकार की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर और विभाग की मांग के अनुसार कलाकारों को अवसर दिया जाता है।

संस्कृत अकादमी : अकादमी की समिति के निर्णयानुसार विभिन्न स्तरों पर संस्कृत के कलाकारों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अवसर दिया जाता है। नए कलाकारों को छोटे स्तर पर और ख्याति प्राप्त कलाकारों को बड़े स्तर के कार्यक्रमों में अवसर दिया जाता है।

साहित्य कला परिषद् : साहित्य कला परिषद् में कलाकारों को कार्यक्रम समिति की संस्तुति के आधार पर तथा कार्यक्रम के स्तर व भव्यता को देखते हुए प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया जाता है।

हिंदी अकादमी : अकादमी द्वारा समिति के अनुमोदन के उपरांत विभिन्न स्टारों के कलाकारों को उनकी प्रतिष्ठा तथा ख्याति के आधार पर कार्यक्रम की विशेषता के अनुसार उन्हें अवसर दिया जाता है।

उर्दू अकादमी : उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी भी कलाकार को उसकी योग्यता के आधार पर अवसर प्राप्त होता है।

मैथिली–भोजपुरी अकादमी : मैथिली–भोजपुरी अकादमी दिल्ली की कार्यकारिणी समिति की संस्तुति पर।

221. श्री जगदीश प्रधान : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गार्डन ऑफ फाईव सैंसिज को नाईट हब तथा लग्जरी फूड कोर्ट के लिए विकसित करने की योजना थी;

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है, विस्तृत जानकारी दें;

(ग) इस कार्य के लिए कितना बजट रखा गया था, और उसमें से कितना बजट व्यय हुआ; और

(घ) क्या सरकार की अन्य क्षेत्रों में गार्डन ऑफ फाईव सैंसिज विकसित करने की योजना है?

पर्यटन मंत्री : (क) गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज मैहरोली के सैयद–उल–अजैब गांव में स्थित है।

प्राथमिक तौर पर गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में नाई हब और लग्जरी फूड कोर्ट स्थापित करने का सरकार की ओर से प्रस्ताव था।

लेकिन डीडीए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार इस भूमि का इस्तेमाल क्षेत्रिय पार्क के तौर पर है।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रिय पार्क के रूप में चिन्हित किए गए क्षेत्र का प्रयोग 'रिज, आवासीय फ्लैट (सुरक्षाकर्मियों हेतू), पिकनिक हट, पार्क, शूटिंग रेंज, जूलोजिकल गार्डन, बर्ड सेंचुरी, बोटेनिकल गोर्डन, स्थानीय सरकारी कार्यालय (रखरखाव), ओपन एयर थियेटर, पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, ओरचेर्ड, नर्सरी और जंगल' के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार, वर्तमान दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में नाईट हब सुविधा देना संभव नहीं है।

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राथमिक तौर पर 2017–18 में 50 लाख रुपये का अनुमानित बजट प्रस्तावित था। लेकिन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के कानूनी प्रावधानों को देखते हुए कोई राशि खर्च नहीं की जा सकी।

(घ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

222. श्री जगदीश प्रधान : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली को फिल्म शूटिंग डैस्टिनेशन बनाना चाहती है;

(ख) क्या इसके लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिजम तैयार किया गया है; और

(ग) इसकी विस्तृत जानकारी क्या है;

पर्यटन मंत्री : (क) हां।

(ख) सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिजम तैयार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। और इस संदर्भ में यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि हिस्सेदार 16 एजेंसियों में केवल दो एजेंसियां/विभाग दिल्ली सरकार के अधीन हैं जबकि पांच एजेंसियां/विभाग केन्द्र सरकार व अन्य एजेंसी/विभाग विभिन्न निकायों के अधीन हैं। (**हिस्सेदार एजेंसियों की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न है**) हालांकि फिल्म निर्माताओं की सुविधा हेतु दिल्ली पर्यटन में फिल्म शूटिंग सुविधा सेल बना दिया गया है।

(ग) दिल्ली सरकार की योजना के उद्देश्य अनुसार दिल्ली को फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति दिलवाने के लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली पर्यटन ने इस उद्योग की प्रक्रियाओं को आसान करने के अनेक कदम उठाए है।

दिल्ली पर्यटन द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैः–

(1) निगम के अंदर फिल्म शूटिंग सुविधा सेल बनाया गया है।

(2) फिल्म शूटिंग मैन्यूअल बनाया गया है और इसे दिल्ली पर्यटन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसमें दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं के सूचनार्थ संबंधित जानकारी दी गई है।

(3) दिल्ली शूटिंग के लिए 200 से अधिक आदर्श स्थानों की पहचान की जा चुकी है और फिल्म निमार्ताओं को भेज दी गई है इसके साथ ही इन्हें दिल्ली पर्यटन निगम वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

(4) फिल्म शूटिंग अनुमति के लिए 16 हितधारक एजेंसियों के साथ नोडल अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और उनके संपर्क विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए है।

(5) दिल्ली पर्यटन निगम दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के हेतु सुविधा एजेंसी के रूप में काम कर रहा है जिनमें विभिन्न अनुमतियां, यात्रा, आवास आदि का प्रबंध शामिल है। हाल ही के वर्षो में दिल्ली में 16 फिल्मों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है। जिनमें से कुछ के नाम – रांझना, पी के, किक, फुगली, मद्रास कैफे, तन्नु वेडस मन्नु, अय्यारी आदि है और इनमे से कुछ फिल्मों की स्क्रिन पर दिल्ली सरकार के साथ–साथ दिल्ली पर्यटन निगम का आभार व्यक्त किया गया है।

(6) दिल्ली पर्यटन निगम ने प्रचारक चित्रमय ब्रोशर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है दिल्ली सिनेमैजिक। और सिनेमा पर डिजिटल प्रस्तुति भी बनाई गई है। इसे पूरे फिल्म जगत द्वारा हाथों–हाथ लिया गया।

(7) फिल्म जगत में दिल्ली को फिल्म शूटिंग शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए तथा इसकी मार्केटिंग हेतू दिल्ली पर्यटन निगम ने

प्रमुख फिल्म पर्यटन कार्यक्रमों में भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए थे।

(8) दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली पर्यटन ने वर्ष 2018 में दिल्ली को फिल्म शूटिंग शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए विषय आधारित (दिल्ली ऐज अ फिल्म शूटिंग डेस्टीनेशन) कैलेंडर जारी किया था।

(9) अभी हाल ही में दिल्ली पर्यटन के प्रकाशन – 'दिल्ली सिनेमैजिक ब्रोशर और कैलेंडर' को इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) और पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के रूप में भी पुरस्कृत किया गया।

(10) दिल्ली पर्यटन निगम सूचना प्रसार मंत्रालय के फिल्म सुविधा कार्यालय के साथ मिलकर विदेशी फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने पर भी काम कर रहा है। जिसमें डेनमार्क के फिल्म निर्माता को प्रदान की गई सुविधाएं भी शामिल है जिन्होंने लगभग एक महीने तक दिल्ली में शूटिंग की थी।

परिशिष्ट–1

हिस्सेदार एजेंसियों की सूची

भारत सरकार के तहत विभाग

1. भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय
2. महानिदेशक नागर विमानन
3. उत्तर रेलवे, रेल मंत्रालय
4. भारतीय खेल प्राधिकरण
5. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नगर निकायों, पुलिस और अन्य

1. दिल्ली पुलिस
2. दिल्ली यातायात पुलिस
3. नई दिल्ली नगर निगम
4. दक्षिण दिल्ली नगर निगम
5. पूर्वी दिल्ली नगर निगम
6. उत्तर दिल्ली नगर निगम
7. दिल्ली विकास प्राधिकरण
8. दिल्ली मेट्रो रेल निगम
9. डायल–टी 3 एयरपोर्ट

दिल्ली सरकार के तहत विभाग

1. पर्यावरण और वन विभाग

2. लोक निर्माण विभाग

223. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पुरानी दिल्ली में अनेक ऐसी राष्ट्रीय धरोहर है, जहां विदेशी नागरिक भीड़–भाड़ तथा कानून व्यवस्था के कारण नहीं पहुंच पाते;

(ख) शाहजहांनाबाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या टूरिज्म पुलिस अभी भी सक्रिय है और इसकी स्टॉफ स्ट्रेंथ क्या है;

(घ) दिल्ली सरकार टूरिज्म विभाग पुलिस के साथ किस प्रकार समन्वय स्थापित करता है; और

(ङ) शाहजहांनाबाद में विदेशी पर्यटकों को आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, इसकी विस्तृत जानकारी दें;

पर्यटन मंत्री : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार पुरानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। विदेशी नागरिकों

को पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में राष्ट्रीय धरोहर तक पहुंचने में कानून व्यवस्था संबंधी कोई परेशानी नहीं होती है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उचित दिशा–निर्देश देकर राष्ट्रीय धरोहरों के आस–पास तैनात किया जाता है।

(ख) पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली पयर्टन अपने बेवसाईट/ब्राउसर्स में एवं टूरिस्ट इनफार्मेशन सेन्टर्स द्वारा शहजहांनाबाद क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराता है।

दिल्ली पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार पर्यटकों को सुरक्षा के लिए संभावित निवारक उपाय किए गये हैं और पुलिस की अधिकतम दृश्यता सुनिश्चित की जा रही है। प्रभावी गश्त के लिए मोटरसाइकिलों की एक टीम भी नियुक्त की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, हिम्मत एप योजना की शुरूआत, अंधेरे स्थानों और अपराध संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना शामिल है।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा 10 पीसीआर वैन को 10 पर्यटक स्थलों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु पर्यटक पुलिस के लिए तैनात किया गया है। प्रत्येक गाड़ी पर 3 पुलिसकर्मी 24 घंटे 12–12 घंटे की शिफ्ट में तैनात रहते है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा टूरिस्ट पुलिस इकाई की स्थापना के लिए 341 पदों की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय में लम्बित है।

(घ) पर्यटकों से संबंधित यदि कोई शिकायत विभाग को प्राप्त होती है तो उसे दिल्ली पुलिस को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

(ङ) इस प्रकार की कोई जानकारी पर्यटन विभाग के पास नहीं आई है।

224. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार राजधानी में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रही है;

(ख) सरकार ने गत वर्ष इस दिशा में टूरिज्म नीति बनाने की बात की थी, इस दिशा में क्या प्रगति हुई;

(ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आधारभूत ढांचे में अभिवृद्धि के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(घ) सरकार की पर्यटन प्रोत्साहन की क्या योजना है;

पर्यटन मंत्री : (क) राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तत्वाधान में वर्ष 1975 में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि. की स्थापना की गई थी।

बहुआयामी भूमिका के रूप में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि. दिल्ली में पर्यटकों के लिए नोडल एजेंसी है और यह दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही है।

विस्तृत रूप से निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः—

(1) पर्यटन संबंधी जानकारी का प्रसार करना।

(2) पर्यटन संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देना।

(3) मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करना।

(4) पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे को विकास।

(5) पर्यटन के हेतू प्रशिक्षिण।

दिल्ली पर्यटन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक सेवाएं पर्यटकों और दिल्लीवासियों को प्रदान करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैः–

(क) पर्यटन को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये सूचना केन्द्र– नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, घरेलू हवाई अड्डा, दिल्ली हाट–आईएनए, केन्द्रिय आरक्षण कार्यालय, बाबा खड़गसिंह मार्ग, क्नॉट प्लेस, कोलकता और चेन्नई में स्थित है।

(ख) पर्यटन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है। दिल्ली पर्यटन स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए टूर पैकेज देना, एयर टिकटिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा भी प्रदान करता है।

(ग) दिल्ली में तीन स्थानों – आईएनए, पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट बनाए गए है। जो खरीदारी और विभिन्न भारतीय व्यंजनों का स्वाद, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और लोककला के विस्तार का मुख्य केन्द्र है।

(घ) एडवेंचर गतिविधियां :

दिल्ली पर्यटन निम्नलिखित स्थानों पर नौकायन सुविधा प्रदान करता है:—

1. कृषि भवन (बोट क्लब)
2. मानसिंह रोड़, इंडिया गेट
3. भलस्वा झील

एक एडवेंचर पार्क मयूर विहार में बनाया गया है जहां विभिन्न सॉफ्ट एडवेंचर गतिविधियां उपलब्ध है।

(ङ) **सांस्कृतिक पर्यटन**

पर्यटकों और आंगतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए दिल्ली पर्यटन नियमित रूप से अपने दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में वर्षभर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

* नेचर बाजार की स्थापना भी गई है जहां पर स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते है।

* प्रमुख वार्षिक आयोजनों में गार्डन टूरिज़्म फेस्टिवल, आम महोत्सव, पतंग महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस आदि शामिल है।

(च) विरासत (हैरिटेज) पर्यटन

शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान करने के लिए इंटेक और दिल्ली वॉक के साथ मिलकर रिक्शा टूर, नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली और मैहरोली में साइकिल टूर का आयोजन किया गया था।

अन्य गतिविधियां

* दिल्ली सरकार की ओर से विषय आधारित कैलेंडर और डायरी का प्रकाशन
* पर्यटकों के बीच निःशुल्क वितरण हेतू प्रचार साहित्य सामग्री का प्रकाशन।
* दिल्ली हाट आईएनए में कलाम स्मारक।
* विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जैसे– राज्य शिक्षक पुरस्कार, दिल्ली में जीएसआी परिषद सदस्यों के लिए रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
* दिल्ली हाट जनकपुरी में 800 व्यक्तियों की क्षमता वाला वातानुलित ऑडिटोरियम।
* दिल्ली हाट आईएनए में अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाएं।
* दिल्ली पर्यटन की वेबसाइटस और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से दिल्ली का ब्रांड के रूप में प्रचार।

* दिल्ली को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में पुरस्कृत करने वालों में मुख्य प्रकाशन जैसे– Conde Nsat India, Lonely Planet और मुख्य संस्थाएंः– विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, पब्लिक रिलेशंस कॉनसिल ऑफ इंडिया शामिल है।

(ख)

1. पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा दिल्ली में पर्यटन सुधारने और पर्यटन का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पर्यटन नीति और मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मैसर्स जे.पी.एस. एसोसिएट्स प्रा. लि. को सलाहकार एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

2. अनुबंध के शर्तों के अनुसार सलाहकार को 9 महिनों के भीतर पर्यटन नीति का कार्य तीन चरणों में पूर्ण किया जाना है। मैसर्स जे.पी.एस. एसोसिएट्स प्रा. लि. ने प्रथम चरण की स्थापना रिपोर्ट जून, 2016 में प्रस्तुत कर दी है।

3. दूसरे चरण में मसौदा अंतरिम रिपोर्ट सलाहकार द्वारा अगस्त, 2017 में प्रस्तुत की गयी थी जो मंजूरी के लिए सरकार के विचाराधीन है।

4. दूसरे चरण की रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट) की स्वीकृति के बाद, परियोजना का तृतीय चरण सरकार से अनुमोदन के उपरांत, शुरू किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

(घ) **वित्त वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैः–**

पर्यटन का विकास – दिल्ली एक गंतव्य स्थल

* प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रचार सामग्री का प्रकाशन और प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा अन्य संबंधित गतिवियों का प्रचार–प्रसार।

* दिल्ली को एक गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन आयोजनों में भागीदारी।

* मेले व उत्सवों का आयोजन।

पर्यटन का आधारभूत ढांचा

* गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज के पास कला ग्राम का विकास/अपग्रेडेशन।

* आजाद हिंद ग्राम का नवीनीकरण और अपग्रेडेशन।

* कॉफी होम, क्नॉट प्लेस का नवीनीकरण और अपग्रेडेशन।

* दिल्ली हाट आईएनए में फूड कोर्ट, अस्थायी दुकानों/क्राफ्ट स्टॉल आदि का अपग्रेडेशन।

माननीय अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही दिनांक 23 मार्च .2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 23.03.2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।